अंक - 56
जुलाई - दिसंबर 2015

ISSN. 0972-5881

ग्रामीण विकास समीक्षा

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान
राजेन्द्रनगर, हैदराबाद - 500 030. (भारत)

ग्रामीण विकास समीक्षा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद - 30 (तेलेगंणा) द्वारा प्रकाशित एक अर्ध वार्षिक पत्रिका है ।

पत्रिका का मुख्य उदेश्य ग्रामीण विकास में अध्ययन और अनुसंधान को बढ़ावा देना है। यह सामाजिक विज्ञान और ग्रामीण के बीच एक सुदृढ संयोजन स्थापित करता है तथा ग्रामीण विकास से जुडे नीति निर्माताओं, कार्यपालकों तथा विभिन्न समाजविज्ञान आयामों के बीच विचार विनिमय का एक मंच उपलब्ध कराता है।

इस पत्रिका में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने विचार है और इनके लिए राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान (हैदराबाद) किसी भी प्रकार जिम्मेदार अथवा उत्तरदायी नहीं है।

संपादकीय मंडल

अध्यक्ष

डॉ. एम. वी. राव

महानिदेशक

डॉ. आर. आर. प्रसाद
प्रोफेसर एवं अध्यक्ष
समता एवं सामाजिक विकास केन्द्र

डॉ. सी.एस.सिंघल
प्रोफेसर एवं अध्यक्ष
महिला विकास एवं जेडंर अध्ययन केन्द्र

डॉ. एस. एस. पी. शर्मा
प्रोफेसर एवं अध्यक्ष
जल एवं भू–संसाधन केन्द्र

संपादक **अनिता पांडे**
संपादन सहायक **ई. रमेश**

ग्रामीण विकास समीक्षा सहयोगी लेखकों के लिए

इस प्रकाशन की निरंतरता को बनाये रखने के लिए विद्वान लेखकों से अनुरोध है कि ग्रामीण विकास एवं उत्थान हेतु विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित मौलिक, अनुसंधानात्मक तथा विश्लेषणात्मक लेख मूल रूप से हिन्दी में ही लिखें तथा हमें यथाशीघ्र प्रेषित करने की कृपा करें ताकि इस ज्ञान गंगा को जन साधारण तक ले जाया जा सके। फलत: ऐसे लेखों की भाषा सरल एवम् बोधगम्य हो तथा आंकड़ो व सारणियों का कम से कम प्रयोग हो। लेख टंकित होना चाहिए। हस्तलिखित लेख स्वीकार नहीं किये जायेंगे। इस संबंध में यदि किसी सहायता की आवश्यकता हो तो संपादक से संपर्क करे।

अनुक्रम

क्र.सं.	विषय एवं लेखक	पृ. सं.
1.	माटीकाम के कारीगर कुम्हार - परंपरागत आजीविका आधारित उद्योग साहसिकतावृत्ति ● डॉ. लोकेश जैन	1
2.	आजीविका कार्यान्वयन : छत्तीसगढ़ का एक मामला ● डॉ. शंकर चटर्जी, ● ई. आर. एल. के शर्मा	16
3.	जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव व दुष्परिणाम (उत्तराखण्ड के विशेष संदर्भ में) ● डॉ. दलीप सिंह	21
4.	ग्रामीण पर्यटन : बेरोजगारी निवारक ● आशीष कुमार तिवारी	32
5.	सम्पोषित ग्राम विकास में जैन दर्शन ● डॉ. दीपा जैन	38
6.	ई-पंचायत : सूचना और संचार प्रौद्योगिकी द्वारा स्वशासन में सुधार ● सुनीता चौधरी	44
7.	पंचायती राज सशक्तिकरण की ओर बढ़ते कदम ग्राम पंचायत डबरी-एक सफल प्रयास ● डा. के.के. मोर ● श्रीमती वीना सहगल	51
8.	जनजातीय क्षेत्र में महिला नेतृत्व ● डॉ. अशोक जयसवाल ● प्रकाशकुमार धारा	59
9.	विकेन्द्रीकृत जिला नियोजन : एक विवेचन ● डॉ. रमेश प्रसाद द्विवेदी	63
10.	साक्षर भारत कार्यक्रम (एक दृश्यावलोकन) ● आशीष कुमार तिवारी	80

1. माटीकाम के कारीगर कुम्हार - परंपरागत आजीविका आधारित उद्योग साहसिकतावृत्ति

(गुजरात राज्य के गांधीनगर जिले में रांधेजा गांव के कुम्हारों की उत्पादन व्यवस्था तथा सामाजिक-आर्थिक स्थिति के संदर्भ में एक शोध अध्ययन)

*** डॉ. लोकेश जैन**

माटी कहे कुम्हार से तू कां रूंथे मोय, इक दिन ऐसो आवेगो मैं रंथूंगी तोय

भारतीय संस्कृति में वर्णित पंच महाभूतों में से एक हैं माटी । कुम्हार माटी के वे शिल्पकार अथवा दस्तकार हैं जो माटी से जीवन जरूरी वस्तुओं की रचना करके लोक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आये हैं । कई साहित्यकारों ने माटी के रंग में इनका सजीव चित्रण किया है । कुम्हारी कला मानव जीवन की खुशियों के साथ सीधा सरोकार रखती आयी हैं । दैनिक जरूरतों को पूरा करने हेतु विभिन्न आकार-प्रकार के बर्तन हो या दीपावली त्योहार के दीप अथवा शादी आदि सामाजिक-धार्मिक व सांस्कृतिक प्रसंग की शुद्धतापूर्ण जरूरते आदि सभी से इनकी उपस्थिति दर्ज की जाती रही है । इनको तैयार करने की प्रक्रिया के हर चरण में तकनीकी कुशलता एवं प्रबंधकीय सोच की परिणति इस समाज के हुन्नर धारकों में दृष्टिगत होती रही है । इस सच को भी नही नकारा जा सकता कि कुम्हारी काम करने वाले समुदाय का सामाजिक-आर्थिक स्तर निम्न हो रहा है किन्तु वे स्थानीय आजीविका की मजबूत कड़ी के रूप में अडिग रहे हैं । इनके घर एवं कार्यस्थल सामान्य ग्रामीण व्यवस्था में गांव के बाहरी छोर पर देखे जाते रहे हैं जहाँ नजदीक से कच्चे माल अर्थात् मिट्टी की व्यवस्था करते रहे हैं ।

वर्तमान परिवर्तन :

वर्तमान में इस व्यवस्था में काफी परिवर्तन देखने को मिलते हैं यथा - सामाजिक-आर्थिक प्रतिमानों में आमूलचूक परिवर्तन जिनके चलते अमीर वर्ग गांव के बीच से निकलकर सड़क के पास आने फार्म हाऊस आदि पर निवास बनाने को प्राथमिकता देने लगा हालांकि अंदर का हिस्सा भी अपने पास रखा किन्तु इसके चलते जो जमीन कार्य हेतु अत्यन्त अल्प कीमत पर इन्हें उपलब्ध थी उसमें कठिनाई उत्पन्न हुई है । अब एक गरीब कुम्हार के वश की बात नहीं है कि वह इस कार्य के लिए पर्याप्त जमीन की व्यवस्था कर

* सहा-प्राध्यापक-ग्रामीण विकास प्रबंध, ग्रामीण प्रबंध अध्ययन केंद्र, गुजरात विद्यापीठ, ग्रामीण परिसर-राँधेजा-गांधीनगर (गुजरात) - 382620 ई-मेल : E-mail:lokeshcsrm@yahoo.co.in

सके । उसे जमीन किराये पर लेकर यह कार्य करना होता है किन्तु जमीन के दाम बढते जाने से उसमें भी स्थायित्व खत्म होता जा रहा है क्योंकि वहाँ प्लोटिंग, फ्लैट अथवा की मांग आने से अल्प समय में ही वह जमीन खाली करनी होती है । यह कार्य ऐसा है जो जिसके लिए खुली जगह की भी आवश्यकता होती है जो गाँव के मध्य मिलना संभव नहीं है । दूसरा इस कला के विकास और आगे ले जाने को लेकर है - इस तथ्य से हम इंकार नहीं कर सकते है कि इस कला की उत्पादकता पर्यावरण को न्यूनतम क्षति पहुँचाने वाली है क्योंकि यह वापस मिट्टी में ही मिल जाता है । लेकिन इस समुदाय के लोग उच्च सामाजिक दर्जा प्राप्त करने हेतु अन्य कार्य, स्पर्धात्मक परीक्षा पास करके सरकारी नौकरी पाना तथा औद्योगिक क्षेत्र में कार्य करना आदि की ओर उन्मुख हुए हैं । वहीं उपभोक्तावादी जीवनशैली के अविराम बदलावों के चलते मानव जीवन में इनका स्थान घटता जा रहा है जबकि इसके चलते परिस्थितिकीय तंत्र विपरीत दिशा में प्रभावित हुआ है ।

माटीकाम हुन्नर का वारसागत इतिहास -

माटीकाम के कारीगर अपनी कुशलता, चिवटता, रचनात्मकता आदि के लिए जाने जाते हैं । उनके पास पर्याप्त व्यावहारिक समझ (कोठासूझ) है कि किन किन बातों का किस प्रमाण में ध्यान रखा जाय, पढे लिखे न होने के बावजूद गणित का भी बोध है, अभियांत्रिकी का विद्यार्थी न रहने के बावजूद विविध आकार-प्रकार की डिजाइन, तकनीक व कल्पनाशक्ति के अकूत बौद्धिक भंडार इनके पास रहे हैं तथापि यह समुदाय निम्नतम स्तर पर जीवनयापन को विवश है । औपचारिक शिक्षण के परिणाम स्वरूप इस समुदाय के युवा आर्थिक रूप से अधिक पोषणक्षम रोजगार की तलाश व महत्वाकांक्षा की सिद्धि में अपने परंपरागत हुन्नर को अलविदा सा कर चुके हैं । दिलचस्प तथ्य यह है कि इस गांव के प्रजापति समुदाय में कोई भी कुम्हारी काम से जुड़ा हुआ नहीं है । फिर भी आज लगभग 25 कुम्हारी काम की इकाइयां इस गांव की सीमा में कार्यरत हैं जो मुख्यतः विभिन्न आकार के मटके बनाती हैं । इनमें कार्यरत कारीगर मालिक राज्य के पाटण जिले के निवासी है जो इस गांव से लगभग 150 कि.मी. दूर है । लगभग 10 वर्ष पहले इस गांव के बाहर की तरफ कुम्हारी काम की एक इकाई हुआ करती थी विगत सात वर्षो में इनकी संख्या 25 तक पहुँची वहीं विगत एक वर्ष में इनकी संख्या में घटने का क्रम प्रारंभ हो चुका है आज वर्तमान में 18 इकाइयां कार्यरत हैं ।

कुम्हारी काम का रचनात्मक हुन्नर, लोगों की कला, आजीविका का लोक-आवश्यकता से जुड़ाव, स्थानिक प्रजापति समुदाय का इस कार्य से विलग होना, बाहर के लोगों द्वारा इसी गांव में इसी कार्य को आजीविका बनाकर कार्य करना तथा इस कार्य के

फिर से बंद होने का क्रम शुरु होना आदि घटक अध्ययन करने हेतु आकर्षित करते हैं, उन कारणों की शोध के लिए प्रेरित करते है जो सामान्यरूप से अप्रत्याशित प्रतीत होते हैं । इन सबसे अलग प्रबंधन का विद्यार्थी होने के नाते हटकर इन लोगों की वैज्ञानिक पद्धति आधारित उत्पादन व्यवस्था को समझना तथा उनके पारंपारिक ज्ञान-विज्ञान को आधुनिक समाज के सामने लाना है जो सम्पोषित आजीविका व्यवस्था की मजबूत कड़ी का प्रतिनिधित्व करते है । आजीविका का मतलब जब तक यह कला जीवन निर्वाह का माध्यम रही तब संसाधनों की स्थिति व उपयोग की व्यवस्था क्या थी और उसमें प्रोफेशनल लुक आने के बाद अथवा महत्तम नफाकारकता के केन्द्र में आने के पश्चात् संसाधनों पर क्या गुजर रही है इसका विश्लेष भी जरूरी है ।

रांधेजा गांव गुजरात राज्य की राजधानी गांधीनगर से 10 कि.मी. की दूरी पर बसा एक समृद्ध गांव है । इसका चयन मॉडल विलेज के रूप में विकसित किये जाने वाले गांव हेतु भी किया गया है । इस गांव में सभी जातियों के लोग निवास करते हैं - पटेल, बनिया, बुनकर, ठाकोर, दरबार, प्रजापति, चमार, नाई, वाघरी, सुनार, पशुपालक देसाई समुदाय आदि । जो अपने अपने परंपरागत व व्यवसाय को समेटे हुए हैं । बड़ा गांव होने के कारण यह प्राचीन समय से व्यापार मंडी के रूप में प्रख्यात था । गांव में अस्पताल, बैंक, प्राथमिक-माध्यमिक शिक्षण के सरकारी स्कूलों के साथ निजी शिक्षण संस्थान, विभिन्न विधाओं में उच्च शिक्षण हेतु गुजरात विद्यापीठ का ग्रामीण परिसर जिसमें कृषि विज्ञान केन्द्र भी है, पोस्ट ऑफिस तथा संप्रेषण व परिवहन की सभी आधारभूत सुविधाएं हैं ।

माटीकाम हुन्नर में प्रोफेशनलिज्म और उसके प्रभाव -

प्रबंधकीय जगत में प्रोफेशनलिज्म प्रगति की निशानी मानी जाती हैं जिसके चलते गुणात्मक एवं मात्रात्मक अभिवृद्धि सुनिश्चित होती है । इसके कारण हुन्नर विशेष को समाज में विशिष्ट स्थान प्राप्त होता है, वैयक्तिक आय में वृद्धि होती है, ड़िजाइन व उत्पाद को लेकर नवीन शोध होते हैं । किन्तु अवलोकन के दरम्यान यह पाया गया कि इससे हुन्नर धारकों के आजीविकालक्षी मूल्यों में आमूल-चूक परिवर्तन अवश्य होते है, उनमें मानवीय मूल्यों की जगह शनैः-शनैः आर्थिक मूल्यों की प्रधानता बढ़ जाती है जिससे समष्टि व सृष्टि दोनों विपरित दिशा में प्रभावित होने लगते हैं । उत्पाद का स्वरूप स्थानीय व जरूरतमंद लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप न रहकर बजारलक्षी हो जाता है वे उत्पाद अस्तित्व में आने लगते हैं जिनकी बाहरी बाजार में अधिक मांग है । स्थानीय जरूरतों को पूरा करने वाले सस्ते उत्पाद चलन से बाहर हो जाते है अर्थात् उनका स्थानीय ज़रूरतों की संतुष्टि से नाता टूट सा जाता है । वहीं दूसरी ओर कुदरती संसाधनों का बेतहाशा विदोहन

शुरु हो जाता है जिससे सम्पोषित विकास की कड़ी कमज़ोर पड़ती नजर आती है । आसपास के गांवों से संसाधनों को रीतने और महत्तम लाभ कमाकर आगे से आगे निकल जाने की होड़ बढ़ती ही चली जाती है जिसे प्रोफेशनलिज्म व उद्योग साहसिकता की भाषा में प्रगति या सफलता कहा जाता है । इसलिए आज आजीविका के स्वरूप, परिमाण एवं संसाधनों के जतन को लेकर स्थानीय आजीविका में प्रोफेशनलिज्म की उपस्थिति पर चिंतन अवश्य करना होगा । तय तो यह था कि प्रोफेशनलिज्म के द्वारा लोगों की कार्यकुशलता व कार्यक्षमता का विकास किया जायेगा, मानवीय मूल्य आधारित आचारसंहिता का विकास होगा जिससे आजीविका व्यवहारों में नैतिकता आयेगी और एक ऐसी सभ्यता का विकास होगा जिससे आजीविका व्यवहारों में नैतिकता आयेगी और एक ऐसी सभ्यता का विकास होगा जो जंगलराज मुक्त होगी अर्थात् जिसमें सभी को जीने के लिए सुनियोजित अवसर प्राप्त हो सकेंगे । मानव संसाधन खरी रचनात्मकता का एक और ध्येय था कि कार्य विशेष को सामाजिक प्रतिष्ठा दिलाना जिसमें नफाकारकता व आय वृद्धि को लेकर इस अभिगम की सफलता सुनिश्चित मानी जाती है । इस स्थानीय आजीविका में प्रोफशनल्जिम को लेकर दोष इस अभिगम का नहीं अपितु बदलती मानवीय मनोवृत्ति का है जो भौतिकतावादी संस्कृति और लालच, ईर्ष्या व अन्य दूषणों से अभिभूत हो चली है जिसने प्रोफेशनलिज्म की तस्वीर का रूख ही बदलकर रख दिया हैं ।

माटीकाम : ग्रामीण उद्योग साहसिकता पारिवारिक व्यवसाय एवं स्वाभाविक गुर सीखने की प्रक्रिया :

ग्रामीण समाज के विशिष्ट समुदाय में यह कला पारिवारिक व्यवसाय के रूप में विकसित हुई है । माटीकाम प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में परिवार का लगभग हर सदस्य अपना योगदान सुनिश्चित करता है । परिवार के सदस्य काम करते करते अपने बड़ों से उत्पादकीय ज्ञान-विज्ञान व कार्यकुशलता के गुर स्वाभाविक रूप से सीख लेते हैं कोई अतिरिक्त समय व धन का व्यय किए बिना ।

संशोधन क्षेत्र :

वर्तमान विषय के संशोधन हेतु रांधेजा गांव को पसंद किया गया है । इसके पीछे दो कारण रहे हैं -

यह स्थानीय आवश्यकता व स्थानीय संसाधन आधारित हुन्नर है जिसका संचालन विशिष्ट ग्रामीण समुदाय की कार्यकुशलता पर निर्भर है ।

दूसरा मुख्य कारण यह है कि लगभग 10 वर्ष पूर्व गांव में एक ही इकाई कार्यरत

थी वो भी इस गांव के मूल निवासी नहीं थे जबकि आज लगभग 18 इकाइयां कार्यरत है जिनकी संख्या मध्य काल में 25 तक पहुंच चुकी थी अर्थात् 7 इकाइयां अल्प समय में बंद हो गई । परंपरागत रूप से देखें तो एक गांव में एक या दो ही कुम्हार समुदाय के लोग माटी काम किया करते थे जो वहाँ के मूल निवासी होते थे और जो स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस आजीविका का संचालन करते थे । इस व्यवस्था में वे बिना कोई मूल्य चुकाए कुदरती संसाधन-माटी एवं पकाने के लिए सूखी लकड़ी का उपयोग कर लिया करते थे । यहाँ प्राथमिक जानकारी के आधार पर संशोधक की जिज्ञासा के कई प्रश्नचिह्नात्मक बिंदु उभरकर सामने आये यथा - इस गांव के स्थानीय समुदाय से वर्तमान में कोई भी इस हुन्नर से क्यों नहीं जुड़ा है ? अल्प समय में माटीकाम इकाइयों की संख्या एकदम से कैसे बढी और क्यों ? मध्यकाल में इकाइयों को बंद होना पड़ा ? आजीविका के स्वरूप और परिमाण में परिवर्तनों के फलस्वरूप सम्पोषित विकास की स्थिति पर क्या प्रभाव पडा ? प्रोफेशनलिज्म के दौर में लोगों की कार्यकुशलता व कार्यक्षमता एवं उसकी असरकारकता की क्या स्थिति बनी है ? बाहर से आए लोगों ने रांधेजा गांव को ही क्यों पसंद किया ? एक ही जगह में एक प्रकार के उद्यम विकसित होते जाने से स्थानीय संसाधनों की स्थिति पर क्या असर होता है ? एक व्यावहारिक गणित-जिसमें स्थानीय संसाधनों का परिमाण स्थानीय लोगों की आवश्यकताएं अथवा पड़ोसियों की ज़रूरतों की संतुष्टि तथा इनका उत्पादक की बुनियादी जरूरतों के परिमाण से सीधे संबंध की इस चक्रीय कड़ी का विश्लेषण वर्तमान में जरूरी प्रतीत होता है ।

समस्या कथन :

प्रजापति जिसका परंपरागत हुन्नर माटी काम माना जाता है, इस गांव में इस पेशे को छोड़ चुका है और बाहर के जिले के लोग आकर यह कार्य यहाँ पर कर रहे हैं । इस कला में पेशाकरण बढ़ने से कुदरती संसाधनों का शोषक उत्पादक की बुनियादी ज़रूरतों के अनुपात में कई गुना बढ़ा है । इस कला आधारित हुन्नर के संचालन में जो परिवार के तथा जो अन्य लोग लगे हुए हैं, जिसके वैज्ञानिक प्रबंधकीय आधार को समझने व सत्यापित करने की नितांत आवश्यकता है । यदि समय रहते इसको संवारने व संभालने पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया तो यह हुन्नर आम आदमी की पहुँच से बाहर हो जायेगा और फिर इसी ज्ञान को अर्जित करने हेतु अभियांत्रिकी विधा की तरह महँगे संस्थानों में जाना होगा और जरूरतमंद वर्ग के लिए माटी की सुवास लुप्तप्राय बन जायेगी । इसका प्रबंधन स्थानीय लोगों के हाथ से निकलकर चला जायेगा । इसी दृष्टि से सम्पोषित आजीविका प्रतिमान एवं परंपरागत ज्ञान विज्ञान के पटल पर यह संशोधन विषय वर्तमान व भावी उपादेयता के साथ प्रासंगिक बन जाता है ।

माटीकाम के तकनीकी-प्रौद्योगिकीय आयाम -

(तकनीक का विकास, उपयोग एवं नियंत्रण तथा मैन्टीन्स स्वयं के नियंत्रण में - एप्रोपिएट टेक्नोलॉजी) योग्य माटी की पहचान, मिट्टी में अन्य मिट्टी के मिलाने के अनुपात का तकनीकी ज्ञान, मिट्टी तैयार करने (भिगाने) हेतु एक ढांचा निर्मित करना, कितने समय तक और कितने पानी के साथ भिगाए रखना है इसका बोध, माटी की लोचशीलता तथा बनाने वाले बर्तन की प्रकृति के अनुरूप माटी के गुल्ले का आकार नक्की करना जो एक बार में चाक पर रखा जाता है । चाक की गति के साथ मिट्टी के गुल्ले को आकार देना (सधी हुई उंगलियों की कारीगरी) (अर्धनिर्मित माल के रूप में), ठठेरे का कार्य- अर्धनिर्मित वस्तु को सावधानी के साथ पीट पीट कर अंतिम स्वरूप प्रदान करने का वैज्ञानिक-टेक्नीकल व प्रबंधकीय अभिज्ञान, सुखाने की वैज्ञानिक पद्धति का ज्ञान, बर्तन पकाने की छोटी बड़ी भट्टी बनाने का ज्ञान, उत्पादन व्यवस्था के संचालन (जगह का चयन, ले-आउट की रचना, नये उत्पाद का विकास, रचनात्मकता के साथ, क्षमता निर्धारण, इन्वेन्ट्री मेनेजमेंट, गुणवत्ता नियंत्रण, उत्पादन की मात्रा के संबंध में निर्णय लेने के दायरे तथा सम्पोषितता का विचार), मार्केटिंग की कुशलताओं का ज्ञान । यह उद्योग वर्ष में 7-8 महीने चलता है सिर्फ बरसात के समय बंद रहता है । वर्तमान मांग के अनुसार उत्पादन के अलावा सर्दियों में गर्मी के मौसम की मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन चालू रखा जाता है ।

संशोधन अध्ययन के उद्देश्य -

1. माटीकाम करने वाले कारीगरों की उत्पादकीय तकनीकी - कला के पारंपारिक ज्ञानविज्ञान व प्रबंधकीय अभिगम को समझना तथा इसकी अर्थतंत्रीय सम्पोषितता को परखना । इस दिशा में उत्पादन के स्वरूप व परिमाण निर्धारण प्रणाली का विश्लेषण करना ।
2. इस हुन्नर की वर्तमान स्थिति का कार्य-कारण के साथ विश्लेषण कर समस्या का समाधान की राह शोधना ।
3. इस हुन्नर के क्षेत्र में पेशेकरण होने के पश्चात संसाधनों की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा है तथा दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं उस पर विचार करना ।
4. माटीकाम से जुड़े हुन्नरधारकों को उनके उत्पाद का योग्य प्रतिफल या मूल्य मिल पाता है और वे अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को संतुष्ट कर पाते हैं या नहीं इस दृष्टि से उनकी सामाजिक-आर्थिक परिस्थिति का विश्लेषण करना ।

5. नई पीढ़ी इस हुन्नर से क्यों दूर होती जा रही है तथा इसके क्या परिणाम हो सकते हैं उस पर चिंतन व विमर्श को आगे बढ़ाना ।

उपकल्पनाएं -

1. माटीकाम प्रक्रिया में घर के सभी सदस्य कोई न कोई हुन्नर अवश्य रखते हैं । सभी भले ही अलग अलग प्रक्रिया का हिस्सा बनते हो किन्तु उत्पादन पूर्णता की प्रक्रियागत स्थिति से भलीभांति वाकिफ होते हैं इसलिए प्रत्येक कार्य दूसरे के लिए सुविधाजनक एवं बेहतर बना रहता है ।
2. सभी सदस्य तकनीकी कौशल्य एवं कार्य निष्पादन की प्रबंधकीय सुझबूझ रखते हैं कि कार्य को बेहतर तरीके से कैसे पूर्ण किया जा सकता है ।
3. इस समुदाय से जुड़े लोगों को समाज में बहुत सम्मानजनक स्थान तो प्राप्त नहीं था किन्तु उन्हें अस्पृश्य के तरीके से भी नहीं देखा जाता था ।
4. इस व्यवसाय से जुड़े लोगों को एक अच्छी आमदनी नहीं होती थी जिससे जिंदगी विलासितापूर्ण तो नहीं थी किन्तु समाज की ज़रूरतों को पूरा कर गांव में ही रहते हुए रोटी-पानी की आवश्यकताओं की संतुष्टि हो जाती थी ।
5. शिक्षण व सरकारी योजनाओं के चलते युवाओं को अन्य क्षेत्र में अवसर मिलने से वे इस परंपरागत व्यवसाय को छोड़कर जाने लगे एवं उनकी एवं उनके माता-पिता की रूचि भी इस तरफ से घटने लगी । इसके चलते यह हुन्नर जो परंपरागत एवं सहज रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित हो रहाथा वह सिलसिला थम जायेगा और फिर इसकी बागडोर तथाकथित प्रोफेशनल संस्था व व्यक्तियों के हाथ में पहुँच जायेगी जिनमें मानवीय संवेदनशीलता की जगह नफरत का प्राधान्य पाया जाता४ है और संसाधनों का बेतहाशा शोषण करने भी नहीं कतराते ।
6. आज माटीकाम कारीगरों के सामने बाज़ार विस्तृत हो चला है किन्तु मानवीय दुर्बलताओं के चलते वे अपनी बुनियादी ज़रूरतों के अनुसार आजीविका का परिमाण तय करने में सफल रहे हैं जिसका कुप्रभाव संसाधनों के जतन को लेकर हुआ है ।

सूचना एकीकरण -

समंक संग्रहण हेतु प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के स्त्रोतों का उपयोग किया गया है । प्राथमिक स्त्रोतों में माटी काम करने वाले उत्तरदाताओं का समावेश किया गया है । जबकि द्वितीयक स्त्रोतों में इस कार्य से जुड़े अनुसंधानों व अनुभवों को एकीकृत किया

गया है । सूचना एकीकरण हेतु अनुसूची का उपयोग करके साक्षात्कार किया गया है जिसमें अवलोकन विधि का भा उपयोग किया गया है । समंक विश्लेषण हेतु संकेतीकरण, सारणीकरण व सांख्यकीय पद्धतियों का उपयोग किया गया है तथा विश्लेषण से प्राप्त परिमाणों के आधार पर सामान्यीकरण किया गया है ।

माटीकाम उद्योग के संदर्भ में ... थोड़ासा

माटीकाम वैश्विक पटल पर विकसित मानव की प्राचीन कला है जिसमें उसने सृजनातत्मकता व तकनीकों का विकास कर मानवीय समुदाय को सभ्यता की ओर ले जाने वाली आवश्यकताओं की संतुष्टि दी है । जब मिट्टी इन हुन्नरधारकों की उंगलियों के इशारे पर नाचते चाक पर मन चाहा आकार लेती है तो विभिन्न मानवीय कल्पनाएं व सृजन साकार हो उठते हैं । चाक और उंगलियों कठा संयोजन वैज्ञानिक सोच पर संचालित होता है । उनके परंपरागत ज्ञान-विज्ञान का दर्शन माटीकाम कला की विविध प्रक्रियाओं में होता है । मिट्टी की पसंदगी से लेकर पकाने व व्यवस्थित जमाने के कार्य तक उनकी कला का लोहा मानना पड़ता है । कुम्हार जिस जगह मिट्टी से विविध वस्तुएं बनाता है उसे स्थानीय भाषा में ''कुम्हारवाडा'' कहा जाता है । तैयार मिट्टी से बर्तन विशेष की प्रकृति एवं जरूरत के अनुसार पिंडी बाँधना, कभी सीधे चाक पर ही अंतिम आकार देना तो किसी वस्तु को कई प्रक्रियाओं से गुजार कर अंतिम स्वरूप प्रदान करना इनकी सिद्ध हस्त कला का उदाहरण है ।बर्तनों व वस्तुओं को पकाने हेतु ये विभिन्न प्रकार के ''निमाड़े'' या भट्टे स्वयं बनाते हैं ताप को नियंत्रित करने हेतु उसकी ईंटों पर मिट्टी की लिपाई भी करते हैं । यहाँ अनुभवी हाथ और अभ्यस्त आँखे वस्तुओं की संतुलित सिकाई को अंतिम स्वरूप प्रदान करने में मदद करती है । प्रदेश विशेष में उपलब्ध सामग्री के अनुसार माटी में विविध वस्तुओं का मिश्रण किया जाता है जिससे विस्तार विशेष में निर्मित वस्तु की लाक्षणिकता दूसरों से प्रथक प्रकट होने लगती है । चाक पर आरम्भिक आकार पा चुके बर्तनों को उपयोग योग्य स्वरूप में लाने हेतु उन्हें हाथ से ''घाट'' अथवा ओप प्रदान किया जाता हैं । ठठेरे की प्रक्रिया में सधे हाथों से हस्तचलित साधन द्वारा पीट पीट कर मिट्टी में रही हडुई हवा निकालकर बर्तन के आकार में वृद्धि की जाती है इस प्रक्रिया को वेजिंग कहा जाता है । इसके कारण ही मिट्टी के पिंड में समान रूप से नमी का प्रसार होता है । इसके पश्चात बर्तनों को आग में तपाकर सुखाया-पकाया जाता है । जब इन वस्तुओं में नमी का प्रमाण शून्य हो जाता है तब ये हड्डी जैसी (बॉन ड्राई) सख्त हो जाती हैं । जिन वस्तुओं को सुखाया नहीं जाता उन्हें ग्रीनवेयर कहा जाता है । बर्तनों को चमड़े के द्वारा भी सुखा/या जाता है जब बर्तन में नमी का प्रमाण 15 प्रतिशत जितने शेष हो । मिट्टी के वर्तनों में काटने व जोड़ने का कार्य भी इसी चरण में किए जाते हैं ।

आकार देने की पद्धतियाँ -

1. हाथ द्वारा - यह सबसे प्राचीन पद्धति है जिसमें मिट्टी तैयार कर पानी का हाथ लगाकर बर्तनों को निर्मित किया जाता है । इसकी गति चाक की अपेक्षा धीमी होती है परन्तु कलात्मकता का स्तर उंचा रहता है ।

2. पकाना - मिट्टी के वर्तनों को पकाने के उद्देश्य दो होते हैं । एक जोड़ को मजबूत बनाना तथा दूसरा बर्तनों को सख्त बनाना । इसके लिए लगभग 1000-1200 सेन्टिग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है । इसकी व्यवस्था भट्टी में लकड़ी व कोयला जलाकर की जाती है । यदि तापमान नियंत्रित नही किया जाता तो वर्तनों में दरार पड़ने की जोखिम बनी रहती है । पहले समय में बर्तन पकाने के लिए जमीन में गड्ढा खोदकर गोल तलिये वाले बर्तनों को रखा जाता था और फिर आग जलाई जाती थी इसमें दरार आने की संभावना काफी कम हो जाती है । आज जमीन के उपर विभिन्न आकार के भट्टे तैयार किए जाते हैं ।

उत्तरदाता द्वारा बतायी गई खर्च संबंधी मदों का विवरण

क्रम	खर्च की मदें	रुपिया
1.	माटी (1 ट्रेक्टर माटी एवं किराया)	2300-2500
2.	जलावन (लकड़ी 1 मन)	90-100
3,	लकड़ी का कचरा (वेर)	20-25
4.	लाल मिट्टी (गेरू) रंग करने के लिए	10-12
5.	मोटर से चलने वाला चाक	6500-8000
6.	अन्य साधन (पेड़ी, थापो, पावडो, कोदाली...)	1500-2000

विमर्श एवं विश्लेषण व निष्कर्ष - (प्राथमिक समंक आधारित विश्लेषण)

उत्तरदाताओं की सामान्य जानकारी :- इस व्यवसाय में 25-55 वर्ष तक के उत्तरदाता संलग्न हैं किन्तु 25-44 वर्ष के वर्ग में लगभग 66 प्रतिशत कारीगर आ जाते है । सभी कारीगर उत्तर गुजरात के जिले पाटण, महेसाणा, बनासकांठा और बहुचराजी विस्तार से हैं जो रांधेजा ग्राम से 100-150 कि.मी. दूर हैं । इसमें 79 प्रतिशत हिंदू तथा 21 प्रतिशत मुसलमान हैं । 15 प्रतिशत उत्तरदाताओं को छोड़कर समस्त उत्तरदाता शिक्षित हैं प्राथमिक से माध्यमिक तक । 52 प्रतिशत व्यक्तियों के पास मात्र 100 गज जगह रहने की जबकि 40 प्रतिशत के पास 150 गज । अधिकांश लोगों को 50-75 गज जगह माटी काम करने

के लिए चाहिए । जबकि बर्तनों को पकाने के लिए लगभग 50 गज यह निर्भर करता निमाडों के आकार व संख्या तथा व्यवसाय विस्तार की नीति के आधार पर । उत्तरदाताओं में विभक्त परिवार प्रथा अधिक है । 68 प्रतिशत उत्तरदाताओं के परिवार में 5-8 सदस्य हैं जबकि शेष के 2-4 अथवा फिर 9 से अधिक । जिनके परिवार में कम सदस्य हैं वे ही बाहर से मजदूर बुलाते हैं । कुम्हारी कार्य करने के लिए 90 प्रतिशत उत्तरदाता किराये की जमीन रखते हैं । जो पुराने कुम्हार हैं मात्र उनके पास ही अपनी खुद की जमीन है । 58 प्रतिशत मतदाताओं के यहाँ बर्तन पकाने के बड़े निमाड़े हैं जबकि 37 प्रतिशत छोटे और बड़े दोनों ही प्रकार के निमाडडें रखते हैं । सभी उत्तरदाताओं के पास कच्चा माल रखने की पर्याप्त जगह एवं मोटर से चलने वाले चाक हैं । एक मोटर में दो या अधिक चाक एक साथ चलाते हैं । माल को बाहर बेचने ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन के साधन 90 लोग किराए पर लेते हैं जबकि शेष के पास अपने साधन हैं । माटीकाम से जुड़ी विशिष्ट जानकारी आधारित निष्कर्ष निम्नलिखित हैं -

1. लुप्त हो चली माटी काम की कला का दुष्प्रभाव इस क्षेत्र में देखने को मिलता है, माटी काम के जानकार कुशल मजदूर आसानी से नहीं मिलते तथापि इस समुदाय की नई पीढ़ी इस हुन्नर को अपनी आजीविका का साधन बनाने के लिए इच्छुक नहीं है । यहाँ तक कि इनके माता-पिता भी अपने बच्चों को पढ़ा-लिखाकर इस हुन्नर में नहीं डालना चाहते हैं । माटीकाम सभी उत्तरदाताओं का परंपरागत व्यवसाय है जिसमें सभी सदस्य ऑन जॉब ट्रेनिंग की तरह किन्तु बिना किसी आर्थिक खर्च के कोई अतिरिक्त समय गमाए बिना सीखने की स्वाभाविक प्रक्रिया से जुड़कर सिद्धहस्त बन जाते हैं । 68 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पास 1-7 वर्ष का अनुभव है, 16 प्रतिशत के पास 8-15 वर्ष का तथा बाकी लोगों के पास 28 वर्ष का अनुभव है ।

2. प्रायः घर के सदस्य हमेशा इस कार्य में व्यस्त नहीं रहते अपितु जब जरूरत पड़ती है तब उसमें मदद करते हैं । लगभग 50 प्रतिशत उत्तरदाता स्पष्ट करते हैं कि इसका कार्य समय 2-4 घंटे का रहता है । दिवस दरम्यान किस काम को कब संपन्न किया जायेगा यह काम की प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है । घर की स्त्रियां मिट्टी को भिगाने, मिट्टी को गूँथकर गोले बनाने, बर्तनों को रंगने, डिजाइन बनाने तथा पके हुए बर्तनों को उठा कर संग्रह का काम करती हैं । इसके अलावा घर पर

विक्रय का काम भी वो करती हैं । चाक पर बर्तन बनाने, पीट-पीट कर आकार देने, पकाने हेतु निमाड़ा तैयार करने तथा बाहरी व्यापारियों के साथ सौदा करने का काम पुरुष सदस्य करते हैं । जो लोग मजदूर रखकर माटीकाम कराते हैं उन्हें 8 महीने तक मजदूर रखने होते हैं । इन मजदूरों को बर्तन की प्रकृति आकार व नग के हिसाब से मजदूरी दी जाती है । उदाहरण के लिए मीडियम साइज के गमले की मजदूरी 3 रुपये ।

3. तैयार माल को रखने के लिए केवल 37 प्रतिशत लोगों के पास अपने गोदाम है बाकी लोग किराए का गोदाम लेकर माल का संग्रह करते हैं ।

4. सफलता के लिए माटीकाम की तकनीकी कुशलता के साथ मार्केटिंग की कुशलता होना जरूरी है । ऐसा सभी उत्तरदाताओं का अभिप्राय रहा है । सभी लोग सीधे ही अपने माल का विक्रय करते हैं कोई भी इसके लिए एजेंट नहीं रखता ।

5. माटीकाम के तहत ये कारीगर विभिन्न आकार प्रकार के मटके, लोटा, कुल्हड़, सरैया, दीपक, मंगल कलश, गुल्लक, खिलौने सजावट के आईटम आदि का उत्पादन करते हैं । आज इनकी मुख्य पहचान पानी के संग्रह हेतु विभिन्न आकार के घड़ों के रूप में की जाती है । सजावट के आइटम बनाने से ये आधुनिक तथा अधिक नफाकारक शहरी दुनिया से भी जुड़ चुके हैं । संकलित ग्रामीण जीवन के गौरवपूर्ण अतीत की दृष्टिपात करें तो हम पायेंगे की यह समुदाय स्थानीय जन-जीवन की समग्र आवश्यकताओं से सीधा सरोकार रखता था भले ही पानी के घड़े हों, दही जमाने, दूध गर्म करने, अचार डालने के पात्र संबंधी दैनिक ज़रूरते, दीपावली त्योहार के दीपक, शादी की दावत हेतु खाना खाने व पानी पीने के बर्तन यही सिलसिला अन्य सामाजिक प्रसंगों पर भी देखने को मिलता था । यह आदान-प्रदान पारस्पारिक प्रेम की बुनियाद पर टिका हुआ था । समय के साथ साथ चाय दूध के कुल्हड़ों तथा बर्फ की चुस्की के दीवलों ने लोगों के साथ व्यापारिक रिश्ते भी बनाए । व्यवसाय के विस्तार क्षेत्र की मर्यादा के चलते स्थानीय माटी-पानी, लकड़ी संसाधन का उपयोग मर्यादित रहता था तथा पर्यावरण असंतुलन का खतरा भी न्यूनतम रहता था । नफाकारकता के प्रति बढ़ते लोभ को संवरण न पाने के चलते स्थानीय संसाधनों का रीतने का क्रम चालू हो चुका है । ऐसा अधिकांश उत्तरदाता महसूस तो करते हैं किन्तु अंकुशित व्यवहार की तरफ अभरुचि दर्शाते प्रतीत नहीं होते । हालांकि संसाधनों की कमी के चलते इसी विस्तार से पूर्व स्थापित

माटीकाम की इकाइयों को पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल न मिलने पर बंद करके जाना पड़ा है ।

6. उत्पादन के प्रमाण का निर्धारण आज के समय में ग्राहक एवं व्यापारियों के मांग के आधार पर किया जाता है । जबकि संसाधनों की स्थिति के साथ इनका तारतम्य होना चाहिए । इस उत्पादन के प्रमाण के आधार पर वे चाक आदि साधनों की व्यवस्था करते हैं । उत्पादन के लिए रांधेजा गांव की पसंदगी का मुख्य कारण नजदीक के गांवों में कच्चे माल की उपलब्धता, स्थानीय स्पर्धा का शून्य होना तथा परिवहन व संप्रेषण के बेहतर साधनों का होना बताया है । उत्तरदाता पारंपारिक साधनों के साथ साथ मशीन उर्जाचलित साधनों का उपयोग करने लगे हैं ताकि कम समय में अधिक उत्पादन व नफा ले सकें ।

7. 73 प्रतिशत उत्तरदाता अपनी उत्पादनक्षमता को पूर्व नियोजित तरीके से तय करते हैं तथा शेष अपने अनुभव के आधार पर इसका निर्धारण करते हैं । मानव संसाधन की उपलब्धता संबंधी मुश्किलें हैं । भावी कुशल कारीगर तैयार ही नहीं हो पाते क्योंकि युवाओं की रुचि इस तरफ से घट रही हैं । ऐसे में उत्पादक अकुशल मजदूरों से काम चलाते हैं तथा स्वयं अधिक समय काम करते हैं ।

8. माटीकाम के कारीगर सही संतुलित मात्रा में कच्चे माल का मिश्रण तैयार कर, अच्छी मिट्टी को पसंद कर तथा बर्तन पकाने में उपयुक्त सावधानी रखकर उत्पाद की गुणवत्ता पर निमंत्रण रखते हैं । इसके अलावा अनुभवी आंखें कुशल हाथ कार्य सम्पादित होने की छोटी-बड़ी प्रक्रिया के दौरान पूर्ण विवेक के साथ कार्य करते हैं । क्योंकि वे जानते हैं कि एक छोटी-सी भूल अंतिम स्वरूप में बड़ी खामी को बाकी रख सकती है । बर्तन बनाने की प्रक्रिया में 1-3 दिन तक लगते हैं । जब पर्याप्त मात्रा में कच्चे बर्तन तैयार हो जाते हैं तब निमाड़ा तैयार किया जाता है, कच्चे बर्तनों को सुखाने में 2-3 दिन का समय लगता है तथा इसके अनुरूप फाईनल चरण का समय निर्धारित होता है । सुखाने व सेकने के समय विशेष सावधानी के साथ जानवरों से भी उसे बचा कर रखना होता है । 68 प्रतिशत लोगों का मानना है समग्र प्रक्रिया में 4-6 मटके बिगड़ जाना स्वाभाविक है । माल बिगड़ जाने के कारण समुचित मिश्रण की कमी, माल का ज्यादा सिक जाना, कच्चा माल सुखाने के लिए पक्का शेड न होना तथा जानवरों को रोकने के बाड़ का लगा न होना आदि होते

हैं । जिसे योग्य मानवीय प्रयासों से रोका जा सकता है । एक बार माल तैयार करने में लोग 10-30 तगारी माटी और उन्हें पकाने हेतु 5-12 मन लकड़ी का उपयोग करते हैं । दूसरा लोट तैयार करने हेतु ये लोग 1-2- दिन का मध्यावकाश ले लेते हैं ।

9. लोग खुदरा व थोक व्यापार करते हैं । वस्तु की गुणवत्ता तथा मांग एवं प्रचलित बाजार भाव के अनुसार अपनी वस्तु की कीमत तय करते हैं । सामान्यतया व्यापार नकद होता है । उत्पाद का मूल्य मिल जाता है । फ्रिज आदि इलेक्ट्रिक साधनों का उपयोग बढ़ने से तथा अन्य उपभोक्ता व्यवहार में परिवर्तन होने से कुल विक्रय की स्थिति पर असर पड़ा है । उत्तरदाताओं का मानना है मटके के अलावा अन्य उत्पादों के भाव में वृद्धि करके विक्रय की स्थिति को सुधारा जा सकता है ।

10. 68 प्रतिशत उत्तरदाताओं की आय 75,000-1,00,000 रुपये वार्षिक के मध्य है, 21 प्रतिशत की 51,000-75,000 के मध्य तथा शेष की 51,000 वार्षिक से कम है ।

11. अपने मूल ग्राम से स्थानांतरित इन माटी काम के कारीगरों का कहना है कि उनके जीवनस्तर में सुधार हुआ है, आर्थिक दृष्टि से स्व-निर्भरता में वृद्धि हुई है, बच्चों में शिक्षण बढ़ा है तथा सामाजिक प्रतिष्ठा में भी वृद्धि हुई है ।

मिट्टी काम की प्रक्रिया से सम्बद्ध फोटो गॅलरी

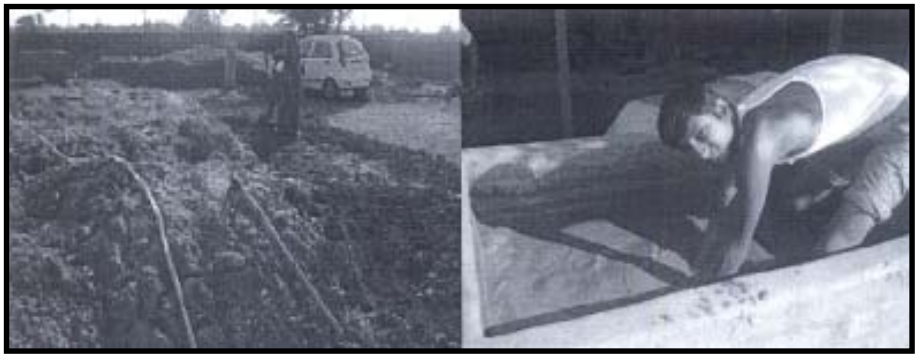

अच्छी मिट्टी लाकर भिगोना

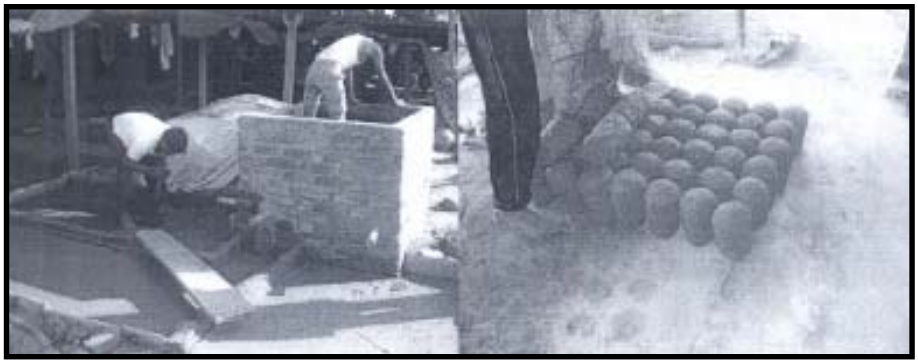

भिगोने के बाद उसे रूंथना और उसके एक समान पिंड बनाना

पिंड से आकार देने के लिए चाक पर रखना औ्र वर्तन गढ़ना

कच्ची वस्तुओं को उपयोग योग्य आकार में लाने हेतु प्रयुक्त साधन थापा आदि

थापा के साथ काम कम करता कारीगर एवं वर्तन को पकाने हेतु तैयार निमाड़ा

बर्तन पकाने हेतु ईधन संग्रहण एवं तैयार मटकों की रखने की कला

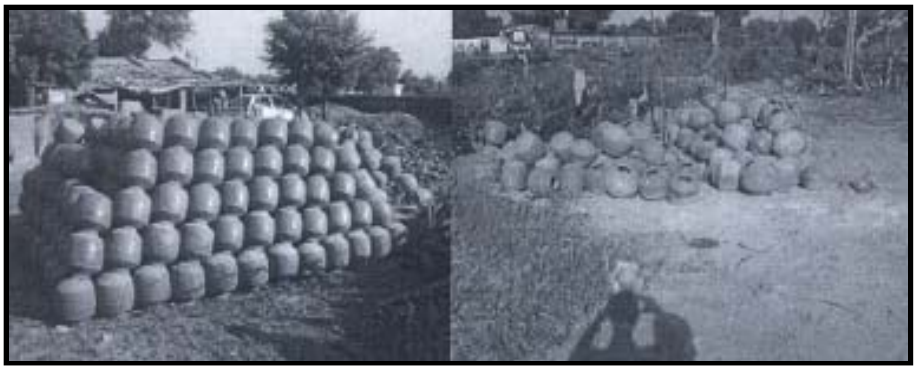

तैयार व बिगड़े हुए मटके

2. आजीविका कार्यान्वयन : छत्तीसगढ़ का एक मामला

* डॉ. शंकर चटर्जी एवं
** ई आर. एल. के. शर्मा

सारांश

यह लेख भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के गजिराबंध जिला के छुरा ब्लॉक के क्षेत्र अध्ययन पर आधारित है जिसके अन्तर्गत यह दर्शाया गया है कि भारत सरकार की नई पहल, जो आम तौर पर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन आर एल एम) के नाम से जानी जाती है, आय उत्पादन के माध्यम से गरीबी उम्मूलन में कार्य कर रही है । यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस जी एस वाई) के पुनर्गठन के अंतर्गत 1 अप्रैल, 2013 से देश के सभी 29 राज्यों में एन आर एल एम प्रारंभ किया गया, यद्यपि इसे (एन आर एल एम) शुरुआती तौर पर 3 जून, 2011 को केवल राजस्थान में ही वह भी सिर्फ बांसवारा जिले में ही प्रारंभ किया गया था । यह एन आर एल एम एक नया कार्यक्रम है, अतः पाठकों के लाभ के लिए एन आर एल एम की मुख्य विशेषताओं को यहाँ प्रस्तुत किया गया है -

कुंजी शब्द : ब्याज दर में छूट, एन आर एल एम एवं स्वयं सहायता समूह (एस एच जी एस)

परिचय :

आजादी के बाद गरीबी उन्मूलन के लिए, रोजगार सृजन हेतु भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने समय-समय पर ग्रामीण युवाओं के लिए बहुत स्व-रोजगार कार्यक्रम प्रारंभ किए । ग्राम-स्व-रोजगार योजना (एस.जी.एस.आई) इनमें से एक मुख्य स्व-रोजगार कार्यक्रम था जिसे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन आर एल एम) या आजीविका नाम दिया गया है । 01 अप्रैल, 2013 को आजीविका को देश के सभी 29 राज्यों में प्रारंभ किया गया, यद्यपि शुरुआती तौर पर इसे 3 जून, 2011 को राजस्थान के बांसवारा जिले में प्रारंभ किया गया था ।

'एस जी एस वाई से संबंधित क्रेडिट संबंधित मुद्दों पर गहन विश्लेषण के लिए, आजीविका प्रारंभ करने से पहले प्रो. आर. राधाकृष्ण के नेतृत्व में भारत सरकार के द्वारा

* एसो. प्रोफेसर, एनआईआरडी एवं पीआर, हैदराबाद, तेलंगाना-ई-मेल : <shankarjagu@gmail.com>
* * वरिष्ठ संकाय सदस्य टीपीआईपी एवं आरडी, रायपुर, छत्तीसगढ़, ई-मेल : <sharmapmgsy@gmail.com>

एक समिति का गठन किया गया और इसके बाद एस जी एस वाई को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन आर एल एम) आजीविका के रूप में पुनर्गठन किया गया । उससे पहले, 1 अप्रैल 1999 को छः स्व-रोजगार कार्यक्रमों जैसे एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई आरडी पी), ग्रामीण क्षेत्र के महिलाओं एवं बच्चों का विकास (ड्वाकरा), स्व-रोजगार के ग्रामीण युवा परिजन (ट्राईसेम), ग्रामीण कारीगरों के लिए सुधार उपकरण किट (सिट्रा), लाख कुप योजना (एम डब्ल्यू एस) एवं गंगा कल्याण योजना (जी.के.वाई) विलय होकर एस जी एस वाई प्रारंभ किया गया था ।

एन आर एल एम की मुख्य विशेषताएँ :

आजीविका भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय का नया कार्यक्रम है, अतः इस भाग में एन आर एल एम की मुख्य विशेषताओं को प्रस्तुत किया गया है । सारांश को दिनांक 27 जुलाई 2013 को आरबीआई परिपत्र ''प्राथमिकता क्षेत्र ऋणदान- एस जी एस वाई का राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन आर एल एम)- आजीविका में पुनर्गठन'' किया गया है ।

स्व-सहायता समूहों के लिए 'केपिटल सब्सिड़ी' अवधारणा को समाप्त करना आजीविका का सबसे उल्लेखनीय बिंदू है, अन्यथा हम पाते हैं कि लगभग सभी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में यह लाभार्थियों के लिए एक प्रमुख वरदान था । अन्य मुख्य बिन्दू ये है कि आजीविका 'आबंटन आधारित रणनीति से मांग प्रेरित रणनीति' की तरफ मुड़ गया और राज्यों को भी स्वयं से योजनाओं को बनाने की स्वतंत्रता है ।

आजीविका का फोकस के अंतर्गत गांव के सभी गरीबों को समाविष्ट करना है और प्रत्येक गरीब परिवार की एक महिला को स्व-सहायता समूह में शामिल होने के लिए प्रेरित की जाये अर्थात पुरुष स्व-सहायता समूह को अनुमति न दी जाय परन्तु विकलांग व्यक्तियों, जहाँ पुरुष और / या मिश्रित (पुरुष और महिला) का स्व-सहायता समूह बनाया जा सकता है । बाद में स्व-सहायता समूह में ग्राम स्तर पर संघ बनना चाहिए और अगले स्तर के अन्तर्गत जैसे ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर इत्यादि पर संघ बनाए जाए । आजीविका के तहत स्व-सहायता समूह जो कम से कम 3 माह की अवधि के अन्तर्गत अस्तित्व में हैं उनके लिए परिक्रमी निधि (आर एफ) का प्रावधान है एवं 'पंचसूत्रा' के मापदण्डों को अर्थात नियमित रूप से बैठके, नियमित रूप से बचत, नियमित रूप से आंतरिक ऋण, नियमित रूप से वसूली एवं उचित लेखा पुस्तकों का रखरखाव आदि का पालन करना है । जिन स्व-सहायता समूहों ने अभी तक परिक्रमी निधि (आर एफ) प्राप्त

नहीं की हैं उन्हें परिक्रमी निधि संग्रह के रूप में दी जाएगी जिसके तहत प्रत्येक स्व-सहायता समूह को न्यूनतम 10,000 रुपये और अधिकतम 15,000 रुपये दिया जायेगा । परिक्रमी निधि का उद्देश्य उनकी संस्थागत और वित्तीय प्रबंधन क्षमता को मजबूत करना तथा समूह में एक अच्छा क्रेडिट इतिहास बनाना है । परिक्रमी निधि के अलावा, समुदाय निवेश समर्थन निधि (सी आई एफ) का भी प्रावधान हैं । सी आई एफ का उपयोग संघ के द्वारा स्वयं सहायता समूहों को अग्रिम ऋण प्रदान करने और /या आम/ सामूहिक सामाजिक आर्थिक गतिविधियों को शुरु करने के लिए किया जाता है । जैसे कि पहले ही वर्णन किया गया है, कि पूँजी सब्सिडी के लिए एन एल आर एम में कोई प्रावधान नहीं है परन्तु 'ब्याज की आर्थिक सहायता' बैनर तले 'ब्याज सब्सिडी' की अवधारणा को शुरु किया गया है । प्रत्येक स्वयं सहायता समूह सिर्फ 7 प्रतिशत दर की ब्याज पर अधिकतम रु. 3,00,000 रुपये ब्याज की आर्थिक सहायता ले सकता है और बाकी एन आर एल एम द्वारा वहन किया जाएगा । देश में निम्नलिखित दो तरीके से लाभ उठाया जा सकता है -

1) 150 निर्धारित जिलो में, सभी महिला स्वयं सहायता समूहों को बैंक 7 प्रतिशत ब्याज की दर से 3 लाख रुपये की एकत्रित राशि का ऋण देगी । स्वयं सहायता समूहों को शीघ्र भुगतान करने पर 3 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज आर्थिक सहायता मिलेगी, 4 प्रतिशत प्रभावी ब्याज दर भी कम कर दी जायेगी।

2) बाकी जिलो में, आजीविका अनुवर्ती महिला स्व-सहायता समूह, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एस आर एल एम) के अंतर्गत पंजीकृत होगी । ये स्वयं सहायता समूह भी संबंधित एस आर एल एम निर्धारित मानदण्डों के अधीन ब्याज पर छूट लेने की पात्र होगी और 3 लाख तक के ऋण के लिए 7 प्रतिशत ब्याज दर है । योजना के इस भाग को एस आर एल एम के द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा ।

यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि आजीविका का कार्यान्वयन मिशन मोड़ में है । आजीविका राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर मानव संसाधन को विशेषज्ञा बनाने में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एस आर एल एम) को सक्षम बनाता है । यह सतत क्षमता निर्माण, अपेक्षित कौशल प्रदान करने और ग्रामीण लोगों के लिए अवसर प्रदान करने के लिए संयोजन निर्माण करने पर जोर देती है । ऐसे ब्लॉक और जिले जहाँ आजीविका के सभी घटक कार्यान्वित किए जा चुके है वे गहन ब्लॉक और जिला, और बाकी अकाहन ब्लॉक और जिलो के नाम से जाना जाता है । जनसांख्यिकीय कमजोरियों के आधार पर

खण्ड़ों का चयन किया गया जो अगले 7-8 साल में चरणबद्ध तरीके से रोल आउट होगे । इस प्रकार देश के सभी ब्लॉक गहन ब्लॉक्स बन जाएगें ।

क्षेत्र से निष्कर्ष :

संसाधन ब्लॉक में आजीविका के कार्यान्वयन की जानकारी प्राप्त करने के लिए 28 मई 2015 को छत्तीसगढ राज्य के गरियाबंध जिले के छुरा ब्लॉक पर अध्ययन किया गया था । इस ब्लॉक की स्थापना 1960 को हुई थी और यह राज्य की राजधानी रायपुर से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है । इस क्षेत्र के दौरे के समय, यह सूचित किया गया था कि इस ब्लॉक के अंतर्गत 74 ग्राम पंचायत है और यह 712 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है । 2011 की जणगनणा के अनुसार इस क्षेत्र की जनसंख्या 1 लाख से अधिक थी । जिसमें 50 प्रतिशत आदिवासी जनसंख्या है । छत्तीसगढ़ में गहन ब्लॉक का चयन राज्य द्वारा ही किया जाता है और इसके लिए मई 2015 को विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्राप्त करने वाले राज्य परियोजना प्रबंधकों (11) के साथ-साथ भारतीय सिविल सेवा काडर से एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी को किया गया । आजीविका छत्तीसगढ़ में 'बिहान' (उगता हुआ सूरज) नामक बैनर तले कार्य कर रहा है जो 2012-13 से सक्रिय है । यह प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है : शुरुआत में ग्राम स्तर पर स्वयं सहायता समूह बनाए जाते है और उसके बाद स्वयं सहायता समूह संघ, ग्राम संगठन (वी ओस) बनाए जाते हैं तथा अगले स्तर पर ग्राम संगठन से ग्राम पंचायत स्तर क्लस्टर स्तर संघ (सी एम एफ) का निर्माण किया जाता है । अध्ययन के दौरान, यह रिपोर्ट किया गया था कि राज्य में कुल मिलाकर 30 संसाधन ब्लॉक बनाए गए उनमें से छुरा ब्लॉक भी एक है । छुरा में कुल मिलाकर 4 क्लस्टर स्तर, संघ (सी एल एफ) का निर्माण किया गया और रानीपर्तेवा क्लस्टर में अध्ययन किया गया था जहाँ 2012-13 से (समय-समय पर एस एच जी बनाए गए) 244 स्वयं सहायता समूह कार्य कर रहे है । इन 244 में से एन आर एल एम के तहत 213 स्वयं सहायता समूहों को परिक्रमी निधी (एक समय अनुदान) के अंतर्गत प्रत्येक को 15,000 रुपये की राशि दी जाती है । आगे, समग्र निधि को बढ़ाने के लिए, स्वयं सहायता समूहों की प्रगति और प्रदर्शन के आधार पर, 156 स्वयं सहायता समूहों को समुदाय निवेश निधि (सी आई एफ) के अन्तर्गत 50,000 रुपये का अनुदान दिया गया । यह देखा गया था कि प्रत्येक एस एस डी (156 एस एच जी) का कुल संग्रह 75,000 रुपये से 90,000 रुपये (स्वयं बचत, परिक्रमी निधि एवं समुदाय निवेश निधि) के मध्य था ।

आजीविका बिहान के तहत इस्तेमाल किए गए ऋण के बारे में आम धारणा के लिए, कुछ लाभार्थियों (बिहान महिलाओं के तहत) से सम्पर्क किया गया था और पाया गया कि सभी ऋण का उपयोग उचित भावना के लिए कर रहे है, ऋण के दुरुपयोग की कोई सूचना नहीं थी। माँ दुर्गा स्वयं सहायता समूह की सदस्य श्रीमती तारा साहू (ओ बी सी) का मामला भी यहाँ दर्शाया गया है। वह 10 वीं कक्षा पास हैं और वह अपने पाँच बच्चों के साथ संयुक्त परिवार में गंदलाबंद्रा गांव में रहती है। उनके घर के सदस्य कृषि कार्य से जुड़े थे क्योंकि उनके पास 2 एकड़ जमीन थी जिसमें केवल खरीफ में वे धान का उत्पादन करते थे। उसने मार्च 2014 को एस एच डी से 30,000 रुपये राशि संग्रह की निधि का ऋण लिया था और इसका उपयोग फसल उत्पादन जैसे एच वाई वी बीज खरीदने, फर्टिलाइजर आदि में उपयोग किया। धान का उत्पाद बढ़ाने वाले सभी निवेश का उपयोग किया गया, जहाँ पहले एक एकड़ ज़मीन पर 14 क्विंटल धान का उत्पाद होता था वह बढ़कर 27 क्विंटल तक पहुँच गया। अतः यह दोगुना लाभ का संकेत देता है। अतः यह देखा गया कि एन आर एल एम बिहान श्रीमती साहू जैसी बहुत सी महिलाओं और उनके परिवारों के जीवन में नई आशा की किरण लाया है।

निष्कर्ष :

चर्चा के दौरान, यह देखा गया है कि आन्ध्र-प्रदेश के एक स्त्रोत व्यक्ति ने पंचसूत्रठ के सिद्धान्तों, क्षमता निर्माण, आवश्यकतानुसार ऋण लेने जो आमतौर पर सूक्ष्म ऋण योजना (एम सी पी) के नाम से जाना जाता है आदि को अंतनिर्विष्ट करके एच एच जी को प्रोत्साहित करने के लिए सी एम एफ स्तर पर सरलीकृत करने वालों के रूप में कार्य किया है। इसके बावजूद, एन आर एल एम से संबंधित सदस्यों में जागरूकता स्तर कम था इसीलिए यह सुझाव दिया जाता है प्रचार पत्रिकाओं का वितरण, फिल्म प्रदर्शन, वीडियो प्रदर्शन, प्रदर्शन दौरा इत्यादि के माध्यम से अधिक से अधिक अभियान शुरु किया जाए। विस्तार रुप से बुनियादी ज्ञान के बिना, केवल ऋण की जानकारी प्राप्त करने से कोई लाभ नहीं होता है और भविष्य में सततता भी दांव पर रहेगी।

3. जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव व दुष्परिणाम (उत्तराखण्ड के विशेष संदर्भ में)

* डॉ. दलीप सिंह

सारांश :

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में बढ़ती जनसंख्या की समस्या अत्यन्त जटिल व विकराल रूप लेती जा रही है । आबादी की विभीषिका देशवासियों की सुख-सुविधाओं एवं विकास में सबसे बड़ी बाधा है । यद्यपि पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि, उद्योग, विज्ञान आदि विभिन्न क्षेत्रों में आशातीत वृद्धि हुई है, फिर भी आज देश का विकास और बढ़ते उत्पादन के बाद भी गरीबी, भुखमरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, खाद्यान्न आदि की आवश्यकता पूरे करने में असमर्थता महसूस की जा रही है । इसने प्राकृतिक वातावरण के साथ-साथ विकास का सारा संतुलन बिगाड़ दिया है । किसी भी देश में तीन प्रमुख साधन होते हैं; भूमि, मानव और पूँजी । इन तीनों संसाधनों को मिलाकर सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था का निर्माण होता है । यदि उत्पादन एवं धन की कमी हो जाती है तो मानव शक्ति का विकास स्वयं रूक जाता हैं । जनसंख्या वृद्धि देश के सामने एक चुनौती बनकर उभरी है । यद्यपि सृष्टि में मनुष्य सबसे श्रेष्ठ प्राणी है किन्तु कोई भी वस्तु आवश्यकता से अधिक हो जाने पर उसका महत्व कम ही नहीं होता वरन् वह एक समस्या भी बन जाती है । बढ़ती जनसंख्या का प्रभाव पर्यावरण के साथ-साथ आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक हरेक क्षेत्र में भी देखने को मिल रहा हैं । यही कारण है कि लगातार बढ़ती जनसंख्या देश के लिए चिंता का विषय है ।

प्रस्तुत शोध पत्र में ''जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव एवं दुष्परिणाम (उत्तराखण्ड के विशेष संदर्भ में)'' के विषय में चर्चा की गई है ।

प्रस्तावना :

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में बढ़ती जनसंख्या की समस्या अत्यन्त जटिल व विकराल रूप लेती जा रही है । आबादी की विभीषिका देशवासियों की सुख-सुविधाओं एवं विकास में सबसे बड़ी बाधा है । यद्यपि पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि, उद्योग, विज्ञान आदि विभिन्न क्षेत्रों में आशातीत वृद्धि हुई हैं[1], फिर भी आज देश का विकास और बढ़ते उत्पादन के बाद भी गरीबी, भुखमरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, खाद्यान्न आदि की आवश्यकता पूरे करने में असमर्थता महसूस की जा रही है । जिसका प्रमुख कारण उत्पादन

* सहा. प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय चंद्रवदनी, मैखरी, टिहरी, गढ़वाल, उत्तराखंड

व विकास की तुलना में जनसंख्या वृद्धि का अधिक होना है । इसने प्राकृतिक वातावरण के साथ-साथ विकास का सारा संतुलन बिगाड़ दिया है । किसी भी देश में तीन प्रमुख साधन होते हैं; भूमि, मानव और पूँजी । इन तीनों संसाधनों को मिलाकर सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था का निर्माण होता है । यदि उत्पादन एवं धन की कमी हो जाती है तो मानव शक्ति का विकास स्वयं रूक जाता हैं ।[2] जनसंख्या वृद्धि देश के सामने एक चुनौती बनकर उभरी है । यद्यपि सृष्टि में मनुष्य सबसे श्रेष्ठ प्राणी है किन्तु कोई भी वस्तु आवश्यकता से अधिक हो जाने पर उसका महत्व कम ही नहीं होता वरन् वह एक समस्या भी बन जाती है । बढ़ती जनसंख्या का प्रभाव पर्यावरण के साथ-साथ आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक हरेक क्षेत्र में भी देखने को मिल रहा हैं । यही कारण है कि लगातार बढ़ती जनसंख्या देश के लिए चिंता का विषय है । जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में चीन के बाद दूसरे स्थान पर आता है वर्तमान समय में भारत की जनसंख्या एक अरब से अधिक है जिसमें 62.37 करोड़ पुरुष एवं 58.64 करोड़ महिलाएं है ।[3] गरीबी के आँकड़ों में जहाँ देशभर में मामूली कमी आयी है, वही उत्तर-प्रदेश व उत्तराखण्ड में गरीबों की संख्या में वृद्धि आंकी गई है । 11 वीं पंचवर्षीय योजना के प्लान डॉक्युमेंट में इस तथ्य का खुलासा किया है, सर्वेक्षण में गरीबों की संख्या 35 लाख 96 हजार आँकी गई है, जो कि राज्य के विकास के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में है ।[4]

उत्तराखण्ड में जनसंख्या की स्थिति :

भौगोलिक दृष्टि से उत्तराखण्ड का कुल क्षेत्रफल 53,483 वर्ग कि.मी. है जिसमें कृषि योग्य भूमि मात्र 13.5 प्रतिशत है वर्तमान समय में राज्य की जनसंख्या 1.01 करोड़ है जिसमें 51.54 लाख पुरुष व 49.62 लाख महिलाएँ है ।[5] ऐसी स्तिति में राज्य के सामने खाद्यान्न के साथ-साथ लोगों की आवश्यक आवश्यकताएं पूरी करना आसान कार्य नहीं है । बढ़ती जनसंख्या की जरूरतों पेयजल, स्कूल कालेज, बिजली, स्वास्थ्य, सड़क, यातायात के साधन, स्वास्थ्य सुविधायें आदि की जरूरतें लगातार बढ़ती ही जा रही है औ्र राज्य के सम्मुख अनेक चुनौतियों में जनसंख्या वृद्धि भी एक है । राज्य के पास संसाधनों की कमी नहीं थी किन्तु तकनीकी विकास एवं जनसंख्या वृद्धि के कारण संसाथन सीमित होते चले गये । जहाँ कभी बरसाती छप्पर (छानी) हुआ करते थे आज स्थाई निवास बन गये है । जहाँ 1991 में उत्तराखण्डड़ में जनसंख्या घनत्व 133 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. था वहीं 2001 में बढ़कर 159 व्यक्ति तथा 2011 में 183 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. हो गई है । यानि 1991 से 2011 में 56 व्यक्ति प्रति वर्ग की.मी. की बढोत्तरी हुई है । यद्यपि 1981-91 में 23-24 प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि की तुलना में 2001-2011 में 19.17 प्रतिशत रही है,

जो कि 5.06 प्रतिशत कम है । जनसंख्या की दृष्टि में उत्तराखण्ड देश का 20 वाँ राज्य है ।[6] यदि राज्य की जनसंख्या इसी गति से बढ़ती गई तो लोग बुनियादी जरूरतों के लिए भी मोहताज हो जायेंगे । बढ़ती जनसंख्या आज राज्य के लिए ही नहीं वरन् संपूर्ण राष्ट्र के लिए एक चिंतनीय विषय है । यद्यपि विकास के बड़े-बड़े दावे किये जाते हैं लेकिन सच्चाई यह है कि स्वतंत्रता के 65 तथा राज्य निर्माण के 15 वर्षों बाद भी राज्य के हजारो लोग अपनी मूलभूत सुविधायें जैसे, यातायात, शिक्षा, रोजगार, पेयजल, स्वास्थ्य आदि से महरूम है । बढ़ती जनसंख्या का प्रभाव पर्यावरण के साथ-साथ आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक हरेक क्षेत्र में देखने को मिल रहा है । राज्य में जनपदवार क्षेत्रफल, जनसंख्या वृद्धि, घनत्व, लिंगानुपात एवं साक्षरता का विवरण निम्न सारणी से स्पष्ट हो जाता है :

सारणी - 1 : जनपदवार क्षेत्रफल, जनसंख्या वृद्धि, घनत्व, लिंगानुपात एवं साक्षरता की स्थिति :

क्र. क्र.	जिले का नाम	जिले का मुख्यालय	जनसंख्या 2011	विकास दर (प्रतिशत में)	लिंग अनुपात	साक्षरता	क्षेत्र वर्ग कि.मी.	घनत्व वर्ग कि.मी.
1.	अल्मोड़ा	अल्मोडा	622506	-1.28	11.39	80.47	3090	198
2.	बागेश्वर	बागेश्वर	259898	4.18	1090	80.01	2310	116
3.	चमोली	गोपेश्वर	391605	5.74	1019	82.65	7692	49
4.	चम्पावत	चम्पावत	259648	15,63	980	79.83	1781	147
5.	देहरादून	देहरादून	1696694	32.33	902	84.25	3088	550
6.	हरिद्वार	हरिद्वार	1890422	30.63	880	73.43	2360	817
7.	नैनीताल	नैनीताल	954605	25.13	934	83.88	3853	225
8.	पौड़ी गढ़वाल	पौड़ी	687271	-1.41	1103	82.02	5438	129
9.	पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	483439	4.58	1020	82.25	7110	69
10.	रुद्रप्रयाग	रुद्रप्रयाग	242285	6.53	1114	81.3	1896	119
11.	टिहरी गढ़वाल	नई टिहरी	618931	2.35	1077	76.36	4085	169
12.	उधमसिंह नगर	रुद्रपुर	1648902	33.45	920	73.1	2912	648
13.	उत्तरकाशी	उत्तरकाशी	330086	11.89	958	75.81	7951	41

स्त्रोत : भारत की जनसंख्या - 2011

उत्तराखण्ड में साक्षरता की स्थिति :

जीवन की शुरुआत तथा सुसंस्कृतिक पारिवारिक तथा सामाजिक जीवन के लिए महिलाओं का शिक्षित होना सबसे अधिक जरुरी है । जनसंख्या पर रोक लगाने तथा परिवार में सदस्यों की संख्या सीमित रखने के लिए महिला शिक्षा अनिवार्य है । लेकिन उत्तराखण्ड में महिला शिक्षा को संतोषजनक नहीं कहा जा सकता है । जिसका अनुमान निम्न सारणी से लगाया जा सकता है -

सारणी 2 **: साक्षरता दर 1951-2011**

वर्ष	व्यक्ति	पुरुष	महिला
1951	18.93	32.15	4.78
1961	18.05	28.17	7.33
1971	33.26	46.95	18.61
1981	46.06	62.35	25.00
1991	57.75	72.79	41.63
2001	72.28	84.01	60.26
2011	79.63	88.33	70.70

स्त्रोत : भारत की जणगणना-2011,उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा, पृष्ठ - 29, साख्यकी डायरी-2011

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि अभी भी राज्य में साक्षरता की स्थिति संतोषजनक नहीं है, क्योंकि सरकारी एवं गैर सरकारी प्रयासों के बावजूद वर्ष 2011 में उत्तराखण्ड में साक्षरता का प्रतिशत 79.63 है, यद्यपि 1951 में उत्तराखण्ड में सिर्फ 18.93 प्रतिशत आबादी ही साक्षर थी । इस दृष्टि से 2011 की उपलब्धि उत्साहवर्धक कही जा सकती है फिर भी राज्य की लगभग 20.37 प्रतिशत आबादी अभी भी निरक्षर है और यदि महिलाओं की साक्षरता की स्थिति पर नजर दौडाए तो 1951 में 4.78 प्रतिशत की तुलना में 2011 में 70.70 प्रतिशत साक्षरता को काफी अच्छा माना जा सकता है ।[7] लेकिन अभी भी 29.3 प्रतिशत महिला आबादी निरक्षर है जो कि काफी चिंतनीय है । (वास्तविकता इससे काफी भिन्न है साक्षरता में उन लोगों के नाम भी सम्मिलित किये जाते है जिनको मात्र अपना नाम लिखना आता है यहाँ तक कि अगर किसी का नाम सुशीला है तो वह शीला नहीं लिख सकती है, जबकि साक्षरता वाले व्यक्ति को लिखना-पढ़ना आना चाहिए)

जनसंख्या वृद्धि निरक्षर, गरीब तथा धर्म के आड़ में कट्टरता वाले लोगों में बहुत अधिक पायी गयी है । इसलिए जब तक पूरी आबादी साक्षर नहीं हो जाती है जनसंख्या नियंत्रण की कल्पना भी नहीं की जा सकती है । उत्तराखण्ड में पुरुषों की तुलना में महिलाओं का साक्षरता प्रतिशत 23.79 कम है और ज्यों-ज्यों हम शिक्षा के ऊपरी स्तर की ओर बढ़ते है महिला शिक्षा का स्तर घटता जा रहा है । जो महिलाओं की उपेक्षा को उजागर करता है । लेकिन जब तक महिला शिक्षा को प्रोत्साहित नही किया गया और 100 प्रतिशत साक्षरता (वास्तविक) के साथ महिलायें जागरुक नहीं हुई तब तक जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगा पाना असंभव है । जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव किसी एक क्षेत्र पर पड़ा हो ऐसा भी नहीं है, वरन् जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इसका प्रभाव देखने को मिलता है ।

जनसंख्या वृद्धि के दुष्प्रभाव :

किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या उसकी सबसे बहुमूल्य पूंजी होती है जो अपने उपयुक्त आकार व क्षमतानुसार श्रमशक्ति को जन्म देती है । श्रमशक्ति किसी क्षेत्र के विकास के लिए एक आवश्यक तत्व है । वास्तव में जनसंख्या के उपयुक्त आकार एवं उसकी श्रेष्ठ गुणात्मक विशेषताओं के कारण ही कोई भी क्षेत्र तरक्की कर सकता है । इसके अभाव में कोई भी क्षेत्र समग्र विकास नहीं कर सकता । जनसंख्या के अनुपात में रोजगार के साधनों का विकास किया जाना भी आवश्यक है जो कि उत्तराखण्ड राज्य में बहुत कम है और युवा श्रमशक्ति लगातार पलायन के लिए विवश है और इसका प्रभाव राज्य की महिलाओं, बच्चों, वृद्धों पर पड़ा है । जनसंख्या वृद्धि के कारण राज्य में गरीबी, बेरोजगारी, कुपोषण, अशिक्षा, भूखमरी आदि समस्यायें बढ़ती ही जा रही है । यद्यपि बढ़ती जनसंख्या को देखते हुये कृषि, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर पर्याप्त धन व्यय किया जा रहा है । खाद्यान्न, कपड़ा, मकान, स्कूल, अस्पतालों में लगातार वृद्धि हो रही है । गाँव-गाँव में स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उपकेन्द्र, ग्रामस्तर पर स्वास्थ्य कार्यकर्ता, स्कूलों का उच्चीकरण किये गए है लोगों को रोजगार उपलब्ध कराये जा रहे हैं, फिर भी ये सारी समस्यायें बढ़ती ही जा रही है । जनसंख्या के हिसाब से लोगों को मूलभूत आवश्यकतायें पूरी नहीं की जा रही है । भले ही आर्थिक विकास और मानव विकास दोनों अलग-अलग धारणायें हैं पर दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है । विकास का सही अर्थ संपूर्ण मानव जाति का एक समान विकास है जिसमें सभी को समानता के साथ अधिकारों की प्राप्ति हो, रोजगार मिले, जाति व समाज का सर्वांगीण विकास हो, गरीबी, कुपोषण, भ्रष्टाचार, अनैतिकता, अपराधीकरण आदि बुराईयां समाज से दूर हो औ्र लोगों में असंतोष न बढ़े । किन्तु आज जिस गति से जनसंख्या बढ़ रही है

उससे गरीबी, कुपोषण, भ्रष्टाचार, अनैतिकता, चोरी, डकैती, गुंडागर्दी, अपराधीकरण, क्षेत्रीयता, नस्लवाद, जातिवाद, आतंकवाद जैसी तमाम बुराइयां समाज में तेजी से बढ़ रही है । संस्कृत में कहावत है कि 'बुभुक्षितः किं न करोति पापम्'' सामाजिक जीवन में ऐसा सर्वत्र देखने को मिल रहा है ।''[8] संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में जारी एक अपील में कहा गया था कि, ''मानव जाति के सम्मुख मुख्य समस्या युद्ध के बचाव की नही बल्कि जनसंख्या वृद्धि, भूख और प्रदूषण की है ।''[9] जनसंख्या वृद्धि के कारण निम्न समस्यायें पैदा हुई है -

पर्यावरण संरक्षण की समस्या :

मनुष्य और प्रकृति का सृष्टि रचना के समय से ही गहरा संबंध रहा है तथा विकास की समस्त क्रियायें भी प्रकृति में ही संपन्न होती है । हमारे चारों ओर का वातावरण एवं परिवेश जिसमें पेड़-पौधे अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं । जिस धरती पर जीवन की सभी क्रियायें संपन्न होती है । जिस पानी को पीकर जीवधारी अपनी प्यास बुझाते है और जिस हवा में साँस लेकर जीवन की संपूर्ण क्रियायें फलीभूत होती है वे सभी मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं । लेकिन यदि हम पिछली सदी पर दृष्टिपात करें तो यह बात स्पष्ट रुप से सामने आती है कि जनसंख्या की बेतहाशा वृद्धि के कारण पर्यावरण पर दबाव इतना अधिक बढ़ गया है कि प्रकृति में अनेकों विकृतियां उत्पन्न हो गई है, जिससे मनुष्य जीवन विभिन्न प्रकार के विकारों एवं बीमारियों से त्रस्त हो गया है । मानव ज्यों-ज्यों सभ्य होता गया उसने विकास की नई-नई तकनीकी विकसित करके अपने विकास एवं उत्थान का रास्ता प्रशस्त किया, किन्तु जहाँ विकास ने उसे ढेरों लाभ पहुंचाये हैं वहीं प्रकृति के अनियमित एवं अधिक से अधिक लाभ प्राप्ति के चक्कर में उसने पर्यावरण का इतना विनाश किया कि आज मनुष्य जीवन के सम्मुख एक सी एक चुनौतियां पैदा हो गई है, जिनके मूल में तीव्र गति से हो रही जनसंख्या वृद्धि ही है ।

मानव, उस प्रकृति जो उसकी माँ है, जननी है, की सौम्यता, सदाशयता व सुन्दरता के साथ बराबर खिलवाड़ कर रहा है उसे तनिक भी चिंता नहीं है कि जिस प्रकृति से उसकी समस्त बुनियादी आवश्यकतायें पूरी होती है अपने भोग्यत्व भावनाओं और तृष्णा के वशीभूत होकर उसे ही लूटे जा रहा है, महात्मा गाँधी ने कहा था कि ''यह धरती अपने प्रत्येक निवासी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यथेष्ठ साधन उपलब्ध करती है परन्तु व्यक्ति के लालच की पूर्ति नहीं कर सकती है ।10 आज देश में जनसंख्या की आवश्यकतापूर्ति के लिए वैज्ञानिक खोजों के द्वारा नई-नई तकनीकी विकास और विभिन्न प्रकार की रासायनिक खादों एवं कीटनाशक दवाओं के कारण लगातार पर्यावरण प्रदूषण

की गति बढ़ती ही जा रही है । जहाँ एक ओर औद्योगिकीकरण के कारण वनों का लगातार विनाश जारी है वहीं दूसरी ओर उनसे निकलने वाली विशाक्त गैसों, औद्योगिक कचरा आदि से भूमि, जल, एवं वायु प्रदूषण बढ़ते जा रहे है । यातायात की सुविधाओं में प्रयोग आने वाली करोड़ो मोटर गाडियों द्वारा छोड़े गए धुऐ ने पूरे वातावरण में प्रदूषण को इतना अधिक बढ़ा दिया है कि सांस लेना भी दुभर हो गया है । फलस्वरूप श्वसन, आँखों एवं फेफड़ों की अनेकों जानलेवा बीमारियाँ बढ़ती जा रही है । जनसंख्या वृद्धि की जरूरतों को पूरा करने के लिए भूमि, कृषि, पशुपालन एवं अन्य आर्थिक एवं सामाजिक कार्यों के लिए स्थान की आवश्यकता पड़ती है ऐसे कार्यों के लिए वह वनों को साफ करतका है, वन्य जीवों को मारता है, बाँध, नहरें, सड़कें, रेलमार्ग, उद्योग, सरकारी भवन आदि के लिए वनों का शोषण एवं दोहन करता है ।[10] यहीं कारण है कि आज प्राकृतिक आपदायें जैसे, जलसंकट, भीषण गर्मी, तूफान, भूस्खलन, बाढज, सुनामी आदि विभिन्न समस्यायें उत्पन्न हो गई है । स्काटलैंड के वैज्ञानिक राबर्ट चैम्बर्स ने ठीक ही कहा है कि 'वन नष्ट होते हैं तो जल नष्ट होता है, पशु नष्ट होते हैं तो उर्वरता विदा हो जाती है और तब ये पुराने प्रेत के पीछे एक प्रकट होने लगते हैं, बाढ़, सूखा, आग, अकाल और भूखमरी ।[11] अतः जब तक जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण नहीं लगाया गया तब तक पर्यावरण की समस्या का हल होना असंभव है ।

पेयजल की समस्या :

जल मानव जीवन की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है जल के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है, किन्तु आज मनुष्य जीवन के सामने जल संकट की समस्या सबसे विकराल रूप में खड़ी हो गई है । वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 2050 तक पृथ्वी पर हर तीसरा व्यक्ति जल के अभाव में ग्रस्त होगा । भले ही पृथ्वी में उपलब्ध समस्त जल की मात्रा को देखते हुए कहा जा सकता है कि जल एक असमाप्तेय प्राकृतिक स्त्रोत है जिसकी कमी हो ही नहीं सकती है, किन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है । पृथ्वी का दो तिहाई भाग जल का होते हुए भी इसमें मानव उपभोग्य योग्य जल की मात्रा बहुत कम है । बढ़ती जनसंख्या के कारण जहाँ एक ओर जलस्त्रोतों पर दबाव बढ़ता जा रहा है वहीं जल प्रदूषण एवं वनों के विनाश के कारण कुछ प्राकृतिक जलस्त्रोत सूख चुके हैं और अधिकतर जल स्त्रोत संकटग्रस्त है । यही कारण है कि आज देश के विभिन्न भागों में जलसंकट की समस्या विकराल रूप धारण कर चुकी है । इस दुर्लभ संसाधन के आवंटन और नियंत्रण को लेकर तनाव, लड़ाई-झगड़े, संप्रदायों, प्रदेशों और राज्यों के बीच विवाद चल रहे हैं। यही नही आये दिन पानी भरने को लेकर लोगों में विवाद आम हो गया है ।

हमारे देश में स्वतंत्रता के बाद तीव्र गति से हो रहे औद्योगिकीकरण तथा गहन कृषिकरण के फलस्वरूप जल स्तरों के प्रदूषण की समस्या अत्यधिक रूप से बढी है। गंगा-यमुना जैसी जीवनदायिनी नदियाँ, जिनको भारतीय संस्कृति में मोक्ष एवं पापों के निवारणकर्ता के रूप में माना गया है और पुराणों में कहा गया है, ''गंगे तव दर्शनात मुक्ति''। लेकिन आज सामाजिक मूल्यों और जीवन शैली में इतना अभूतपूर्व परिवर्तन हो गया है कि राजा भागीरथ के पुरखों का कलुष धोने वाली गंगा, शहरों का मलमूत्र व फैक्ट्रियों का कचरा ढोते-ढोते इतनी प्रदूषित हो गई है कि उसका पानी पीने योग्य तो दूर नहाने योग्य तक नहीं रहा। जल प्रदूषण के प्रमुख कारण बढ़ती जनसंख्या के द्वारा विभिन्न प्रकार के घरेलू कार्यों जैसे, भोजन बनाने, शौचालयों, नहाने, कपड़े धोने, शहरों का अवशिष्ट पदार्थ, कूड़ा, करकट, मलमूत्र एवं विभिन्न प्रकार के उद्योगों से धात्विक तत्व तथा अनेक प्रकार के अम्ल, क्षार, तेल, लवण, वसा, तथा कृषि कार्यों में प्रयुक्त किये जा रहे कीटनाशक विषैले पदार्थ प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से जलमार्गों द्वारा नदियों में मिल जाते हैं, जो कि जल प्रदूषण को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। यही कारण है कि प्रतिवर्ष लाखों लोग प्रदूषित जल पीने के कारण जानलेवा बीमारियों से त्रस्त है।[12]

रोजगार की समस्या :

बढ़ती जनसंख्या के कारण बेरोजगारी की समस्या भी दिनोंदिन गम्भीर रूप धारण कर रही है। बेरोजगारी देश के ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में पायी जाती है। बढ़ती जनसंख्या का परिणाम है कि हमारे देश में कुशल और अकुशल दोनों ही तरह के बेरोजगार करोड़ों की संख्या में है इतना ही नहीं बहुत से हाथों को नियमित रूप से काम नहीं मिलता। हमारी वर्तमान विकास दर बढ़ती आबादी की आवश्यकताओं को पूरा करने में अपर्याप्त है।[13] आज भी करोड़ो लोग ऐसे हैं जिन्हें सप्ताह में एक दिन भी रोजगार नहीं मिलता है। यद्यपि पंचवर्षीय योजनाओं में रोजगार के विभिन्न अवसरों की वृद्धि की गई, किन्तु बेरोजगारी का आकार तेजी से बढ़ा है। आज हमारे सामने बेरोजगारी की समस्या भयंकर रूप से बढ़ी है, रोजगार कार्यालयों में काम के लिए पंजीकरण करवाने वालों की संख्या प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है, शिक्षित, अर्द्धशिक्षित, कुशल, अर्द्धकुशल बेरोजगारों की एक फौज खड़ी है [14] अब स्थिति यह है कि अशिक्षित बेरोजगार तथा कुछ शिक्षित बेरोजगार इन कार्यालयों में अपना पंजीकरण करवाते ही नहीं है, क्योंकि रोजगार कार्यालयों में पंजीकरण के बाद भी जब लोगों को रोजगार उपलब्ध नहीं हो पाता है तो युवावर्ग का पंजीकरण के प्रति उदासीन हो जाना स्वाभाविक ही है। जबकि बेरोजगारों की संख्या आँकडों की तुलना में कई गुना अधिक है। बेरोजगारी की समस्या से जुड़ी सबसे

दुखद और भयावह पहलू यह है कि इन युवकों का अराजक, अपराधिक, चोरी, डकैती, अपहरण, आतंकवाद जैसी प्रवृत्ति मे सलिप्तता बढ़ती ही जा रही है ।

आवास की समस्या :

बढ़ती आबादी के लिए आवास की सुविधायें भी अधिक होनी चाहिए, किन्तु जनसंख्या वृद्धि की तुलना में आवास की सुविधायें नहीं कही जा सकती है । पर्याप्त आवासीय सुविधा के अभाव में नागरिकों की कार्यकुशलता एवं स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही है जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के कारण देश में आवासीय समस्या निरंतर गंभीर होती जा रही है । [15] गाँवों की आबादी भी विभिन्न सुख-सुविधाओं के मोह में तेजी से शहरों की ओर पलायन कर रही है, जिससे एक ओर ग्रामीण महिलाओं पर कार्यबोझ बढा है और गाँव बंजर होते जा रहे है वहीं दूसरी ओर शहरों की सामाजिक संरचना ध्वस्त होती जा रही है और शहरों के नजदीकी गाँव नगरीयकरण में विलुप्त हो गये हैं । सड़कों के किनारे लोगों में हुजूम जहाँ-तहाँ देखा जा सकता है जो कि आवास के बिना गर्मी-सर्दी में मरने के लिए बेबस है ।

अन्य समस्यायें :

लगातार बढ़ती जनसंख्या के कारण खुले स्थान मिलने मुश्किल होते जा रहे है, जंगल दूर-दूर तक नहीं दिखाई देते है यातायात के साधनों में वृद्धि से जहाँ प्रदूषण की समस्या बढ़ी है वहीं सड़कों के निर्माण ने पहाड़ी क्षेत्रों को जर्जर बना दिया है जिस से भूस्खलन, भूरक्षण एवं बाढ़ की समस्यायें उत्पन्न हो गई है । जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण उत्तराखण्ड में जून 2011, जून 2013 में आई भयंकर आपदा है । जिसके कारण विभिन्न सड़क मार्ग, गाँव के गाँव उजड़ गए, केदारनाथ मंदिर तथा आसपास की बस्ती का बाढ़ में समा जाना, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ आदि स्थानों में हजारों लोगों का बहना, दब जाना तथा लापता हो जाना एक बड़ी भारी क्षति है । यही कारण है कि उत्तराखण्ड की सड़के आज भी दुर्घटना को न्यौता दे रही है । यही नही बढ़ती जनसंख्या के कारण रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों, चिकित्सालयों, सुलभ शौचालयों, सिनेमा हॉल, राशन की दुकानों, पानी के स्त्रोतो व स्टैंड पोस्ट आदि स्थानों पर भारी भीड़ आसानी से देखी जा सकती है । जिससे लोग मानसिक तनाव व विभिन्न प्रकार की कुंठाओं के शिकार हो जाते हैं । फलस्वरूप समाज में अनेकों बुराइयाँ व्याप्त हो गई है, जिससे जीवन स्तर लगातार गिरता जा रहा है । देश में जहाँ विकास के अधिक साधन जुटाये जा रहे हैं वहीं गरीबी, भूखमरी, कुपोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल आदि समस्यायें बढ़ती ही जा रही है । यानि जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में हम सुविधाओं को जुटाने में असफल होते जा रहे है ।

अतः यदि जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण पाना है तो ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा व स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं का पर्याप्त विकास करना होगा । जनसंख्या विज्ञानी और अर्थशास्त्री लगातार इस बात को रेखांकित करते रहे है कि जनसंख्या विस्फोट किसी भी क्षेत्र के लिए एक बड़ी बाधा है । जनसंख्या नीति के तहत प्रत्येक दंपति को दो बच्चों की अधिकतम सीमा तक सीमित रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, किन्तु यदि हम पिछले वर्षों पर ध्यान दें तो जनसंख्या नीति, परिवार नियोजन कार्यक्रम के बाद भी लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सका है । जिसका एक प्रमुख कारण अशिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, रूढ़िवादिता, धार्मिक कट्टरता, गरीबी आदि है । (यद्यपि मैं स्पष्ट कर दूँ कि जहाँ हम जनसंख्या वृद्धि के लिए उपर्युक्त कारणों को जिम्मेदार मानते हैं वहीं संसद में पहुँचे माननीय जो कि शिक्षित भी है और समाज में एक रुतवा भी रखते हैं, इस रोग को बढ़ाने में पीछे नहीं है) इसके अलावा संसद में प्रतिनिधियों के लिए दो बच्चों की अनिवार्यता का कानून बनाया जाना चाहिए जहाँ कई राज्यों में पंचायत तथा नगरपालिकाओं में प्रतिनिधियों के लिए यह कानून लागू किया जा चुका है वहीं देश की सबसे बड़ी संस्था संसद की बात आती है तो वह ऐसा कानून पारित करना ही नही चाहते है जो उनके लिए ही चुनाव लड़ने में बाधक बन जाए । जहाँ शिक्षा के अभाव के कारण जनसंख्या नियंत्रण के कारणों को पर्याप्त प्रचारित नहीं किया जा सका है वहीं स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव के कारण जनसंख्या नियंत्रण के उपायों को लक्ष्य तक नहीं पहुँचाया जा सका है । अतः जनसंख्या के विषय में हमारी सरकारों को पूरी ईमानदारी से सोचना होगा और समाज के बीच स्वयं उदाहरण पेश करना होगा तभी इस समस्या पर नियंत्रण पाया जा सकता है ।

संदर्भ :

1. ओझा, शंकरदत्त; 1987 **प्राचीन भारतीय परंपरा और जनसंख्या शिक्षा** (भास्कर मिश्र द्वारा सम्पादित पुस्तक जनसंख्या शिक्षा सिद्धान्त एवं वृद्ध जनसंख्या केन्द्र उ.प्र. लखनऊ, पृष्ठ - 12-13
2. साहनी, निर्मल : **जनसंख्या शिक्षा, परिभाषा**, उद्देश्य, अंग, महत्व, संदर्भ-1, पृष्ठ-1
3. भारत की जनगणना-2001; **प्रतियोगिता साहित्य सीरीज**, साहित्य भवन पब्लि. आगरा, पृष्ठ-1
4. जैड़ा मैदन, **उत्तराखण्ड-यूपी में बढ़ा गरीबी का ग्राफ,** अमर उजाला 31 अक्टूबर, 2007 बुधवार, देहरादून
5. **पंचायती राज प्रशिक्षण : संदर्भ सामग्री**, उत्तरांचल ग्राम्य विकास संस्थान, रुद्रपुर, उधमसिंहनगर, पृष्ठ-1
6. संदर्भ संख्या- 5, पृष्ठ-1
7. संदर्भ संख्या- 3, पृष्ठ-9
8. त्रिपाठी, विश्वनाथ एवं शर्मा, किशोरी शरण; **जनसंख्या वृद्धि का जीवन की गुणवत्ता पर प्रभावः सामाजिक एवं सांस्कृतिक पहलू**, पृष्ठ-30
9. पचोरी नीरु; 1991, पर्यावरण प्रदूषण वन और महिलाएं, (अतुल शर्मा द्वारा (सं.) : **पर्यावरण और वन संरक्षण, समस्या एवं समाधान**, तक्षशिला प्रकाशन, नई दिल्ली पृष्ठ-37
10. सती. वी. पी.; 2000, **पर्यावरण और प्रदूषण,** पोइन्टर पब्लि. जयपुर, राजस्थान, पृष्ठ-37
11. नौटियाल, शिवानंद; 1997, **पर्यावरण समस्या और समाधान**, सामयिक प्रकाशन दिल्ली, पृष्ठ-195
12. **क्रानिकल**, पृष्ठ - 22-23
13. चन्द, नानक, **जनसंख्या और विकास**, योजना, जुलाई - 1998, पृष्ठ-3
14. पन्त, जीवन चन्द्र; **जनांकिकी**; गोयल पब्लि. हाऊस मेरठ, पृष्ठ-205
15. मित्तल, नीलम; **समकालीन भारत की प्रमुख सामाजिक समस्यायें,** प्रतियोगिता दर्पण, अगस्त- 1993, पृष्ठ-67

4. ग्रामीण पर्यटन : बेरोजगारी निवारक

*** आशीष कुमार तिवारी**

भारत देश गाँवों का देश है और यहाँ की 52 फीसदी आबादी आज भी गांवों में निवास करती है और उनके आजीविका का मुख्य साधन कृषि अथवा कृषि से संबंधित कार्य हैं जहां एक ओर पूरा विश्व तेजी से विकसित हो रहा है वहीं दूसरी ओर भारत एक ऐसे दोराहे पर खड़ा है जहाँ उसकी एक गलती उसे गरीबी और भूखमरी के कुचक्र की ओर ले जा सकती है, भारत एक गणराज्य है और यहाँ के निवासी स्वतंत्र हैं वे अपनी मर्जी से अपना कार्य चुनते हैं और यदि उन्हें अपने मन के अनुरूप कार्य नहीं मिलता तो वे बेरोजगार ही रह जाते हैं ऐसे में आवश्यक है कि यहाँ के निवासियों को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर प्रदान किये जाये अन्यथा यहाँ की कार्यशील जनता अकर्यमण्य हो जायेगी और ऐसी स्थिति में भारत गरीबी के कुचक्र में फँसता चला जायेगा । केवल गरीबी ही नहीं अपितु कार्यशील जनता कुछ ऐसा कार्य भी कर सकती है जो संपूर्ण मानव सभ्यता के लिये ही विनाशकारी हो ऐसे लोगों का असामाजिक तत्व फायदा उठा सकते है उन्हें आतंकवादी बना सकते है - अतः सरकार की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि वो यहाँ के निवासियों को उचित संसाधन मुहैया करवाये और साथ ही साथ ऐसा प्रबंध भी करे जिससे उन्हें रोजगार की प्राप्ति हो ग्रामीण पर्यटन ऐसा साधन बन सकता है । जिससे अधिक से अधिक ग्रामीण लाभान्वित हो सकते है क्योंकि सर्वाधिक छुपी बेरोजगारी तो ग्रामीण स्तर पर ही है । ग्रामीण स्तर पर यदि पर्यटन विकसित हुआ तो ग्रामीणों को ही सर्वाधिक फायदा होगा, ग्रामीणों की आय वृद्धि आय अधिक होगी तो वे आयकर चुकायेंगे, जिससे सरकार के पास अधिक पैसा आयेगा और विकास कार्यों में तेजी आयेगी ।

हमारा देश तेजी से विकास कर रहा है ऐसे में लोगों के पास पैसा बच रहा है जिससे लोग अब केवल, भोजन के ही विषय में नहीं सोचते, अपितु वे मनोरंजन के संबंध में भी सोचते है और यदि संभव हो तो वे मनोरंजनार्थ घुमने के लिये जाना पसंद करते है ।

भारत एक विशाल देश है और यहाँ पर्यटन की अपार संभावना है यहाँ एक ओर तो सांस्कृतिक विरासत है तो वहीं दूसरी ओर प्राकृतिक सौन्दर्य भी है ऐसे में यदि देखा जाए तो अनेक पर्यटन स्थल हैं परंतु अभी उन पर सरकारी ध्यान नहीं होने के कारण इन स्थानों को केवल वहाँ के लोग ही जानते हैं ।

*** जिला कार्यक्रम समन्वयक (साक्षर भारत) एम.ए.-भूगोल, इतिहास, ग्राम विकास**

जशपुर जिला छत्तीसगढ़ प्रांत के उत्तर-पूर्वी इलाके में स्थित है यहाँ कुछ पर्यटन स्थल हैं और यदि इन्हें सरकारी संरक्षण मिले अथवा यदि इनका सही विज्ञापन किया जाये तो ये देश में स्थान ले सकते है जिससे यहाँ के लोगों को रोजगार प्राप्त हो सकता है । यहाँ के कुछ विशेष पर्यटन स्थल है ।

01. **रानीदाह जलप्रपात :** जिला मुख्यालय से इसकी दूरी मात्र 15 कि.मी. है । यहाँ अत्यंत सुंदर जलप्रपात है जिसे देखकर लोग अपनी थकान भुला बैठते है । यहाँ की एक गाथा प्रचलित है । कहा जाता है कि उड़िसा राज्य की राजकुमारी अपनी शादी अपने पसंद के लड़के से करना चाहती थी परंतु उसके भईयों ने उसकी शादी अपने स्वार्थ हेतु वहाँ के एक राजकुमार के साथ तय कर दी और जबरदस्ती उसकी शादी करने लगे, तब राजकुमारी वहां से भाग गई और उस जलप्रपात तक पहुँची । उसके पीछे-पीछे उसके भाई भी उसे पकडने हेतु आये, ऐसे में राजकुमारी ने अपने भाईयों को पत्थर बनने का श्राप दिया और स्वयं इस जलप्रपात में कूद गई । राजकुमारी के श्राप के कारण उसके भाई पत्थर के रूप में परिवर्तित हो गये । पास ही पंचभईया नामक स्थान है जहाँ इन भाईयों की शैलआकृति देखी जा सकती है ।

02. **सिटोगा -** इस स्थान से 2 नदियों का उद्‌गम हुआ है श्री नदी और बाकी नदी । सिच–टोंगा जशपुर मुख्यालय से दूरी मात्र 5 कि.मी. की है । किवदंती है कि

पूर्वकाल में यहाँ श्री और बाकी नाम से दो भाई बहन रहा करते थे । वे एक दिन अत्यंत भुखे थे और भुख के कारण वे खाना खोजते खोजते एक सांप की बांबी में पहुँच गये । और उस बांबी में रखा अंड़ा खा गये परिणामतः वे धीरे धीरे सांप के रूप में बदल गये और उनमें दैवीय शक्ति आ गई परंतु फिर भी उनके परिजनों ने उन्हें अस्वीकार कर दिया । तब वे नदी के रूप में परिवर्तित हो गये और अलग अलग दिशा में बह गये । आज इस स्थान पर उन दोनों का मंदिर है और नागपंचमी के दिन इस स्थान पर मेला लगता है और ग्रामीण इनकी पूजा करते है ।

03. **मनसा माता मंदिर -** इस मंदिर की दूरी जिला मुख्यालय से मात्र 5 कि.मी. की है । यह मंदिर जंगल के बीचों बीच और पहाड़ के ऊपर स्थित है, ग्रामीणों की इस मंदिर में गहरी आस्था है कुछ लोग अपना इलाज करवाने भी यहाँ आते हैं ।

04. **गम्हरिया सोगड़ा आश्रम -** मुख्यालय से मात्र 3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है । प्रसिद्ध अघोर संत भगवान राम द्वारा स्थापित आश्रम है और इस आश्रम में अनेकों देवी देवताओं का मंदिर स्थित है । आस-पास के ग्रामीणों का आश्रम के प्रति गहरा लगाव है और वे नित्यप्रति आश्रम जाकर पूजा पाठ करते हैं ।

05. **गुल्लु फाल -** मुख्यालय से मात्र 45 कि.मी. की दूरी पर स्थित है । यह ईब नदी द्वारा बनाया गया प्राकृतिक स्थान है । लोग यहाँ पिकनिक मनाने के लिये आते है । यहाँ शीघ्र ही हाइड्रो पावर प्लांट लगनेवाला है । यह स्थान इतना आकर्षक है कि जो व्यक्ति यहाँ एक बार आ जाता है यहाँ बार-बार आना चाहता है ।

06 **देशदेखा -** यह स्थान जिला मुख्यालय से मात्र 22 कि.मी. की दूरी पर स्थित है । यह पहाड़ के उपर बसा सामान्य सा गांव है । परंतु यहां से नीचे कोसो दूर तक दिखाई देता है । इसलिए इस गांव का नाम देशदेखा पड़ा पर जनश्रुति के अनुसार यह गांव पहाड़ पर नहीं अपितु शिवलिंग पर स्थित है ।

07. **कोमड़ों -** जिला मुख्यालय से मात्र 5 कि.मी. की दूरी पर स्थित गांव है । यह गांव चारों ओर से पर्वत से घिरा हुआ है और इसके बीचो बीच एक डॅम बना हुआ है । यहाँ की प्राकृतिक छटा निराली है ।

08. **चरईडांड शिव मंदिर -** जिला मुख्यालय से मात्र 33 कि.मी. की दूरी पर स्थित है । यहाँ एक स्वयंभू शिवमंदिर है जिसका शिवलिंग आश्चर्यचकित ढंग से बढ़ता जा रहा है । ग्रामीणों की इस पर अत्याधिक श्रद्धा है । महाशिवरात्री के दिन यहाँ मेला लगता है।

09. **बेने डेम -** जिला मुख्यालय से इसकी दूरी मात्र 57 कि.मी. है । इब नदी द्वारा इसका निर्माण होता है । आस पास के ग्रामीण और निवासी यहाँ पिकनिक मनाते है । यहाँ पर अत्याधिक सुंदर प्राकृतिक दृश्य है ।

10. **कोतेबेरा -** जिला मुख्यालय से मात्र 70 कि.मी. की दूरी पर स्थित है । यहाँ एक शिवमंदिर भी स्थित है । इसके संबंध में गाथा प्रचलित है कि पाताल लोक जाने का रास्ता यही पर स्थित था और आज भी इसी रास्ते से सारे सांप आते जाते है । और यह तथ्य प्रामाणिक भी लगता है क्योंकि इस क्षेत्र में सांपों की संख्या

अत्याधिक है । यहाँ पर स्थित पहाड़ों पर दरवाजा की तरह आकृति दिखाई भी देती है । जिसे देखकर पुराने जानकार कहते हैं कि यही पाताल लोक जाने का दरवाजा है और इस रास्ते से ही पहले लोग पाताल आया जाया करते थे ।

11. **खुड़िया रानी -** जिला मुख्यालय की दूरी मात्र 12 कि.मी. है । यह एक गुफा है और इस गुफा में माँ खुड़िया रानी का निवास समझा जाता है । यह आश्चर्य की बात है कि यहाँ पूजा तो मातृशक्ति की होती है । परंतु अंदर मूर्ति किसी बौद्ध अथवा जैन संप्रदाय की है । जो जंजीरों से जकड़ी हुई किवदंती है कि एक बार बैगा माता को भोग लगाकर अपने घर लौट रहा था परंतु वह अपनी कोई वस्तु भूल गया । वह अपना सामान लेने

गया तो माता भोजन कर रही थी । उसी दिन से माता का कपाट बंद हो गया और वो अब दिखाई नहीं पड़ती । खुड़िया रानी वस्तुतः पहाड़ी कोरवाओं की देवी हैं पहाड़ी कोरवा उनकी विशेष ढंग से पूजा करते है जिसमें बलि देना भी शामिल है ।

12. **कैलास गुफा -** जिला मुख्यालय से इसकी दूरी मात्र 110 कि.मी. है संत गहिरा गुरु ने इसका निर्माण पहाड़ काटकर उसी प्रकार कराया है जिस प्रकार महाराष्ट्र में ऐलोरा का कैलास मंदिर है । यहाँ के ग्रामीणों ने इस मंदिर के प्रति गहरी आस्था है । संत गहिरा गुरु ने यहाँ एक संस्कृत विद्यालय की भी स्थापना की है ।

14. **टांगीनाथ -** जिला मुख्यालय से इसकी दूरी मात्र 55 कि.मी. की है । वस्तुतः यह झारखण्ड राज्य में पडता है । परंतु फिर भी यह महत्वपूर्ण पर्यटन केन्द्र है । यहाँ भगवान शिव का मंदिर है । यहाँ कुछ लोहे के औजार है, जैसे टांगी, त्रिशुल भाला इत्यादि जिस पर जंक नहीं लगता । यहाँ की एक किवदंती है कि

लोहार जाति के लोग यहाँ रात में रुक नही सकते क्योंकि एक बार कुछ लोहार जाति के लोग यहाँ के त्रिशूल को चुरा कर भाग रहे थे तभी दैवीय शक्तिपात हुआ और वे सभी मृत हो गये । तभी से लोहार जाति के लोगों का यहाँ रात्री में रुकना वर्जित है, और यदि वे इस स्थान पर रात्री में रुक जायेंगे तो वे जीवित नहीं रह पायेंगे । इस स्थान की अपनी ही महिमा है और लोगों की इसमें बड़ी आस्था है । यहाँ अनायास ही पूर्वकालिक समय के औजार और मूर्तियाँ मिल जाती है । अतः इस स्थान का पुरातात्विक सर्वेक्षण होना चाहिये ।

14. **रामरेखा -** यह स्थान जिला मुख्यालय से मात्र 50 कि.मी. की दूरी पर स्थित है । हालांकि यह झारखण्ड राज्य के सिमडेगा जिला में पड़ता है । यह स्थान भगवान राम के वनवास से जुड़ा है । किवदंती है कि भगवान राम ने अपने वनवास का कुछ समय यहाँ पर व्यतीत किया था । यहाँ उनका निवासगुफा सीता रसोई कुंड, सीता कुंड इत्यादि आज भी मौजूद है । यहाँ निरंतर पूजा होती रहती है ।

इस प्रकार यदि जशपुर जैसे छोटे से स्थान में 12-13 पर्यटन केन्द्र हो जाये तो यहाँ के निवासियों को रोजगार के कुछ अन्य विकल्प मिल सकेंगे जो इस प्रकार हैं -

1. **होटल :** लोग पर्यटन के उद्देश्य हेतु आयेंगे तो रूकने के लिये उन्हें होटल की आवश्यकता होगी जिससे अनेक लोगों को रोजगार मिलेगा ।
2. **भोजनालय** : भोजनालय के ररूइुप में अनेक लोगों को रोजगार मिलेगा ।
3. **गाइड :** जब भी कोई व्यक्ति किसी विशेष स्थान पर जाता है तो वह वहाँ के व्यक्ति को गाइड के रूप में अपने साथ रखता है ताकि वहाँ का व्यक्ति वहाँ से संबंधित जानकारी उसे दे । इस रूप में भी कमाई की जा सकती है ।

4. **टैक्सी :** घुमने के लिये गाड़ी की आवश्यकता होती है । अतः इस क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर खुल जायेंगे और लोगों को रोजगार मिलेगा ।

5. **ठेलागाड़ी :** जो व्यक्ति अत्यंत गरीब है वो भी ठेला गाडी के माध्यम से छोटा मोटा दुकान खोल कर कमा सकेगा और उसकी बेरोजगारी दूर होगी ।

अर्थव्यवस्था के बढ़ने के लिए धन का आना और धन का जाना आवश्यक है । अर्थव्यवस्था इसी प्रकार चलती है । यदि कोई एक व्यक्ति किसी क्षेत्र में आता है तो उसका प्रभाव निश्चित रूप से उस क्षेत्र पर पडता है, क्योंकि उस क्षेत्र में व्यक्ति आयेंगे तो खाना खायेंगे जिससे होटल के स्टाफ को जीवन चलेगा, होटल स्टाफ भोजन की व्यवस्था करेंगे जिससे दुकानदारों का जीवन चलेगा, राईस मिलरों का जीवन चलेगा, गोदाम मालिकों का जीवन चलेगा, परिवहन करने वालों का जीवन चलेगा, अन्न उगाने वाले का जीवन चलेगा । इस प्रकार धीरे-धीरे उस स्थान में रहने वाले लोग समृद्धि की ओर जाने लगेंगे और जैसे जैसे लोग समृद्ध होंगे वे अपने व्यवसाय को अधिक उंचाई की ओर ले जाने का प्रयास करेंगे । फलतः वे अन्य किसी गैर कानूनी कार्य में लिप्त नहीं होगे । ठीक से सरकार को कर अदा करेंगे और धीरे-धीरे पूरा का पूरा देश समृद्ध हो जायेगा । यह सब आसानी से पर्यटन के माध्यम से हो सकता है बस आवश्यकता है तो यह कि सरकार पर्यटन को उचित स्थान दे और उसका सही ढंग से प्रचार प्रसार करें ताकि लोग संबंधित स्थान के बारे में जान सकें ।

5. सम्पोषित ग्राम विकास में जैन दर्शन

* डॉ. दीपा जैन*

भूमिका :

जैन दर्शन सामान्य तौर पर धार्मिक चर्चा का विषय माना जाता है जिसका विकास से सीधा संबंध प्रस्थापित नहीं है । और है भी तो यह मात्र आध्यात्मिक व नैतिक विकास तक सीमित मान लिया जाता है । यहाँ लेखक ने इस नियत दायरे से बाहर निकल कर जैन दर्शन को मानवीय जीवन के संकलित पक्ष से जोड़कर विकास के पहलू को परिभाषित करने का प्रयास किया है । भारतीय परिप्रेक्ष्य में विकास को ग्राम विकास के साथ इसलिए रखा गया है क्योंकि आज भी देश के 60 प्रतिशत से अधिक लोग गांव में निवास करते हैं । राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजी ने गांवों को भारत की आत्मा कहा है । उनका मानना था कि भारत जैसे राष्ट्र का विकास उसके गांवों की उन्नति पर निर्भर है और ये राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की रीड़ है । सही मायनों में, गांव हम सभी की बुनियादी आवश्यकताओं- भोजन, वस्त्र, आवास व उद्योग हेतु कच्चा माल और इन सबसे बढ़कर शुद्ध हवा-पानी आदि की पूर्ति का एकमात्र विकल्प-रहित साधन हैं । इसलिए इस लेख के प्रथम भाग में गांवों की प्रमुख वर्तमान समस्याओं के संदर्भ में सम्पोषित ग्राम विकास के अभिगम और उसकी जरूरत को समझने का प्रयास किया गया है । दूसरेभाग में इन समस्याओं के निवारण तथा सम्पोषित ग्रामीण विकास के प्रतिमानों को स्थापित करने में जैन दर्शन की भूमिका को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है । अंत में गांधी जी सम्पोषित विकासलक्ष्मी अभिगम को साथ रखकर जैन दर्शन में निहित सम्पोषीय समाधान बतौर निष्कर्ष समझाया गया है ।

ग्रामीण विकास का मतलब है मानव जाति का समन्वित विकास, सामाजिक सभ्यता का विकास, पर्यावरणीय संतुलन, शांति-समृद्धि, ईमानदारी, नैतिक मूल्यों का बोलबाला । किन्तु आज आधुनिकीकरण व शहरीकरण को ही विकास का पर्याय मान लिया गया है । आर्थिक विकास और आधारभूत संरचना जैसे घटक केन्द्र में है तथा बाकी अति-आवश्यक घटक गौण बनकर रह गए हैं, उपेक्षित हो चले हैं जो वास्तविक विकास का आधार हैं । इसीलिए आर्थिक समृद्धि के बावजूद व्यक्ति के चेहरे पर खुशी नहीं है, नूर नहीं हैं, संतोष नहीं हैं, विश्वास नहीं है, प्रेम नहीं है । आज राष्ट्र की मुख्य समस्या सामाजिक समरसता का अभाव है जो गरीबी, बेकारी और भुखमरी से भी बड़ी मानी जा

* मानद-शोध निदेशक, जनसहभागिता विकास संस्थान, जयपुर

सकती है क्योंकि इसके दुष्प्रभाव बहुधा प्रत्यक्ष नहीं दिखते किन्तु समाज की जड़ों को अन्दर से खोखला बनाते रहते हैं । अधिकाधिक असीम आर्थिक समृद्धि की ओर दौड़ता मानव समुदाय जो पैसे के बल पर सभी कुछ खरीद लेने का दंभ करता है, वास्तव में निपट अकेला पाता है और अपने आप को । अगर उसके आसपास कोई होता है तो उसके चाटुकार होते हैं जो वैभव के विनशने के आसार के साथ ही समय से पहले किनारा करने लगते है और मझधार में ही उसका साथ छोड़ देते हैं । आज कमाने की मारामारी में रिश्ते-नाते, परस्पर लिहाज, विश्वास, प्रेम, मानवीय मूल्य, साथ रहने व काम करने की सद्भावना सभी कुछ पीछे छूट चले हैं । कोरा मान-कषायादिक दंभ व अहम इस कदर व्याप्त है जो लोगों की जमीनी हकीकत से वाकिफ नहीं होने देता और जो अंततः स्वस्थ समाज की रचना में बाधक सिद्ध हो रहा है । वर्तमान आधे अधूरे विकास अभिगम का इससे भी खतरनाक पक्ष संसाधनों के क्रूर निकंदन को बढ़ावा देना है जो असीमित वृहद-स्तरीय उत्पादन और भौतिकतावादी उपभोग व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए उत्तरदायी है जिसने समाज में अंतहीन होड़ को जन्म दिया है । मजे की बात यह है कि हम इसे ही विकास का प्रतिमान मान बैठे हैं ।

जैन दर्शन व सम्पोषित विकास : प्रमुख पहलू :

दर्शन का सामान्य अर्थ किसी विषय वस्तु पर लीक से अलग हटते हुए विशिष्ट एवं तार्किक तरीके से विचार करना है तथा अपनी समझ को स्पष्ट करना है । विकास के संदर्भ में यह कसौटी प्रासंगिक कही जा सकती है क्योंकि यह संयम के पटल पर मानव व्यवहारों का नियोजन एवं नियमन करती है । यहाँ चर्चा कर्मकांड की नहीं है और न ही धार्मिक मान्यताओं की है अपितु जीवन जीने की विशिष्ट सोच की है जिसे दर्शन कहा जाता है । प्रमुख भारतीय दर्शनों में जैन दर्शन व संस्कृति का अहम स्थान रहा है । लोगों ने विचारपूर्वक इसका अनुसरण करके अपनी जीवनशैली को उन्नत बनाया है । जैन दर्शन विकास को एक अलग नजरिये से देखता है । वह विकास को महज आर्थिक समृद्धि के दायरे से बाहर लाकर समग्रता और वास्तविक सामाजिक सुख समृद्धि की कसौटी पर कसकर देखने का प्रयास करता रहा है । विकास के अवयवों में आरोग्य (पहला सुख निरोगी काया...), सम्पोषित रचनात्मक आजीविका (वास्तविक रचनात्मक उत्पादन एवं नीतिपरक व्यवहार, पैसे की बजाय लक्ष्मी की उत्पत्ति, समाज की जरूरतों व भावी पीढ़ी के हितों व संसाधनों के अस्तित्व का ख्याल...) व्यक्ति का उच्च स्तरीय मनोवैज्ञानिक, मनोसामाजिक एवं आध्यात्मिक विकास (स्थिति प्रज्ञता, समता, सम्यकत्व की प्रधानता, राग द्वेष रहित परिणति, भावनात्मक वात्सल्य भाव, करूणा, दया, संयम, आत्मानुशासन

आदि का निरंतर व उत्तरोत्तर विकास, एकादश व्रत आधारित जीवनशैली, मन वचन और कार्य की एकाग्रता का योग) कर्म संस्कृति सहकार व प्रेम की भावना, संतोष, सहयोग, शांति.... आदि को शामिल किया जा सकता है । शिक्षण विकास का प्रमुख घटक है जो सभ्य समाज रचना की बुनियाद कहा जा सकता है । सम्पोषित विकास हेतु शिक्षण व्यवस्था से यही अपेक्षा की जाती है इससे व्यक्ति का चारित्रिक विकास हो, वह जीवन-यापन के वे कौशल्य व तौर तरीके सीख सके जिससे अहिंसक समाज रचना की बुनियाद मजबूत हो । किन्तु अफसोस आज का शिक्षण डिग्री केन्द्रित, रोजगारोन्मुखी होकर अपने मूल लक्ष्य से भ्रमित हो रहा है जिसका परिणाम आज हमारे सामने तनाव, संघर्ष, हताशा, ईर्ष्या, क्रोध, वैर-वैमनस्य, आर्थिक-सामाजिक असमानता आदि के रूप में सामने हैं । आज के विकृत उत्पादन एवं उपभोग व्यवहार इसके ज्वलंत उदाहरण हैं जिसने मानव समुदाय को छल-फरेब और अशांति की दुनिया में धकेल दिया है । जैन दर्शन जीवन के शिक्षण के रूप में नीत्तिमत्तापूर्ण व्यवहारों, संयमित जीवनशैली, रचनात्मक उत्पादकता आदि का प्रतिनिधित्व करता रहा है । उतना कमाओ जितनी जरूरत है, वैसे कमाओ जिससे संसाधनों का कम से कम विनाश हो, उसकी रचना करो जिसका संबंध लोगों की वास्तविक जरूरतों से हो न कि मार्केटिंग के आधुनिक प्रवाह में, स्पर्धा में आगे निकलने की जुगत में अतिरेक जरूरतों को बढ़ावा देता हो । असि-मसि कृषि से जीवन निर्वाह की शिक्षा देने वाले जैन समुदाय के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव स्वामी ने इसी अभिगम की नींव रखी थी । सम्पोषित विकास की गीतारूप महात्मा गांधीजी की बहु-चर्चित कृति हिन्द-स्वराज में सभ्यता अभिगम की चर्चा की गई है । व्यावहारिक पटल पर सभ्यता वह व्यवहार है जिसका आचरण आप जीवनलक्ष्मी व्यवहारों में दूसरों के साथ करते हैं, जो आपके निर्णयों का केन्द्र बिन्दु हैं, जो सहअस्तित्व का पोषक है, शांतिपूर्ण, अहिंसक तथा समृद्ध समाज रचना का आधार है जिसमें नैतिक प्रतिमानों का संरक्षण होता है और सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि वैसा ही व्यवहार आप अपने साथ भी कराना पसंद करते हैं । ऐस दशा में समूचा जैन समुदाय ऐसा करते हुए स्वयं को सम्मानित, प्रतिष्ठित एवं गौरवान्वित महसूस करता है । भारतीय संस्कृति में स्पष्ट कहा गया है कि वह मनुष्य ही क्या है जो जीने के अपना ही (निहित स्वार्थ) का विचार करता है क्योंकि पशुवत क्या उससे भी कहीं अधिक गिरी हुई प्रवृत्ति तथा घृणित मनोवृत्ति है जो आर्थिक रूप से कितनी ही समृद्ध क्यों न हो किन्तु पतन के गर्त में निश्चित रूप से ले जाती है ।

आरोग्य स्वराज्य सम्पोषित विकास की दूसरी प्रमुख पहचान है । आज आरोग्य विकास का आधार बड़े अस्पताल, अस्पतालों की संख्या व नेटवर्क आदि से लिया जाता है । किन्तु जैन दर्शन समस्या की ज़ड़ में जाकर ऐसे उपायों व प्रतिमानों को सामने लाता

है जिनके चलते अस्पतालों की ज़रूरत ही न हो । जैन दर्शन प्रेरित आरोग्यप्रद जीवनशैली में सुबह स्वस्थ मन से समय पर उठना, दैनिक कार्यों को नियोजित करना, नित्य-कर्मन शांति से निपटाना, हरिनाम औषधिरूप प्रार्थना करना, स्वच्छता व शुद्धता के अभिगम के साथ सात्विक रसोई तैयार करना, शांति से समय पर, संयमित रूप से भोजन ग्रहण करना, भक्ष्य-अभक्ष्य का विवेक रखना, सूर्यास्त से पूर्व व सूर्यास्त के पश्चात भोजन ग्रहण न करना अर्थात् आहार विहार-निहार का ऋतुसम्मत विचार करना, शरीर श्रम के अनुरूप भोजन का प्रमाण तय करना, आकाश तत्व का संतुलन बनाए रखने हेतु उपवास व उनोदरी करना आदि रोग व अस्पताल से मानव को दूर रखने में सहायक सिद्ध होते हैं । बहुचर्चित कहावत है - जैसे खाओ अन्न वैसा होवे मन । जैसा पियो पानी,वैसी बोलो बानी । स्वस्थ तन मन के विकास में जैन दर्शन प्रेरित आरोग्यप्रद जीवनशैली सहायक है । स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है । इसीलिए आरोग्य विकास पर निर्भर शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक एवं बौद्धिक विकास जिसे सम्पोषित विकास प्रणाली का केन्द्रबिन्दु कहा जा सकता है । जैन अभिगम में यह वैयक्तिक आचरण की सभ्यता है जिससे व्यक्ति अपना व परिवार का विकास करता है, समाज के समक्ष आदर्श रखकर स्वास्थ समाज रचना का वाहक बन सकता है ।

उपसंहार :

उत्पादकीय व्यवहारों में संसाधनों का क्रूरतम शोषण की जगह समुचित विदोहन हो, प्रति व्यक्ति अधिकतम उत्पादन की जगह मर्यादित उत्पादन हो । उत्पादन का स्वरूप समाज की वास्तविक जरूरतों के अनुसार तय हो न कि कृत्रिम जरूरतें खड़ी करके धन संग्रह (लफंगा पैसा) हेतु उन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हो जिससे समाज में अंततः अराजकता, आलस्य का वातावरण खड़ा हो । कमोवेश सभी धर्म व संस्कृति में आजीविका के साधन व प्रमाण को लेकर हम परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि - साहिब इतना दीजिए जामें कुटुंब समाय, मैं भी भूखा न रहूँ, साधु न भूखा जाय । निःसंदेह इसका संबंध व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं से है जो मनुष्य के संतोषधन के आधार पर निर्धारित होती है । आपाधापी अंतहीन विनाश की ओर ले जानेवाली प्रवृत्ति है, संग्रहखोरीजनित समृद्धि समाज पर भार है विकास का आइना नहीं, यह हमारे नीतिकारों, नेतृत्व प्रदान करने वाले अग्रणी लोगों को समझना होगा । पक्षी भी उतने माले का घोंसला बनाते हैं जिसमें उन्हें सकून से सिर ढकने की जगह मिल जाए, उतना ही संचित करते है

जिसमें सुबह-शाम का पेट भर जाय । इस तरीके से सभी को काम के अवसर, समाज में रचनात्मक उत्पादकता का विकास, पर्यावरण का जतन तथा शांतिमय वातावरण स्थापित हो सकेगा जहाँ अनुचित प्रतिस्पर्धा, केंकड़ावृत्ति व ईर्ष्या की जगह प्रेम, सहकार, जटायुवृत्ति व पारस्परिक विश्वास होगा । हमें मात्र आर्थिक व आंकड़ीय सूचकांक के आधार पर विकास की गति की तुलना में मापकों से बाहर निकलकर देखना होगा । जीवन के अंतिम लक्ष्य को समझना होगा, सतत गतिशीलता की जगह एक स्थायित्व देना होगा । धनवान, सामाजिक रूप से प्रभावशील, आध्यात्मिकता के उच्च शिखर पर आरूढ़ लोग जैसा आचरण करते हैं अनुयायी वर्ग उस पर चलने की हर संभव कोशिश करता है भले ही उसकी औकात हो या न हो । कभी-कभी सामाजिक-सांस्कृतिक दबाव इतने बढ़ जाते हैं कि वह ऐसा करने को विवश होता है । उपभोक्तावाद की बढ़ती जाती संस्कृति के पीछे भी ऐसे ही कारण हैं तो इनकी दमित इच्छाएं हैं जो इन महान लोगों के आचरण से पनपती हैं इसलिए सम्पोषित विकास हेतु इस पर अंकुश लगाना होगा । अति महत्वकांक्षी सभ्यता के अनुचर तथाकथित विकास की फलश्रुति के रूप अंततः महाविनाश की परिस्थिति का निर्माण करती है । जब जब हम प्रकृति के प्रवाह के विपरीत चलकर स्वयं को अजेय घोषित करने की होड़ में लग जाते हैं तब कुदरती आपदाएँ स्थान लेती हैं । संसाधन आवश्यकताएं संतुष्ट करने के लिए हैं अधिकाधिक आराम तलब बनाने की जुगत में वातावरणीय संतुलन बिगाड़ने के लिए नहीं (भले ही वह पर्यावरण हो या सामाजिक सांस्कृतिक या मनोवैज्ञानिक वातावरण) यह समझने के लिए संयममय लगन की जरूरत है । बिना लगाम के हवा से बात करने वाला घोड़ा भी सवार के लिए घातक सिद्ध हो सकता है ।

संदर्भ :

1. डॉ. दीपा जैन एवं डॉ. लोकेश जैन - ''सम्पोषित विकास हेतु सहकारी व्यवस्था में उद्यमिता का स्वरूप : गांधी विचारों की वर्तमान प्रासंगिकता के आधार पर मूल्यांकन'' सहकार संदर्श, vol. No. 3, Oct. - Dec. 13 issue वेमिनीकॉम, पूणे (महाराष्ट्र) (ISSN-0302 - 7767).
2. Dr. Deepa Jain & Dr. Lokesh Jain - "Value based Indian ethos and Sustainable growth of entrepreneurship (with the view of Gandhian ethical principles and sustainable entrepreneurial practices in rural area)" NICM Bulletin (ISSN No. 2249-2275) - A Quarterly Journal Januray-March, 2014 Vol. XI number-1 issued at NICM, Gandhinagar (Gujarat) page no. 2-9.

3. डॉ. दीपा जैन - ''सम्पोषित विकास की दिशा में जीवनलक्षी शिक्षण के स्वरूप के गठन हेतु भारतीय दर्शन में निहित मूल्यों की भूमिका का आकलन'' **ग्रामीण विकास समीक्षा - अंक - 52** रा.ग्रा.वि.सं. हैदराबाद, जुलाई-दिसम्बर 2013 पेज 41-51 ISSN-0992-5881.

4. डॉ. दीपा जैन - ''आरोग्य स्वराज लाने में सहायक जैन दर्शन'' परिवार एवं समुदाय कल्याण विज्ञान के सम्पोषित प्रतिमान पर म.दे. ग्रामसेवा महाविद्यालय, गुजरात विद्यापीठ ग्रामीण परिसर-रांधेजा-गांधीनगर (गुज.) 9-10 फरवरी, 2013 में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में प्रस्तुत शोधपत्र

5. डॉ. दीपा जैन एवं डॉ. लोकेश जैन ''सातत्यपूर्ण विकास का अर्थशास्त्र और जैन दर्शन प्रेरित अणुव्रती की जीवन शैली (अहिंसक अर्थतंत्रीय समाज रचना के संदर्भ में एक विश्लेषणात्मक अध्ययन'' ''सापेक्षवादी अर्थशास्त्रः संतुलित एवं सतत विकास का आधार जैन विद्या के विशेष संदर्भ में'' विषय पर जैन दर्शन एवं प्रकृत विद्या विभाग, एम. एल. सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुढर (राज.) द्वारा आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में प्रकाशित शोधपत्र

6. ई-पंचायत : सूचना और संचार प्रौद्योगिकी द्वारा स्वशासन में सुधार

* सुनीता चौधरी

देश की विकास प्रक्रिया में पंचायतीराज संस्थाएं ग्राम रूपांतरण के अभिकर्ता के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इन संस्थाओं के माध्यम से देश के निम्नतम स्तर पर लोकतंत्र पहुंचा है। पंचायतीराज संस्थाओं के माध्यम से ही स्थानीय प्रशासन की व्यवस्था में बदलाव के साथ-साथ समावेशी विकास की शुरूवात हुयी है। यह समावेशी विकास लाने में सूचना व संचार प्रौद्योगिकी ने मुख्य भूमिका निभायी है जिसके द्वारा आज पंचायतें ई-पंचायतों में परिवर्तित होकर अंतिम स्तर तक शासन में प्रत्येक नागरिक की सहभागिता सुनिश्चित कर रही है।

प्रस्तुत शोध पत्र में पंचायतीराज संस्थाओं में सूचना व संचार प्रौद्योगिकी का महत्व रेखांकित करते हुए ई-पंचायतों के संदर्भ में आंध्र प्रदेश ई-पंचायत की कार्यात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है।

परिचय

विश्व बैंक रिपोर्ट 2004 में उल्लेख किया गया है कि ''विकास को प्रत्यक्ष रूप से मानवीय आवश्यकताओं का समाधान करना चाहिए। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की संस्थाएं, जैसे पंचायतें, उन प्रक्रियाओं में निहित होनी चाहिए, जो बदलती हुई परिसिथितियों के प्रति सामाजिक रूप से विशिष्ट और अनुक्रियाशील हों।[1]'' इसलिए स्थानीय कार्यों के संचालन के लिए निम्नतम स्तर पर स्वशासी संस्थाओं के रूप में पंचायतीराज संस्था को सुदृढ़ करना लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। इस संदर्भ में, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के प्रयोग से पंचायतीराज संस्थाओं की जानकारी, दक्षता और क्षमता में पर्याप्त वृद्धि करने के लिए प्रयास करने आवश्यक हैं।

स्थानीय शासन में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी

सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की परिवर्तनकारी क्षमता को साकार करने के लिए केन्द्रीय व राज्य सरकारें ग्रामीण स्थानीय प्रशासन में सुधार के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की विभिन्न पहलों को शुरू कर चुकी है। स्थानीय स्वशासन में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने से कम से कम अंतिम दो घटक सुनिश्चित हो सकते

* शोधार्थी लोक प्रशासन विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर
email : ms.sunita.choudhary02@gmail.com

हैं । खुलेपन द्वारा नागरिकों को यह ज्ञात करना सुनिश्चित हो सकता है कि राज्य और उसके अभिकरणों द्वारा ''क्या किया जा रहा है'', ''क्या किया जाएगा'' और ''क्या किया गया है ।'' आमतौर पर सूचना की अनुपलब्धता के कारण योजनाओं/कार्यक्रमों की प्राथमिकता निर्धारण में कमी, कार्यान्वयन के दौरान सुधार करने की धीमी प्रक्रिया और प्रक्रिया में लोगों की न्यूनतम सहभागिता होती है ।[2] लेकिन सूचना व संचार प्रौद्योगिकी न केवल मितव्ययता और विश्वसनीयता के साथ सूचना की पूर्ति को बढ़ाती है, बल्कि इसके परिणामस्वरूप बेहतर निर्णयन और नवपरिवर्तन भी होते हैं । ये कार्यों में अधिक खुलापन और पारदर्शिता की आवश्यकता को बढ़ावा देती है । ये सशक्तिकरण का शक्तिशाली साधन है । सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, तीन विशिष्ट तरीकों में पंचायती राज संस्थाओं का स्थानीय स्वशासन सुधार करती है[3] -

- यह नीति चक्र में ''दक्षता लाभ'' (efficiency benefits) उत्पन्न करती है । जटिल नीति सूचना और आंकड़ों के अर्जन स्थानांतरण तथा प्रबंधन द्वारा यह सुनिचारित निर्णय लेने में निर्णयकर्त्ताओं की सहायता करती है ।
- यह स्थानीय स्तर की सेवाओं का वितरण सुधारती है, और
- यह सरकारी सूचना की उपलब्धता बढ़ाकर और सरकारी प्रयोजनाओं तथा निष्पादन पर सार्वजनिक प्रतिपुष्टि और संवाद सुकर बनाकर सरकार सभ्य समाज अंतरापृष्ठ (interface) की छवि सुधारती है ।

सूचना और संचार प्रौद्योगिकी स्थानीय स्तर पर सार्वजनिक सामग्री और सेवाओं की व्यवस्था का बेहतर प्रबंध करने में नीति निर्माताओं तथा प्रशासकों की सहायता करने में लगातार महत्वपूर्ण भूमिका रही है । यह बुनियादी आधारभूत सुविधाओं जैसे पानी, सफाई और बिजली का विस्तार करने में, परमिटों की स्वीकृति तथा वितरण में तेजी लाती है । इस प्रकार जन समूह क सरकार के समीप लाने के लिए प्रभावकारी औजार के रूप में सूचना व संचार प्रौद्योगिकी का आविर्भाव हुआ है ।

पंचायत से ई-पंचायत (Electric Panchayat) तक

नई सहस्त्राब्दी में पंचायतीराज संस्थाओं के सम्मुख चुनौतियां अत्यंत कठिन है । वास्तव में इन संस्थाओं को प्रतिनिधि राजनीतिक संस्थाओं से स्वयं को स्थानीय समुदाय समर्थित प्रत्यक्ष लोकतंत्र संस्थाओं में रूपांतरित करना है । इन संस्थाओं को अच्छे शासन

(Good Governance) के व्यापक ढांचे के अंतर्गत कार्य करना है । इन संस्थाओं की सकारात्मक चुनौतियां-निम्नतम स्तर पर लोकतंत्र का संरक्षण करना, अच्छे शासन के लिए आवश्यक कदम उठाना, सामाजिक अंकेक्षण या ऑडिट (Audit) के प्रयोजन से जवाबदेही और पारदर्शिता बनाए रखना, नई पहलों या नए सत्ता समीकरण की संभावनाओं का अवलोकन करना, गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी से सभ्य समज गतिविधियां करना, महिला सशक्तिकरण प्राप्त करना और प्रभावशील सेवा वितरण कार्य विधयां विकसित करना है ।[4] इन चुनौतियों का सामना करने के लिए, 1990 के दशक से, केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा पर्याप्त मात्रा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पहले प्रारंभ की गई है । इन पहलों में पंचायतीराज संस्थाओं को अधिक जवाबदेह, अनुक्रियाशील और नागरिक मैत्रीपूर्ण बनाने की विपुल क्षमताएं हैं ।[5] सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आज समाज में सबसे अधिक परिवर्तनकारी है और सूचना ही इसका आधार है जिसके माध्यम से एक सूचित समाज का निर्माण होता है ।[6]

ई-पंचायत

राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के अंतर्गत ई-पंचायत के महत्वपूर्ण मिशन मोड़ परियोजना है जिसे ग्रामीण भारत को सशक्त और रूपांतरित करने की दृष्टि से क्रियान्वित किया जा रहा है ।[7] ई-पंचायत व्यवस्था सही मायनों में ग्रामीण लोगों को विकास प्रक्रिया में सहभागी बना रही है ।[8] ई-पंचायत परियोजना ग्रामीण जनता की बड़ी आशा है क्योंकि इसका उद्देश्य पंचायतीराज संस्थानों को आधुनिकता, पारदर्शिता और कार्य कुशलता के रूप में रूपांतरित करना है ।

ई-पंचायत परियोजना को वर्ष 2003 में आंध्रप्रदेश राज्य के मेदक जिले की रामचन्द्रपुरम ग्राम पंचायत में सर्वप्रथम पायलट योजना के रूप में शुरू किया गया था जिससे यह भारत की पहली ऐसी ग्राम पंचायत बनी जहां से ई-पंचायत योजना शुरू हुयी ।[9] 2005 से यह योजना अनव्रत रूप से चल रही है । ई-पंचायत मिशन मोड़ परियोजना का मुख्य ध्येय देश की 2.45 लाख (लगभग) पंचायतों की आंतरिक कार्यप्रवाह प्रक्रियाओं का स्वचालन (Automation) करना है ।[10] यह परियोजना पूरी तरह से वेब आधारित है इसके माध्यम से पंचायत स्तर पर डिजिटल सेवाएं प्रदान की जाती हैं । ई-पंचायत सुशासन को बढ़ावा देने का माध्यम बन रही है ।[12] पंचायतीराज मंत्रालय द्वारा ई-पंचायत के लिए 7 मुख्य घटक परिभाषित किये गये हैं ।

स्रोत : पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार ।

Fig.1.0

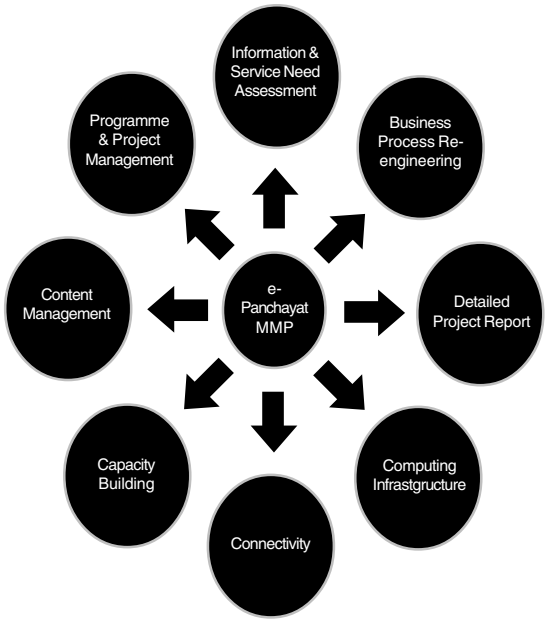

ई-पंचायत परियोजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं[13] -

- पंचायतों की आंतरिक कार्यप्रवाह प्रक्रियाओं का स्वचालीकरण
- नागरिक सेवा वितरण में सुधार
- पंचायत प्रतिनिधियों और कर्मचारियों का क्षमता निर्माण
- स्थानी स्व-शासन में सुधार
- पारदर्शिता, जवाबदेहिता व कुशलता बढ़ाना
- निर्णय निर्माण प्रक्रिया में सुधार
- सामाजिक लेखा परीक्षा आदि ।

आंध्रप्रदेश में ई-पंचायत

ई-पंचायत परियोजना, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, हैदराबाद, आंध्रप्रदेश द्वारा संकल्पित, अभिकल्पित और विकसित की गई है । आंध्रप्रदेश में सर्वप्रथम ई-पंचायत रामचन्द्रपुरम में 2003 में शुरू की गयी थी ।[14] वर्तमान में 475 ग्राम पंचायतों में ई-पंचायत परियोजना क्रियान्वित की जा रही है ।[15] आंध्रप्रदेश में ई-पंचायत परियोजना की लागत 437.62 करोड़

रूपये हैं ।[16] ई-पंचायत को ग्राम पंचायत में समस्त सूचना और ज्ञान प्रबंधन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है । इसमें ग्राम पंचायत कार्यकर्ताओं और ग्राम नागरिकों के लिए सभी सूचना आवश्यकता शामिल है । इसमें संविधान संशोधन अधिनियम 1992, देश की ग्राम पंचायतों की सफलता की कहानियां, ग्राम सचिवालयों से संबंधित सरकारी आदेश तथा ग्राम सचिव और ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों के कार्य ई-पंचायत सॉफ्टवेयर पैकेज में शामिल किए गए हैं ।[17]

आंध्रप्रदेश में ई-पंचायतों द्वारा ग्राम पंचायतों के 30 क्षेत्रीय कार्यों से जुड़े लगभग 30 मुख्य मॉड्यूल और 150 उप मॉड्यूल हैं ।[18] इसके मॉड्यूल में सम्मिलित हैं - ग्राम पंचायत प्रशासन, कृषि, सिंचाई व जलसंरक्षण, डेयरी एवं पशुपालन, मत्स्य पालन, सामाजिक वानिकी, निर्वाचन, लघुस्तरीय उद्यम, आवास, जल, ईधन, सड़के, बांध एवं पुल, विद्युत आपूर्ति, वैकल्पिक ऊर्जा, गरीबी उन्मूलन, प्राथमिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, पुस्तकालय, सांस्कृतिक कार्यक्रम, बाजार, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण महिला और बाल कल्याण, समाज कल्याण, कुटीर उद्योग, कमजोर वर्ग कल्याण, नागरिक सेवा वितरण, सम्पत्ति संरक्षण और ग्राम लेखाकरण प्रणाली ।

इसके अलावा कुछ ग्राम स्तरीय सेवाएं भी ई-पंचायत के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं जो निम्न हैं - जन्म/मृत्यु पंजीकरण, सम्पत्ति व रिक्त भूमि कर, जल कर, विज्ञापन कर, परियोजना व कार्य मूल्यांकन, शिकायत निवारण, वित्तीय लेखांकन आदि ।

निष्कर्ष :

सूचना व संचार प्रौद्योगिकी की एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में ई-पंचायत को लाया गया है ताकि समाज में लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित किया जा सके । लेकिन इसके समक्ष उत्पन्न चुनौतियों जैसे - आधारभूत संरचना का अभाव, पंचायतीराज संस्थाओं में नेटवर्किंग में निवेश लागत का अत्यधिक होना[19], क्षेत्रीय भाषाओं में सॉफ्टवेयर तथा गुणवत्तापूर्ण वर्ण्य विषयों की कमी होना,[20] प्रशिक्षित मानव संसाधन की कमी, जागरूकता व सहभागिता की कमी, विद्युत आपूर्ति की कमी, गति व संयोजकता की धीमी गति[21], साक्षरता ई-साक्षरता का अभाव, सेवाओं में देरी, ग्रासरूट स्तर पर निर्वाचित प्रतिनिधियों में अशिक्षा का उच्च स्तर[22] आदि की वजह से यह अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हो पा रही है ।

भूमंडलीकरण के युग में पंचायतीराज संस्था को अपनी भूमिका अभिप्रेरक और सुविधादाता के रूप में पुनः परिभाषित करनी होगी । इसलिए, सूचना और संचार

प्रौद्योगिकी के माध्यम से ज्ञान, दक्षताएं और क्षमताओं को बढ़ाने के लिए इन संस्थाओं द्वारा निष्ठा के साथ प्रयास करने की आवश्यकता है ।[23] अपने समक्ष उत्पन्न चुनौतियों के समाधान के लिए ई-पंचायतों को कुछ कदम उठाने होंगे जिनमें शामिल हैं - ई-साक्षरता को अंतिम स्तर तक पहुँचाना, नागरिक सेवाएं स्थानीय लोगों की आवश्यकता के अनुरूप होना, उत्तम प्रौद्योगिकी के साथ उत्तम सेवाएं, सभी स्तरों पर समान रूप से सेवाएं मुहैया कराना,[24] प्रदान की जा रही सेवाओं की प्रभाविकता बढ़ाना, सेवाओं को अद्यतन बनाये रखना, सरकारी सूचनाओं, सेवाओं तथा इनके निष्पादन की प्रतिपुष्टि को नागरिक सहभागिता के माध्यम से सुनिश्चित करना,[26] आधारभूत संरचनाओं की कमी को दूर कर नेटवर्किंग लागत को कम से कम करना, निर्वाचित प्रतिनिधियों का सशक्तिकरण करना[27] आदि प्रयासों के माध्यम से ई-पंचायतें अपनी उद्देश्य पूर्ति सफल हो सकती हैं ।

अतंतः ई-पंचायतों ने ग्रामीण लोगों को व्यापक और अद्यतन सूचना से सुसज्जित कर तथा शासन में पारदर्शिता ला कर निम्नतम स्तर पर सहभागी लोकतंत्र सुदृढ़ किया है ।

संदर्भ

1. इलैक्ट्रिक शासन (2009), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, पृ.142
2. काइरोन, ओहारा और डेविड स्टीवंस (2006), इनइक्विलिटी : पॉवर, पॉवर्टी एण्ड दी डिजिटल डिवाइड, ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन, पृ.9
3. द्रेज, ज्यॉ एण्ड अमर्त्यसेन (2002), इंडिया : इकॉनामिक डेवलपमेंट एण्ड सोशल अपॉरच्यूनिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रे, नई दिल्ली, पृ. 73
4. राजौरा, राजेश (2002), ब्रिजींग दी डिजिटल डिवाइड : ज्ञानदूत - दी मॉडल फॉर कम्यूनिटी नेटवर्कस, नई दिल्ली, टाटा मैग्राहिल पब्लिशिंग, पृ.27
5. झा, राजेश, के. (2004), ई-पंचायत : रोल ऑफ आईटी इन इम्पावरिंग पीआरआईस, कुरुक्षेत्र वाल्यूम 52, नम्बर 10, पृ. 34-38
6. प्रभु, सी.एस.आर. (2004), ई-गवर्नेंस : कॉन्सेप्ट्स एण्ड केस स्टडीज, प्रेन्टिस हॉल ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली, पृ.6.
7. http//www.panchayat.gov.in/ep.background
8. गुप्ता, बी.पी., पंचायती राज : नीड ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन, कुरूक्षेत्र, वॉल्यूम 50, नम्बर 5, मार्च 2002, पृ. 21-25.
9. http//www.rd.ap.gov.in

10. http//www.panchayat.gov.in/projectconceptualization
11. www.nic.in/projecte/e-panchayat
12. इलैक्ट्रिक शासन, वही, पृ.139
13. http//www.epanchayat.gov.in/for all project related documents
14. प्रभु, सी.एस.आर., वही, पृ.209
15. http//www.rd.ap.gov.in
16. http//www.epanayat.ap.nic.in
17. प्रभु सी.एस.आर. वही, पृ.209
18. प्रभु, सी.एस.आर., वही, पृ.211
19. http//www.nic.in/project/e-panchayat
20. http//www.mit.gov.in/content/mission-mode-projects
21. http//www.ruralinformatics.nic.in
22. http//www.mit.gov.in/national-e-governance-plan
23. http//www.digitaldividend.org
24. http//www.it.iitbc.ac.in
25. http//www.indiaegovernance.blogpost.com.in
26. http//www.appr.gov.in
27. http//www.epanchayat.gov.in/for all project related documents.

7. पंचायती राज सशक्तिकरण की ओर बढ़ते कदम ग्राम पंचायत डबरी-एक सफल प्रयास

*** डॉ. के.के. मोर**

*** * श्रीमती वीना सहगल**

डॉ. के.के.मोर, श्रीमती वीना सहगल, डा.चान्द राम शर्मा भारतीय संविधान में 73 वें संविधान संशोधन के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक उत्थान एवं सामाजिक न्याय के उद्देश्य की पूर्ति हेतु तृणमूल स्तर पर लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रावधान किया गया है । इसी संशोधन में दिए गए दिशा निर्देशों के तहत हरियाणा राज्य में हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 लागू किया गया जिसमें गांव स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन करने का प्रावधान है । इस अधिनियम की धारा 21 के तहत पंचायतों को गांव में चहुंमुखी विकास करने के लिए अधिकृत किया गया है । ग्राम पंचायत डबरी ने गांव के विकास के लिए अपनी सक्रिय भागीदारी से बहुआयामी प्रयास किए हैं । हाल ही में पंचायती राजा विभाग, ग्रामीण विकास मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ने ग्राम पंचायत डबरी को गांव के समग्र विकास में उसके योगदान को देखकर श्रेष्ठ ग्राम पंचायत एवं श्रेष्ठ गौरव ग्राम सभा पुरस्कार से सम्मानित किया है जो कि न केवल ग्राम पंचायत डबरी बल्कि ग्राम निवासियों एवं हरियाणा प्रदेश के लिए भी गौरव का विषय है ।

गांव के समग्र विकास में सरपंच व अन्य पंचायत सदस्यों के समर्पण से प्रभावित होकर राजीव गान्धी राज्य पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास संस्थान, नीलोखेड़ी के संकाय सदस्य श्रीमती वीना सहगल तथा डा. चान्द राम शर्मा ने गांव डबरी पहुंच कर ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में कराए गए कार्यों का अध्ययन किया है । कुछ कार्य बहुत ही सराहनीय एवं अनुकरणीय हैं । यहां पर निम्नलिखित प्रकार से इन उत्कृष्ठ कार्यों पर प्रकाश डाला जा रहा है :-

राजीव गांधी राज्य पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास संस्थान, नीलोखेड़ी (हरियाणा) में डॉ. के.के. मोर प्राचार्य व श्रीमती वीना सहगल व डॉ. चान्द राम शर्मा प्रवक्ता है ।

---

* प्रवक्ता : राजीव गांधी राज्य पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास संस्थान, नीलाखेड़ी (हरियाणा)

1. गांव की रूप रेखा एवं चित्रण :

गांव डबरी विकास खण्ड निसिंग स्थित चिड़ाव, जिला करनाल में है । यह खण्ड कार्यालय से लगभग 3.5 कि.मी. तथा जिला मुख्यालय से लगभग 8 कि.मी. की दूरी पर करनाल-कैथल रोड़ तथा करनाल-काछवा-ढांड रोड़ के मध्य में स्थित है । वर्तमान पंचायत का चुनाव वर्ष 2010 में हुआ था जिसमें सरपंच सहित 9 पंच हैं । 42 वर्षीय सरदार गुरनाम सिंह लाडी सरपंच पद पर कार्यरत हैं, तीन महिला पंच हैं । गांव में 15 डेरे मिला कर कुल 270 परिवार बसते हैं । कुल जनसंख्या 1467 है जिनमें लिंगानुपात की दृष्टि से पुरूष 730 तथा महिलाएं 737 हैं । गांव में जातीय हिसाब से मिली जुली आबादी है, सामान्य वर्ग 850, अनुसूचित जाति 416 व पिछड़ा वर्ग 200 हैं । एक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय तथा एक प्राथमिक पाठशाला, दो आंगनवाड़ी भवन, एक पंचायत घर, एक हरिजन चौपाल व एक बाल्मीकी चौपाल सहित चार चौपालें हैं । एक सिलाई सैन्टर है । गांव में पशु डिस्पेन्सरी भी है । गांव खुशहाल है, अर्थव्यवस्था मख्यतः कृषि आधारित है । ग्राम पंचायत की निजि स्त्रोतों से आय भी मुख्यतः शामलात भूमि से प्राप्त आमदन ही है । तो तालाब हैं जिनमें से एक का प्रयोग ''थ्री पोण्ड सिस्टम'' के तौर पर होता है तथा दूसरे को मछली पालन हेतु पट्टे पर दिया जाता है । गांव में एक गुरूद्वारा है जिसमें धार्मिक प्रवचन के साथ - 2 अन्य सामुदायिक सभाएं भी की जाती हैं, इसमें उपलब्ध माईक सुविधा गांव में आवश्यक सूचना के प्रसार हेतु प्रयुक्त की जाती है ।

2. नागरिक सुविधाएं :

गांव की सभी गलियां व फिरनी पक्की बनाई हुई हैं जोकि अधिकतर पेवर ब्लॉक से निर्मित हैं सभी डेरों की गलियां भी पक्की हैं नालियां पक्की व पानी निकासी के उद्देश्य से उचित ढलान अनुसार बनाई हुई हैं जिनमें से पानी 'थ्री पोण्ड सिस्टम' वाले तालाब में जाता है । गलियां व नालियां साफ रहती हैं कहीं भी पानी या कूड़ा कर्कट नजर नहीं आता है । गलियों में प्रकाश की व्यस्था हेतु मै : सेतिया राइस मिल से सहयोग मांग कर सोलर लाईट दान कराई गई हैं जिन्हें मुख्य गलियों, चौराहों, फिरनी, श्मशान घाट व 'थ्री पौण्ड सिस्टम' के पार्क में लगवाया गया है । लगातार मौसम खराब रहने की अवस्था में बिजली चालित स्ट्रीट लाईट भी समानान्तर रूप से लगाई हुई हैं जिनकी देखरेख व अन्य खर्च भी ग्राम पंचायत द्वारा ही वहन किया जाता है । पीने के पानी की व्यवस्था हेतु जनस्वास्थ्य विभाग द्वारा जलापूर्ति के अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा भी सार्वजनिक स्थानों पर वाटर कूलर रखवाए गए हैं । घर-घर, रबर पाईप द्वारा पानी की सप्लाई पंचायत द्वारा की गई है । फालतु पानी की निकासी का प्रबन्ध उचित रूप से नालियों में किया गया है । गांव

में थ्री पौण्ड सिस्टम के पास एक एकड़ में पार्क बनाया हुआ है जिसमें पीने के पानी की व्यवस्था, सोलर लाईट, सिंचाई व्यवस्था, झूले व कूड़ादान की व्यवस्था की हुई है । पार्क में पहुंच मार्ग पक्के बनाए हुए हैं तथा बाड़ की हुई है । गांव में एक श्मशान घाट बनाया हुआ है, जिसमें पानी की व्यवस्था, बैठने हेतु पार्क व एक हाल बनाया हुआ है, प्रकाश व्यवस्था की हुई है । इसके अतिरिक्त इसमे पेड़ पौधे भी लगाए हुए हैं । गांव में 132 स्टेशन है जिसमें से 33 फीडर द्वारा अलग से गांव डबरी में ही विद्युत सप्लाई की जाती है ।

3. सफाई व्यवस्था :

गांव में सफाई व्यवस्था देखते ही बनती है जो कि इसे अन्य गांवों से अलग देखने को बाध्य करती हैं । पूर्व बिंदु 2 में दिए गए विवरणानुसार गांव में स्वच्छ पानी पाइपों के जरिए उपलब्ध कराया गया है । इसके अतिरिक्त प्रत्येक मुख्य गली के सामने फिरनी पर व फिरनी के अन्दर मुख्य चौकों पर तथा सार्वजनिक संस्थानों पर वाटर कूलर एवं आर.ओ. लगाए गए हैं । फालतू पानी की निकासी छोटी नालियों में से बड़े नालों से होकर थ्री पौण्ड सिस्टम में जाता है । गलियों, फिरनी व नालियों में कूड़ा कर्कट, गोबर उपले अथवा कीचड़ नहीं है । गांवों में व्यक्तिगत शौचालय बनाए हुए हैं स्कूल व आंगनवाड़ी में शौचालय बनाए हुए हैं व प्रयोग में हैं । सरपंच ने बताया कि अभी 10-12 घरों में शौचालयों का निर्माण नहीं किया गया है जिस कारण गांव को निर्मल गांव का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है तथापि गांव के अन्दर आस-पास गन्दगी नहीं है । ठोस कचरा प्रबन्धन के लिए निर्मल भारत अभियान के ठोस व कचरा प्रबन्धन कम्पोनेंट से कचरा कमाई शैड का निर्माण किया गया है । कचरा कमाई शेड का अवलोकन करने पर पाया गया कि उसमें कांच, रबड़, चमड़ा व लोहा आदि का कचरा अलग- अलग कम्पार्टमैन्ट में रखा हुआ है । केंचुआ खाद के लिए निर्मित कम्पार्टमैन्ट अभी प्रयोग में नहीं है । इसी शैड के अन्दर शौचालय भी बनाया हुआ है जोकि अभी प्रयोग में नहीं है । सामान्य सफाई व्यवस्था हेतु गांव में एक सफाई कर्मी नियुक्त किया हुआ है जिसके मानदेय की अदायगी हेतु सरकार से अनुदान प्राप्त होता है । थ्री पौण्ड सिस्टम (Waste Stabilization Pond) गांव के दक्षिण में बनाया हुआ है । इस सिस्टम में तीन तालाब हैं जिनमें क्रमशः तीन स्तर पर पानी का Treatment होता है । गांव का फालतू पानी पहले छोटे तालाब (anaerobic pond) (लगभग 2 कनाल) में एक जाली में से होकर गिरता है । इस तालाब में anaerobic bacteria द्वारा organic treatment होता है । इसके अतिरिक्त अघुलनशील solid waste इस तालाब में settle हो जाते हैं तथा इस तालाब के एक निश्चित स्तर तक भरने पर दूसरे तालाब (facultative pond) में जोकि लगभग 1½ एकड़ क्षेत्र में है, बह जाता है । इस तालाब में चूना आदि डालकर biological treatment करके शुद्धिकरण किया जाता है ।

इसके पश्चात इस तालाब में एक निश्चित स्तर तक भरने के बाद पानी को लगभग 2 एकड़ क्षेत्र के तीसरे तालाब (Maturation Pond) में उतारा जाता है जिसमें Biological प्रक्रिया द्वारा Symbiosis of Bactria and Algae द्वारा Waste पदार्थ स्थिर हो जाते हैं तथा हानिकारक जीवाणु कम हो जाते हैं । यह पानी सिंचाई के काम में लाने योग्य हो जाता है ।

इसी थ्री पौण्ड सिस्टम के साथ ही लगभग एक एकड़ क्षेत्र में पार्क बनाया हुआ है जिसमें सिंचाई हेतु टूटियां, घास व फूलदार पौधे लगाए हु हैं । इसके अतिरिक्त डस्टबिन तथा सोलर लाईट लगाई हुई हैं । पार्क में ग्रामवासी प्रातः व सायंकाल में भ्रमण करते हैं । कचरा कमाई शैड भी इसी पार्क के साथ बनाया हुआ है ।

4. शिक्षा क्षेत्र में योगदान :

गांव में एक राजकीय माध्यमिक विद्यालय तथा एक प्राईमरी पाठशाला है । दोनों ही विद्यालयों में वान्छित संख्या में प्राध्यापक तथा अध्यापक नियुक्त किए गए हैं । ग्राम पंचायत की ओर से विद्यालय में पीने के लिए स्वच्छ पानी हेतु वाटर कूलर व आर.ओ. लगाया हुआ है । बिजली की मोटर सहित सबमर्शिबल पम्प व टंकी का निर्माण किया गया है जिसमें नलों की सुविधा है व फालतु पानी की उचित निकासी की गई है । बिजली न होने की अवस्था में एक नलका भी लगाया गया है । लड़कियों व लड़कों के लिए अलग- अलग शौचालय बनाए गए हैं । प्राथमिक पाठशाला में भी इसी तरह पानी की व्यवस्था व शौचालय निर्माण किए गए हैं । विद्यालय में स्कूल प्रबन्धन एवं विकास समिति का गठन किया गया है जिसके अध्यक्ष सरपंच गुरनाम सिंह हैं । यह समिति समय- समय पर बैठक करती है जिसमें स्कूल की आवश्यकताओं के बारे में विचार विमर्श किया जाता है । इन आवश्यकताओं के बारे में ग्राम पंचायत की बैठकों में विचार किया जाता है । स्कूल में खेल के मैदान पार्क का निर्माण ग्राम पंचायत द्वारा ही किया गया है । सरपंच ने बताया कि गांव में 6 वर्ष से 14 वर्ष के मध्य की आयु का कोई ऐसा बच्चा नहीं है जोकि स्कूल मे न जाता हो । स्कूल में मिड डे मील की व्यवस्था ठीक है किसी बच्चे या अभिभावक को इस बारे में कोई शिकायत नहीं है ।

विद्यालय में ''कानूनी जागरूकता प्रकोष्ठ'' का गठन किया हुआ है जिसमें समय-समय पर कानूनी जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जाता है । ऐसा ही एक शिविर 'Human Rights and Fundamental Duties' बारे में आयोजित किया गया है । इसके अतिरिक्त 26 जनवरी व 15 अगस्त के राष्ट्रीय पर्वों के अवसर पर विद्यालयों में सांस्कृतिक

कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिनकी अध्यक्षता सरपंच गुरनाम सिंह द्वारा की जाती है । बच्चों को ग्राम पंचायत की ओर से मिठाईयां व पारितोषिक वितरित किए जाते हैं ।

5. आंगनबाड़ी केन्द्र :

गर्भवती व दूध पिलाती महिलाओं एवं 0 से 6 साल के बच्चों के विकास हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा गांव में दो आंगनवाड़ी केन्द्र स्वीकृत किए गए हैं, एक केन्द्र हेतु वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में भव का निर्माण किया गया है तथा दूसरे भवन का निर्माण प्राथमिक पाठशाला में किया गया है, बिजली व पंखों की व्यवस्था की गई है, स्टोर व रसोई बनाई गयी है । इन भवनों में पौष्टिक व पूरक आहार की उपलब्धता तथा खेल खिलौनों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने का उचित प्रबन्ध हैं । सरपंच व ग्राम पंचायत द्वारा आहार की समय-समय पर जांच की जाती है । आंगनवाड़ी भवनों में पीने के पानी हेतु वाटर कूलर ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं । शौचालय निर्माण की उचित व पर्याप्त व्यवस्था की गई है । रजिस्टर अनुसार पंजीकृत बच्चों की संख्या की तुलना में उपस्थिति कम पाई गई है । वहां पर दो गर्भवती महिलाएं भी आई हुई थीं इस बारे प्रश्न पूछने पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने बताया कि 0 से 3 साल तक के बच्चे उनके घरों में ही रहते हैं उनकी माताएं व अन्य गर्भवती माताएं आंगनवाड़ी केन्द्र से आकर ही उनके लिए नियमानुसार आवश्यक मात्रा में आहार केन्द्र से लेकर जाती हैं । सात जानलेवा बीमारियों डिफ्थीरिया (गलघोटू), काली खांसी, टेटेनस, क्षयरोग, पोलियो, पीलिया व जापानी बुखार (जापानी एनसैफेलाइटिस), का टीकाकरण विधिवत होता है । ग्राम पंचायत का टीकाकरण कार्यक्रमों में विशेष योगदान रहता है ।

6. स्वास्थ्य, पशुपालन एवं कृषि क्षेत्र में योगदान :

ग्राम पंचायत द्वारा समय-समय पर स्वास्थ्य सम्बन्धी सामान्य जांच के लिए स्वास्थ्य केन्द्र से अनुरोध करके कैम्प लगवाए जाते हैं, आँखों की जाँच हेतु मुफ्त कैम्प लगाए जाते हैं । गांव में सामुदायिक केन्द्र के एक हिस्से में पशु डिस्पेंसरी का प्रबन्ध किया गया है । कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों की बारीकी बारे जानकारी हेतु पंचायत द्वारा कैम्पों का आयोजन किया जाता है जिसमें सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी अपनी टीम सहित उपस्थित होते हैं और उपस्थित किसानों को आवश्यक जानकारी प्रदान करते हैं ।

7. सार्वजनिक वितरण प्रणाली :

जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा गांव में एक डिपो खोला गया है । सरपंच ने बताया कि डिपो में आवश्यक वस्तुओं का वितरण समय पर व ठीक ढंग से किया जाता

है । ग्राम पंचायत या अन्य किसी ग्रामवासी को आवश्यक खाद्य सामग्री व तेल आदि के वितरण बारे डिपो होल्डर से कोई शिकायत नहीं है ।

8. सामाजिक सौहार्द :

सरपंच ने बताया कि गांव में सिख व हिन्दु एक दूसरे के त्योहारों को मनाने में शरीक होते हैं । जातीय दृष्टि से गांव में दो गडरिया चौपाल, एक बाल्मिकी व एक हरिजन चौपाल का पंचायत के सहयोग से व सरकार से प्राप्त अनुदान से निर्माण किया गया है । गांव में गुरूद्वारा लोगों के अपने अंशदान से बनाया गया है । इन भवनों में सम्बन्धित जातियों के लोग अपनी-अपनी आवश्यकता अनुसार इन्हें बैठक व विवाह आदि तथा अन्य सामूहिक कार्यों के लिए प्रयोग करते हैं । सरकार द्वारा गरीबों के लिए आबंटित 100-100 वर्ग गज के 90 प्लाटों के लिए आरक्षित लगभग 3 एकड़ भूमि पर कुछ व्यक्तियों ने भूसे के कूप व उपले तथा गोबर डालकर कब्जे किए हुए थे जो कि उन्होंने प्रशासन के सहयोग से पुलिस व्यवस्था उपलब्ध होने पर ग्राम पंचायत के समझाने पर बिना किसी प्रतिरोध के प्लाटों के लिए आरक्षित इस भूमि से कब्जा छोड़ दिया है । इस समय गांव में कोई नाजायज कब्जा नहीं है ।

9. सामाजिक चेतना :

गांव में लिंगानुपात में असमानता नहीं है सरपंच ने बताया कि गांव में 730 पुरुषों के मुकाबले 737 महिलाएं है फिर भी स्कूल प्रबन्धन व छात्रों के सहयोग से कन्या भ्रुण हत्या, लिंग परीक्षण, नशाखोरी, दहेज प्रथा व बाल विवाह जैसी कुरीतियों के बारे में समाज को सजग व सचेत करने हेतु संगोष्ठियों, पैंटिंग प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तरी व रैलियों का आयोजन किया जाता है । मतदाता दिवस व बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों की जानकारी हेतु प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं । ग्राम पंचायत द्वारा अपने कोष से प्रोत्साहन स्वरूप उत्कृष्ट छात्रों व बच्चों को पारितोषिक प्रदान करके सम्मानित किया जाता है ।

10. पर्यावरण रखरखाव :

गांव में पीने के स्वच्छ पानी की उपलब्धता होने, फालतू पानी की निकासी का उचित प्रबन्धन, शौचालय निर्माण, पार्क निर्माण, कचरा प्रबन्धन तथा थ्री पौण्ड सिस्टम की सुविधा होने के वातावरण स्वच्छ है । सरकार की नई नीति के तहत 'थ्री पौण्ड सिस्टम' को 'फाइव पौण्ड सिस्टम'' में परिवर्तित करने का कार्य जारी है जिसके निर्माण के लिए वर्तमान थ्री पौण्ड सिस्टम के तालाब में से पानी निकासी का कार्य चल रहा है । दूसरे

तालाब को भी इसी सिस्टम में परिवर्तित करने की योजना का प्राकलन उच्चाधिकारियों को भेजा हुआ है ताकि गन्दा पानी अधिक दिनों तक इन तालाबों में न खड़ा रहे व यह पानी सिंचाई के काम में प्रयुक्त हो सके ।

11. सुधारीकरण के क्षेत्र :

गांव के चहुंमुखी विकास में ग्राम पंचायत की बहुआयामी भागीदारी को देखते हुए सरकारी अमले विशेषकर ग्राम सचिव की सक्रियता कम देखने को मिला है जिसके दृष्टिगत उन्हें विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है । पंचायत की बैठक ग्राम सभा की बैठक तथा ग्राम पंचायत के रिकार्ड़ के रखरखाव सम्बन्धित उन्हें निम्नलिखित कार्यों की ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत है :

1. ग्राम पंचायत की बैठक एजेण्डा जारी कर बुलाएं ताकि सम्बन्धित पंच इस बारे पूर्व से तैयारी करके आएं व अपनी भागीदारी दिखाएं ।
2. फार्म V हाजिरी रजिस्टर पर हाजिरी लगाएं ।
3. ग्राम सभा की नियमानुसार बैठक बुलाएं तथा इसमें महिलाओं व कमजोर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित करके इन बैठकों में ग्राम पंचायत के वार्षिक बजट तथा विकास योजना पर चर्चा करवाएं ।
4. कैश बुक प्रत्येक माह लिखें व गोशवारा निकालें । ग्राम सचिव भी इस पर हस्ताक्षर करें । कैश-इन-हैण्ड की सूचना सरपंच को भी दें तथा गोशवारा के बारे में खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी को रिपोर्ट करें ।
5. प्रत्येक वर्ष फरवरी माह के अन्त तक गत वर्ष में पंचायत द्वारा किए गए खर्च बारे खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी को रिपोर्ट भेजें तथा इसी प्रकार आगामी वर्ष की योजनाों बारे माह नवम्बर के अन्त तक सम्बन्धित खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी को रिपोर्ट भेजें ।
6. कार्यों में पारदर्शिता लाने हेतु स्टाक रजिस्टर, वर्क्स रजिस्टर / लैजर रजिस्टर लगाएं ।
7. समय-समय पर निरीक्षण हेतु निरीक्षण रजिस्टर लगाएं जिन्हे खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी तथा समाज शिक्षा एवं पंचायत अधिकारी नियमानुसार पंचायत के कार्यों का निरीक्षण कर व तदानुसार सम्बन्धित रिकार्ड से मिलान कर अपनी रिपोर्ट इस रजिस्टर में दर्ज करें तथा एक प्रति उपायुक्त को भेजें ताकि कार्यों में अपनी सहभागिता बढ़ाएं ।

8. पीने के पानी की व्यवस्था हेतु प्रयुक्त रबर पाईपों को स्टील पाईप द्वारा बदल दिया जाए ताकि किसी तोड़ फोड़ की सम्भावना कम रहे व लोगों को सुरक्षित पानी प्राप्त होता रहे ।

अन्त में कहा जा सकता है कि गांव के एकीकृत विकास का अच्छा प्रयास है परन्तु गांधी जी का सपना कि गांव एक गणराज्य के रूप में हो इसके लिए ग्राम पंचायत को गांवों के लोगो की प्रतिभागिता बढ़ानी होगी तथा गांव स्तर पर कार्य कर रही विभागों तथा समुदाय आधारित संस्थाओं से बेहतर तालमेल करना होगा ।

8. जनजातीय क्षेत्र में महिला नेतृत्व

*** डॉ. अशोक जयसवाल**
**** प्रकाशकुमार धारा**

छत्तीसगढ़ राज्य मातृ प्रधान क्षेत्र है, जहा हर गांव और कस्बों में नारी रुपेण मातृशक्ति की देवी रुप में पूजा की जाती है । राज्य के अधिकांश क्षेत्र में बच्चो की पहचान पिता के साथ मातृ के नाम से जाना जाता है ।

छत्तीसगढ़ पहला राज्य है । जिसने 33 प्रतिशत आरक्षण को बढाकर 50 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं के नेतृत्व को दिया है, और आज कमोवेष 55 से 60 प्रतिशत महिलाएँ पंचायतीराज में नेतृत्व सम्हाल रही है ।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के साथ-साथ महिलाओं के प्रगति के लिए समाज को विशेष ध्यान देना होगा । क्योंकि विकास प्रक्रिया में महिलाओं एवं बच्चों का महत्व पूर्ण स्थान रखता है । अतः इस हेतु उनकी सहभागिता एवं नेतृत्व का होना बेहद जरुरी है ।

छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहा कि कुल 146 विकासखण्डों में से 85 विकासखण्ड अनुसूचित-जनजातीय विकास खण्ड है । जहा पेसा एक्ट के तहत कार्यवाही की जाती है । इन्ही में से मैं एक ग्राम पंचायत का उदाहरण देना चाहूँगा जो कि धमतरी जिले के नगरी विकासखण्ड का आश्रित ग्राम पंचायत बेलर है यह ग्राम पंचायत क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है । इस ग्राम पंचायत के आश्रित ग्रामो में भूमका, बनोरा, डोमपदर और हिरीडीह है । ग्राम पंचायत में 55 प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जनजातीय बहुल्य की है तथा यह ग्राम महानदी के तट पर बसा हुआ है और गांव की सीमा के कुछ दूर बाद सीतानदी वन अभ्यारण प्रारंभ हो जाता है ।

बेलरगांव में नेतृत्व, सहभागिता वं पारदर्शिता के समन्वय ने आज उसे आदर्श ग्राम पंचायत की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है । जो कि पंचायत राज व्यवस्था से जुडे हुए जन-नेतृत्व की भूमिका से किया गया सकारात्मक प्रयास ही है । यह ग्राम आज गांधी जी के ग्राम स्वराज की कल्पना को लागू कर आत्म निर्भर बनने की ओर अग्रसर है । और इसके पीछे ग्राम सभा के सदस्यो का सहभागिता के सराहनीय योगदान का उदाहरण है । पूर्व सरपंचो ने यह महसूस किया कि मात्र सरकारी योजनाओं की धन राशि से ग्राम पंचायत

---

* संकाय सदस्य ठा.प.एवं ग्रा.वि. संस्थान निमोरा,

** प्रशिक्षण सलाहकार

का विकास संभव नही है । यदि इसे सक्षम एवं आत्म निर्भर बनाना है तो ग्राम पंचायत को इसके लिए ड्डपने स्वयं के स्त्रोत एवं संसाधन तैयार करना होगा । फिर ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों ने 73 वे संविधान संशोधन के अन्तर्गत पंचायत राज अधिनियम में दिए गए नियम एवं प्रावधानो के अन्तर्गत करारोपण एवं अन्य संसाधनो चिन्हांकित किया ।

सरपंच श्रीमती भुवनेश्वरी नेताम ने आगे बढते हुए नेतृत्व किया । ग्राम पंचायत में करारोपण का कार्य इतना आसान नहीं था । सरपंच को इस कार्य के लिए अपने ग्राम वासियों के विरोध का सामना करना पडा लेकिन नेतृत्व क्षमता एवं लोगो कि सहभागिता को प्राथमिकता दी । ग्राम पंचायत में निवासरत अधिकतर लोग जनजातिय समुदाय से है और उनकी इतनी मासिक आय भी नहीं है कि वे कर की राशि जमा कर सके । लेकिन सरपंच ने नदि के किनारे कछार में ग्रामीणों को फसल लगाने हेतु प्रोत्साहित किया जिससे उनकी आजीविका के साथ ग्राम पंचायत के कर को पटाने के लिए राशि प्राप्त हो सके और समय समय पर ग्रामवासी पटा सके । ग्राम पंचायत ने इस बात पर विचार किया और पंचायत के पदाधिकारियों ने ग्रामवासियों को समझाया कि कर से प्राप्त होने वाली राशि का उपयोग ग्राम सभा द्वारा नियोजित विकास कार्य के लिए किया जाएगा जिसकी चर्चा ग्राम सभा में कर सर्वसम्मति बनायी गयी, जिसकी परिणाम आज ग्राम पंचायत में दिखता है ।

सरपंच ने अपने नेतृत्व क्षमता एवं जन सहभागिता से ग्राम पंचायत के कार्यों के प्रोत्साहन हेतु स्वयं एवं जनता के लिए प्रक्रिया एवं नियम बनाये जिसके परिपालन से गांव के पास संसाधन निर्मित हुए है जिसमें भौतिक वित्त एवं वैयक्तिक संसाधन संम्मिलित है ।

प्रक्रिया - ग्राम पंचायत मे ंअपने विचार रखने या आवश्यक कार्य कराने हेतु आवेदन ग्राम पंचायत में प्रस्तुत करे । इस हेतु उन्होंने अपने ग्राम पंचायत में वैयक्तिक संसाधन के रुप में लिपिक को अधिकृत किया है जो आवेदन को एकत्रित कर ग्राम पंचायत के पदाधिकारीयों एवं सभा को सूचित करता है । जिस पर ग्राम सभा में चर्चा कर कार्यवाही एवं निर्णय हो सके एवं अन्य पंचायत संबंधी कार्य करता है । इस लिपिक के वित्त का अधिभार ग्राम पंचायत को करो से प्राप्त आय पर होता है ।

नियम - स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार के अवसर उपलब्धता को प्रोत्साहन हेतु बनाये है । जिससे गांव के लोग कर को समय पर पटा दें । जैसे - कि जो ग्रामवासी साल के प्रथम माह में पूरा सम्पत्ति कर जमा करेगा उसे कर में १० प्रतिशत की छूट दी जायेगी, जो ग्रामवासी सम्पत्ति कर की आदायगी साल के प्रथम ३ माह के भीतर में करते हैं तो उन्हें 5 प्रतिशत की छूट दी जावेगी ।

स्वास्थ्य सुविधा हेतु स्वयं के संसाधन से एम्बुलेस ग्राम पंचायत ने खरीदा है । ताकि निर्धन/गरीब लोगो को समय पर स्वास्थ्य सुविधा हेतु खण्ड / जिला चिकित्सालय में स्वास्थ्य सुविधा हेतु पहुचाया जा सके । जिसका के उपयोग हेतु एक निश्चित राशि हितग्राही के द्वारा जमा की जाएगी । सफाई संबंधित नियम का विशेष पालन करने, स्वच्छ पेय जल एवं सड़को में प्रकाश व्यवस्था के लिए ग्राम सभा में सभी लोगो को निर्देशित किया गया है एवं सेवाओं को प्रदान करने हेतु लाईन मैन, सफाई कर्मचारी की नियुक्ति एवं सडको पर कचरा डब्बा रखा गया है जिसका उपयोग गांव वालो द्वारा किया जाता है । जिसका वेतन अधिभार स्वयं ग्राम पंचायत वहन कर रही है । इसका मुख्य स्त्रोत गांव के सम्पत्ति कर, प्रकाश कर, व्यापार कर, नल-जल अमानत राशि, लीज, काम्प्लेक्स किराया से प्राप्त होता है ।

ग्राम पंचायत द्वारा करों से प्राप्त राशि से विकास एवं अन्य गतिविधियों पर सराहनीय कार्य किया जा रहा है :-

1. शिक्षा :- श्रीमती भुनवेश्वरी नेताम द्वारा ग्राम पंचायत के सहयोग से स्कूल की गतिविधियों का समय-समय पर निरीक्षण किया जाता है एवं ग्राम सभा की बैठक में शिक्षा से संबंधित समस्याओं पर चर्चा की जाती है । शिक्षा संबंधी समस्याओं को दूर करने हेतु ग्राम पंचायत द्वारा स्वयं के वैकल्पिक शिक्षकों की व्यवस्था की गई हैं तथा ग्राम पंचायत द्वारा विकलांग बच्चों को 8 वीं तक पठन-पाठन कार्य के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है ।

2. स्वास्थ्य :- ग्राम पंचायत में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र उपलब्ध है । ग्राम पंचायत के शिक्षा, स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण स्थायी समिति के नियोजन का परिणाम है जिससे की आज ग्राम पंचायत में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए निवास की व्यवस्था किया गया है । महिलाओं व बच्चों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के संदर्भ में विशेष ध्यान यहां दिया गया । खुद स्वास्थ्य कार्यकर्ता अपने को ग्राम सभा के प्रति जिम्मेदार मानते है । स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा ग्राम सभा में स्वास्थ्य संबंधी विषय पर विचार-विमर्श किया जाता है । बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था मुहैया कराने हेतु ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभा में सर्वसम्मति से निर्णय पारित कर स्वास्थ्य विभाग को एक एम्बुलेन्स खरीदकर दिया गया है ।

3. आजीविका :- पंचायतों द्वारा महिलाओं को स्व-सहायता समूह में जोड़ने के लिए प्रेरित किया गया । स्व-सहायता समूह द्वारा कपड़ा सिलाई और रेडी टू इट खाद्य सामग्री का निर्माण कर पूरे विकासखंड में भेजा जाता है । साथ ही, आम बाजार एवं मवेशी बाजार में शिक्षित बेरोजगार युवकों का एक समूह बनाकर उन्हें साइकिल स्टैण्ड दिया गया है ।

4. स्वच्छता :- ग्राम पंचायत कर से होने वाली आय का उपयोग जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में करती है । पंचायत ने ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित अपने स्वयं के आय से गांव में पक्की नालियों का निर्माण कराया है तथा कचरा पेटियां रखवायी है । इसकी साफ-सफाई के लिए ग्राम सभा ने कुछ लोगों को जिम्मेदार प्रादन की हैं और समय-समय पर इसकी देखरेख पंचायत द्वारा किया जाता है । ग्राम पंचायत में 5 स्थानों पर सुलभ शौचालय का निर्माण भी करवाया है ।

5. आवास व्यवस्था :- ग्राम पंचायत स्वयं से गरीब परिवार को आवास की सुविधा प्रदान की जा रही है जिनका नाम गरीबी रेखा में नहीं है और वे निर्धन है । पंचायत द्वारा साल में ऐसे दो परिवारों को आवास हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है । इसके साथ दो परिवारों आर्थिक सहायता आवास मरम्मत करने के लिए भी प्रदान किया जाता है । इस पूरी प्रक्रिया में हितग्राहीयों का चयन ग्राम सभा द्वारा किया जाता है । यह सरपंच के सफल नेतृत्व का ही परिणाम है ।

6. नागरिक अधिकार एवं सुरक्षा :- ग्राम पंचायत द्वारा गांव के ऐसे निर्धन व्यक्ति अंतिम संस्कार हेतु आर्थिक एवं भौतिक सुविधा प्रदान करती है । इस संबंध में निर्णय ग्राम सभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर किया जाता है ।

7. सिंचाई व्यवस्था :- ग्रामवासियों की आजीविका कृषि कार्य पर निर्भर है । ग्राम पंचायत महानदी के किनारे स्थित होने के कारण नदी पर बांध बनाकर सिंचाई कार्य किया जा रहा है ।

8. ग्राम सभा में सहभागिता :- गांव की आत्मा ग्राम सभा में निहित है । सरपंच एवं पदाधिकारीयों के नेतृत्व से ग्राम सभा में ग्रामवासियों की उपस्थिति एवं सहभागिता अधिक होती है । जहाँ ग्रामवासी ग्राम विकास की योजना बनाते है ।

9. स्थाई समितियों की सहभागिता :- ग्राम पंचायत के नेतृत्व का ही परिणाम है कि ग्राम पंचायत कें सभी स्थाई समितियों का गठन के स्थाई समितियों की नियमित बैठके होती है और उनके द्वारा समस्याओं पर चर्चा कर योजनाओं का निर्माण किया जाता है ।

पंचायत में सरपंच के इस नेतृत्व एवं प्रयास से लोगों का विश्वास पंचायत के प्रति धीरे-धीरे बढ़ता गया । इससे एक आदर्श ग्राम की परिकल्पना साकार हुई । 73 वें संविधान संशोधन का उद्देश्य भी यही था कि ग्राम पंचायत आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए आत्मनिर्भर योजनाएं बनाये, बेलगांव के जनप्रतिनिधियों और ग्रामवासियों के आपसी ताल-मेल से विकास के नये आयाम को प्राप्त किया है ।

(स्रोत : ग्राम पंचायत बेलरगाँव)

9. विकेन्द्रीकृत जिला नियोजन : एक विवेचन

*** डॉ. रमेश प्रसाद द्विवेदी**

प्रस्तावना :

नियोजन देश की प्राचीन परंपरा है केवल इसी के कारण वह ग्राह्य नहीं माना जा सकता है । हमें यह देखना होगा कि वर्तमान में जिला नियोजन की प्रसंगिकता है कि नहीं, यदि उत्तर सकारात्मक है तो इसे अंगीकार किया जा सकता है । विकसित और विकासशील राष्ट्रों की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि उनमें राष्ट्रीय संस्कृति का प्रवर्तन हो । राष्ट्रीय संस्कृति का आशय भविष्योंन्मुख, लक्ष्योंन्मुखी व परिणामोंन्मुखी का समुच्चय जो राज तंत्र में स्थान पाता है । वस्तुतः शहरीय व ग्रामीण क्षेत्रों की जनता यहां बराबर का अधिकार शासन से प्राप्त करती है ।

ग्यारहवीं योजना का अत्यधिक महत्त्वपूर्ण विषय समावेशी विकास है । इसे प्राप्त करने के महत्त्वपूर्ण उपायों में से एक है जिला आयोजना । संसाधनों के अभिसरण के साथ-साथ संतुलित विकास और अन्तर क्षेत्रीय प्राथमिकताओं के प्रवर्तन के अनुरुप ईष्टतम परिणामों की उपलब्धि के उद्देश्य से जिला आयोजना योजना प्रक्रिया में सुधार का प्रयास करती है । यह पारंपरिक रुप से टाप-डाउन ढंग से कार्य करती आ रही है जिसके परिणामस्वरुप पर्याप्त मात्रा में स्थानीय और यदा-कदा सुविज्ञ सूचना प्राप्त नहीं होती है । नवम्बर, 2008 में जिला आयोजना के लिए मार्गदर्शन करने के लिए एक मैनुअल तैयार किया गया, जिससे स्थानीय, जिला एवं राज्य स्तर पर योजनाकारों को सहायता प्राप्त हो रही है । जिला आयोजना, स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों, अवसंरचना स्थिति एवं अंतरालों, स्थानीय लोगों के उद्देश्यों एवं विजन तथा अग्रणी क्षेत्रकों के विकल्पों पर गौर करते हुए निश्चित रूप से समावेशी विकास को संबधित करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे पारदर्शिता बढ़ाने से न केवल लोगों के जीवन यापन में असमानताओं को समझने में सहायता मिल रही है बल्कि साम्यपूर्ण एवं मानवीय आयोजना करने में भी सहायता भी प्राप्त हो रही है ।[1]

---

1 समेकित जिला नियोजन मैनुअल, योजना आयोग, भारत सरकार, ।

* पोस्ट डॉक्टोरल फैलो (आी.सी.एस.आस. नई दिल्ली) श्रीनिवास बहुउद्देशीय संस्था ''नयनतारा'' 81 फूलमती ले आउट, (जयवंत नगर) एन.आय.टी. गार्डेन के पास, नागपुर - 440 027, महाराष्ट्र
संपर्क : 09595119824, 08793908178, ईमेल : shrinivas_ngo@rediffmail.com

संविधान की धारा 243 जेड डी अनुदेशित करती है कि जिले की पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा तैयार योजनाओं को समाकलित करने और पूरे जिले के लिए विकास योजना का एक प्रारूप तैयार करने के लिए जिला योजना समितियों का गठन संविधान के भाग 10 के अंतर्गत शामिल क्षेत्रों को ध्यान में रखा गया है । विकास योजना का प्रारूप तैयार करने के लिए जिला योजना समिति को स्थानिक नियोजन, पानी और अन्य प्राकृतिक संसाधनों का बंटवारा, अवसंरचना का मिलाजुला विकास और पर्यावरण रक्षा सहित पंचायतों और नगरपालिकों के बीच मौजूद साझेहित वाले मामलों पर विचार करने की जरूरत है ।[2] 74 वें संविधान संशोधन के पारित हुए 22 वर्ष बीत चुके हैं । पर अधिकतर राज्यों में जिला योजना समितियों को अभी भी अपना रूप धारण करना है । इतना ही नहीं, जिन राज्यों में इनका गठन भी नहीं किया भी गया है । वहां उतनी भूमिकाएं उस भूमिका से काफी अलग है जो संविधान द्वारा अपेक्षित, जिला योजना समितियां द्वारा पूरे जिलें के लिए विकास योजना प्रारूप न बना पाने का नियोजन की प्रक्रिया की अगुवाई करने के लिए पूरी तरह से साधनयुक्त नहीं होती । इसके फलस्वरूप अधिक से अधिक वे ऐसी समितियों के रूप में काम करती हैं जो विभागीय अधिकारियों द्वारा तैयार 'योजना' या योजनाओं को जल्दबाजी में मंजूरी देने के लिए कभी-कभी बैठक करती हैं ।[3]

विकेन्द्रीकृत नियोजन की अवधारणा :

प्रासंगिक तथ्य और आंकड़े एकत्रित करना, प्राथमिकताएं निर्धारित करने के लिए उनका विश्लेषण करना, निर्धारित प्राथमिकताओं का उपलब्ध बजट के साथ मिलान करना, कार्यान्वयन की प्रक्रियाओं को परिभाषित करना और लक्ष्य निर्धारित कर उनका अनुश्रवण करना । विकेन्द्रकृत जिला नियोजन में वह सब शामिल होता है जिसे जिले की विभिन्न आयोजना इकाईयां सामूहिक रूप से परिकल्पना करके अपने-अपने बजटों और कौशलों का उपयोग करके और अपनी पहलकदमियों को आगे बढ़ा कर मिलजुल कर हासिल कर सकती है । अच्छी विकेन्द्रीकृत जिला योजना के अन्तर्गत हर योजना इकाई जैसे जिला, मध्यवर्ती और ग्राम स्तरों पर पंचायतें, नगरपालिकाएं लोगों के साथ परामर्श करके अपने कार्य और उत्तरदायित्व पूरा करने के लिए एक योजना बनाती है । एक दूसरे के साथ सहयोग और समन्वय करते हुए वे सामान्यतः एक दूसरे की जिम्मेदारी वाले क्षेत्र

---

2. भारत का संविधान, विधि और कानून मंत्रालय, भारत सरकार ।

3. समेंकित जिला नियोजन कार्य से जुड़े स्वयं सेवी संस्थाओं के क्षमता विकास के लिये प्रशिक्षण मार्गदर्शिका मध्यप्रदेश, भोपाल

में तब तक दखल नहीं देगी जब तक कि इससे निश्चित रूप में कोई लाभ प्राप्त न हो और इसे लेकर आपसी सहमति न हो ।[4]

सरकार का अन्तिम उद्देश्य जनता का विकास करना है परन्तु देश की अधिकतर जनसंख्या गांवों व कस्बों में रहती है जो सामाजिक व आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी हुई है । इसलिए यदि उनका वास्तविक विकास करना है, तो विकेन्द्रीकृत नियोजन को अपनाना होगा । विकेन्द्रीकृत नियोजन में योजना का निर्माण एवं उसका क्रियान्वयन केन्द्र से न होकर विभिन्न क्षेत्रों द्वारा संचालित होता है । इसके अन्तर्गत योजना निर्माण एवं संचालन में स्थानीय क्षेत्र के लोगों की सक्रिय भागीदारी रहती है ।[5]

लोकतांत्रिक नियोजन विकेन्द्रीकृत नियोजन का एक प्रमुख रूप है । इस प्रकार नियोजन में योजनाओं को बनाने तथा उनका क्रियान्वयन करने में जन सामान्य की भागीदारी रहती है । पंचायती राज प्रणाली में हम लोकतांत्रिक नियोजन का स्वरूप देख सकते हैं । भारत में योजनाओं की नीति, लक्ष्य आदि का निर्धारण योजना आयोग करता रहा है । साथ ही क्षेत्र विशेष की समस्याओं पर अपनी सलाह देता रहा है । यहाँ पर राजनीति का रूप तो लोकतांत्रिक है, लेकिन इसका स्वरूप लोकतांत्रिक नहीं रहा है । यही कारण है कि भारत में सरकार एवं जनता का विश्वास दिन-प्रतिदिन कम होकर दोनों के मध्य अविश्वास की खाई बढ़ती जा रही है । किसी भी आयोजन की सफलता इस बात पर अधिक निर्भर करती है कि आज जनता की भागीदारी उसमें किस सीमा तक विद्यमान है ।[6]

विकेन्द्रीकृत नियोजन का अर्थ

विकेन्द्रीकृत नियोजन का सीधी-सरल भाषा में अर्थ है 'लोगों के द्वारा अपने विकास के लिये बनाई गयी योजना । सामान्य रूप से पाया जाता है कि योजनाओं को बनाने का अधिकार कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में होता है । ये लोग कुछ विषयों के विशेषज्ञ होते हैं । किन्तु जमीनी अनुभवों के अभाव और व्यापक दृष्टिकोण के आधार पर इन लोगों के द्वारा बनायी गयी योजनाओं को भारत जैसे विशाल देश में एक समान लागू नहीं किया जा सकता है । इसलिये विगत वर्षों में बनायी गयी बहुत सी योजनाओं का वह परिणाम हासिल नहीं किया जा सका जैसा योजना बनाने वालों ने सोचा था । विकेन्द्रीकृत नियोजन

4. गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया मैनयुवल फॉर, इन्टीग्रेटिड डिस्ट्रक प्लानिंग, दिल्ली, 2008, पृ.9
5. शर्मा, के.के., भारत में पंचायती राज, कालेज बुक डिपो, नई दिल्ली, 2006, पृ.68
6. उपरोक्त, शर्मा, पृ.69

की सोच यह है कि योजनाओं को बनाने के अधिकार को कुछ मुट्ठी भर लोगों, केंद्रीय संस्थाओं और अफसरशाही के हाथों में न रखा जाय बल्कि इसे उन आम लोगों, प्रतिनिधियों और संस्थाओं को सुपुर्द किया जाए, जिनके हित के लिए योजनाएं बनाई जाती है ।[7] विकेन्द्रीकृत नियोजन एक ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा नियोजन प्रक्रिया में लोगों को शामिल करके उनकी भागीदारी ली जाती है और इस प्रक्रिया को विकेन्द्रीकृत नियोजन कहते हैं ।[8]

समेकित जिला योजना क्या है ? :

समेकित जिला योजना एक ऐसा दस्तावेज है जो जिले के आगामी वर्ष के विकास का आधार पत्र होता है । यह दस्तावेज एक वर्ष का, पाँच वर्ष का या लम्बी अवधि का भी हो सकता है । समेंकित जिला योजना में संबंधित जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की समस्याओं का जिक्र होता है जिन्हें स्थानीय स्तर पर लोगों के द्वारा तय प्राथमिकताओं के आधार पर आगामी एक वर्ष की अवधि में दूर करने के लिये किये जाने वाले प्रयासों उनके लिये आवश्यक धनराशि का उल्लेख किया जाता है । इस दस्तावेज के निर्माण का एक प्रमुख आधार संविधान द्वारा स्थापित पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय शहरी निकायों के सदस्यों के द्वारा क्रमशः ग्राम सभा और वार्ड सभा की बैठक के दौरान आपसी विचार-विमर्श के आधार पर अपने संसाधनों की सीमा में तय किये गये विकास के कार्यों का लेखा-जोखा होता है । जिला योजना के दस्तावेज में आने वाले समय में विकास की दिशा को तय करने के साथ ही विभिन्न कार्यों के लिये विभिन्न स्रोतों से संभावित रूप से मिलने वाले और खर्च किये जाने वाले संसाधनों को निर्धारित करने का कार्य किया जाता है ।[9]

नियोजन का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य :

नियोजन का विचार मानव बुद्धि में लगभग 2400 वर्ष पुराना माना गया है और सर्वप्रथम प्लुटों ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक के माध्यम से दुनियाँ के सामने यह विचार रखा था । वर्षव 1910 में प्रोफेसर कृषचन चोनीधर की आर्थिक नियोजन पर प्रकाशित पुसत्क

---

7. समेकित जिला नियोजन कार्य से जुडे जिला योजना समिति सदस्यों के क्षमता विकास के लिये प्रशिक्षण मार्गदर्शिका, पृ.21
8. थापलियाल, बी.के., डीसैन्ट्रलाईज्ड प्लानिंग : कॉन्स्पट, स्कोप एण्ड मैथ्डोलोजी, जर्नल्स आफ रूरल डैवलपमैन्ट एन.आई.आर.डी. हैदराबाद 1990, पृ. 995-996
9. वही, पृ. 26

ने देशों को बहुत अधिक आकर्षित किया तथा नियोजन रूप देने के लिए जर्मनी ने नियोजन को प्रथम विश्वयुद्ध में अपनाया । तदोपरान्त वर्ष 1928 में सोवियत संघ ने भी राज्य के कृषि में पिछड़े क्षेत्रों का सुधार करने के लिए राज्यों को सुझाव दिया की ''प्रथम पंचवर्षीगय'' योजना में नियोजन अपनाया जाए ।[10] भारत में नियोजन का विचार वर्ष 1933 में एम. विश्वेश्वरैया ने दिया तथा वर्ष 1934 में नियोजन पर ''प्लाण्ड इकॉनोमी फॉर इण्डिया'' नामक पुस्तक प्रकाशित हुई । पुस्तक से प्रेरित होकर वर्ष 1937 में राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू को उस समिति का अध्यक्ष बनाया गया । परन्तु समिति वर्ष (1942-46) तक राजनैतिक कारणों के कारण अपना कार्य नहीं कर पायी और वर्ष 1949 में समिति योजना बनाने में सफल रही ।[11]

स्वतन्त्रता के उपरान्त भारत में नियोजन प्रक्रिया केन्द्र स्तर पर लागू की गई थी । उसके लिए के.सी. नियोगी की अध्यक्षता में गठित एडवायजरी प्लानिंग बोर्ड की अनुशंसा पर भारत सरकार के प्रस्ताव द्वारा मार्च 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई । योजना आयोग की स्थापना संविधान के अधीन नहीं हुई और न ही किसी अधिनियम के माध्यम से हुई । यह आयोग सामाजिक व आर्थिक विकास के लिए सर्वोच्च निकाय है ।[12] योजना आयोग केन्द्रीय स्तर पर सामाजिक व आर्थिक विकास के लिए योजनाएं तैयार करता है परन्तु भारत की भौगोलिक स्थिति एक समान नहीं होने के कारण योजना आयोग द्वारा बनाई गई योजनाएं सभी क्षेत्रों में समान रुप से लागू नहीं हुई और देश को विकेन्द्रित योजनाओं की आवश्यकता महसूस हुई । परिणामस्वरूप पहली पंचवर्षीय योजा (1951-56) में योजना प्रक्रिया को राष्ट्रीय, राज्य, जिला तथा स्थानीय स्तर पर सामुदायिक बनाने का सुझाव दिया[13] और हर जिले में ग्राम स्तर पर अलग-अलग सीमा तक सहभागितापूर्ण प्रक्रिया के आधार पर योजनाएं तैयार करने के लिए एक जिला विकास परिषद् का गठन किया गया ।

---

10. सेथ, एम.एल., थियोरी एण्ड प्रैस्टी ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, एस. चन्द कम्पनी, नई दिल्ली 1971, पृ.3
11. उपरोक्त, थियोरी एण्ड प्रैस्टी ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, पृ.405
12. देशमुख, नीलिमा, आर्थिक नीति और प्रशासन कालेज बुक डिपो, जयपुर, 1997 पृ.49
13. ड्राफ्ट स्टेटस एण्ड फंगसनिंग ऑफ डिस्ट्रीक प्लानिंग कमैटीज इन इण्डिया, प्रिया, नई दिल्ली, दिसम्बर 2007 पृ.4

पहले प्रशासनिक सुधार आयोग (1967) ने जिला स्तर पर, विशेषकर विकास प्रतिमानों की स्थानीय भिन्नताओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए सार्थक नियोजन की प्रक्रिया पर बल दिया। योजना आयोग ने जिला नियोजन के लिए अपने पहले दिशा-निर्देश 1969 में जारी किये, जिसके फलस्वरूप कई राज्यों में जिला योजनाएं तैयार की गई। किंतु कुछ उत्कृष्ट उदाहरणों को छोड़ दें तो जिला नियोजन की दिशा में की गई ये पहलकदमियां विफल हो गईं क्योंकि अधिकतर राज्यों में इन स्थानीय नियोजन प्रक्रियाओं को वार्षिक नियोजन प्रक्रिया से नहीं जोड़ा गया। साथ ही इन पहलकदमियों में जिला योजना के अंग के रूप में शहरी नियोजन प्रक्रियाओं को शामिल नहीं किया गया था। उस समय सुझाये गये जिला नियोजन के उपायों में इन योजनाओं के केंद्रीय स्वामियों के रूप में स्थानीय निकायों की भूमिका की मुख्यतः उपेक्षा की गई थी। यह दृष्टिकोण पूरी तरह से अनुचित नहीं था।

बलवंत राय समिति की रिपोर्ट और अनेक राज्यों में पंचायतों के गठन के बाद भी, पंचायती राज प्रणाली को बहु-स्तरीय सरकारी प्रणाली का स्थानीय तत्व नहीं माना गया था। इसलिए उनकी भूमिका अधिक से अधिक इस रूप में परिकल्पित की गई कि उन्हें ग्राम सभाओं - जिनमें लोग अपने विचार और सुझाव प्रस्तुत करेंगे और जिन पर लाईन विभागों द्वारा अमल किया जाएगा, के आयोजन के माध्यम से ऊपर से निर्देशित योजना प्रक्रिया के सहायकों के रूप में उनसे परामर्श लिया जाएगा या उन्हें शामिल किया जाएगा। पंचायतें अपने कार्य क्षेत्र में स्वायत्तता का उपयोग करने वाली स्वतंत्र नियोजन इकाइयों के रूप में प्रभावशाली न हो पाईं क्योंकि उनमें से अधिकतर के पास बहुत सीमित वित्तीय संसाधन थे।[14]

साठ के दशक के अंत से लेकर अस्सी के दशक के मध्य तक रुझान, प्रशासन के अधिक केंद्रीकरण की दिशा में रहा। अपने पक्ष में ठोस राजनीतिक और प्रशासनिक सहायता के बिना, साठ के दशक के अंत तक अधिकतर राज्यों में पंचायतों का अधिक्रमण (सुपरसीड) कर दिया गया। मुख्यतः लाइन विभागों के माध्यम से क्रियान्वित की जाने वाली केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजनाओं के सूत्रीकरण से जिला नियोजन प्रक्रिया वस्तुतः ढह गई। हालांकि केन्द्रीकरण को रोकने के अनेक प्रयास किये गये (दांतवाला) समिति, जीवीके राव समिति), पर ये मुख्यतः विफल रहे। स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के कमजोर होने और सेक्टोरेल विभागों की वृद्धि और बहुगुणन ने अनुलम्ब (वर्टिकल) नियोजन को

14. समेकित जिला नियोजन मैनुअल, योजना आयोग, भारत सरकार नई दिल्ली, 2008.

बल दिया और जिलों में विकेंद्रीकृत नियोजन के संसाधनों की उपलब्धता को अस्पष्ट बना दिया ।[15]

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अवधि में पायलट रिसर्च प्रोजेक्ट, पंचायत संस्थाओं द्वारा नियोजन के प्रयास 1969 में नियोजन आयोग द्वारा प्रसारित किया गया । जिला नियोजन मार्गदर्शन, 1970 में खंड स्तरीय नियोजन वार्ता, 1978 में दांतावाला समिति प्रतिवेदन एवं 1984 में जिला नियोजन पर हनुमंतराव प्रतिवेदन की अवधि में जिलों पर क्षेत्रीय नियोजन के सफल होने पर भी विकेन्द्रित नियोजन की आवश्यकता बार-बार अनुभव की जाती रही । जिला नियोजन के प्रति 1970 में अभिरूचि दिखाई पड़ी । इंडियन जर्नल आंफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा बहुस्तरीय नियोजन 1973, जर्नल आंफ लालबहादुर शास्त्री नेशनल अकादमी आंफ एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जिला नियोजन 1975, इस आवश्यकता का प्रत्यक्ष उदाहरण है । महाराष्ट्र शासन ने पंचायत स्तर पर राज्य स्तरीय नियोजन मूल्यांकन समिति प्रतिवेदन 1971 के परिपालन में 1972 में जिला नियोजन बोर्ड का गठन किया गया । 1974 में जिला नियोजन विभाग की स्थापना की गई ।[16]

जिला नियोजन प्रक्रिया से सम्बन्धित समस्याओं का अध्ययन करने के लिए सी.एच. हनुमन्तराव की अध्यक्षता में जिला योजना कार्य दल वर्ष 1982 में गठित किया गया तथा वर्ष 1984 कार्य दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और सुझाव दिया था कि स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्तीय संसाधनों का विकेन्द्रीकृत करके जिला स्तर पर एक प्रभावी एवं स्थायी आयोजना तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए । जिसमें लगभग 50 सदस्य हों । जिला परिषद् पंचायत समितियाँ, नगर निगमों या नगरपालिकाओं, जिले के विधायकों, सांसद, श्रमिकों, उद्योगपतियों तथा बैंकों के प्रतिनिधि इस निकाय में सम्मिलित करने की अनुशंसा की गई । इस विशालकाय जिला आयोज निकाय की छोटी कार्यकारी या क्रियान्वयन समिति बने जिसका अध्यक्ष जिला कलैक्टर हो, मुख्य आयोजना अधिकारी सदस्य सचिव एवं विकास कार्यों से जुड़े विभागों के अधिकारी सदस्य मनोनित हो । जिला आयोजन निकाय की तकनीकी सहायतार्थ एक पृथक् जिला आयोजना प्रकोष्ठ भी स्थापित किया जाए ।[17]

---

15. समेकित जिला नियोजन मैनुअल, योजना आयोग, भारत सरकार नई दिल्ली, 2008.
16. वही, पृ. 82
17. कटारिया, सुरेन्द्र, भारतीय लोकप्रशासन, नैशनल पब्लिकेशन हाऊस, जयपुर, 2005, पृ.299

सन् 1985 में जिला पंचायत द्वारा सभी विकासकारी कार्यक्रमों का प्रबन्ध करना तथा ग्रामीण विकास के लिए प्रशासनिक प्रबन्धों पर जी.वी.के. राव समिति का गठन हुआ तथा समिति ने नियोजन से सम्बन्धित निम्न सुझाव दिए[18] -

- जिला तथा इससे भी निम्म स्तर की पंचायती राज की संस्थाओं को ग्रामीण विकास के लिए योजना बनाने, उन्हें लागू करने तथा उनका मूल्यांकन करने के लिए अधिक शक्तियाँ प्रदान करना ।
- जिला स्तर की सभी विकासशील योजनाओं को लागू करने के लिए एक जिला विकास आयुक्त की नियुक्ति करना ।

वर्ष 1988 में केन्द्र-राज्यों के सम्बन्धों पर सरकारीया आयोग को गठित किया गया । सरकारीया आयोग ने भी जी.वी. के राव समिति की तरह जिला स्तर पर नियोजन एवं प्रशासन को सशक्त बनाने के सुझाव दिए । परन्तु स्थानीय निकाय कमजोर होने के कारण सभी प्रयास असफल रहे ।[19]

स्थानीय निकायों को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने जुलाई 1989 में लोकसभा में दो 64 वां संविधान संशोधन बिल तथा 65 वां संवैधानिक बिल पेश किए । 64वें संविधान संशोधन का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में तथा 65वें संशोधन का उद्देश्य नगरीय क्षेत्र में स्थानीय शासन को अधिक प्रभावशाली एवं सकुशल बनाना था । लोकसभा द्वारा इन बिलों को पारित किया गया परन्तु राज्य सभा में कांग्रेस दल को बहुमत प्राप्त न होने के कारण राज्यसभा ने इन्हें पारित नहीं किया तथा अक्तूबर 1989 में इसे अस्वीकार कर दिया । यद्यपि ये बिल राजनैतिक परिस्थितियों के कारण पारित नहीं किए जा सके । परन्तु स्थानीय शासन के विकास में इनका विशेष महत्व रहा ।[20] 73 वां संविधान संशोधन अधिनियम सन् 1993 पारित किया गया । इस संशोधन के आधार पर संविधान में 11 वीं अनुसूची की व्यवस्था कर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया एवं इस संशोधन के माध्यम से ग्रामीण विकास हेतु अनुच्छेद 243 से 243 (16) में उल्लेख किया गया है तथा जिला नियोजन से संबंधित 74 वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अनुच्छेद 243-26 (4) में जिला नियोजन के लिए समिति की स्थापना

---

18. उपरोक्त, भारत में स्थानीय शासन, पृ.119
19. ड्राफ्ट स्टेटस एण्ड फंगसनिंग ऑफ डिस्ट्रीक प्लानिंग कमैटीज इन इण्डिया, प्रिया, नई दिल्ली, दिसम्बर 2007 पृ. 5
20. शर्मा, के.के., भारत में पंचायती राज, कालजे बुक डिपो, नई दिल्ली, 2006 पृ. 45

का उपलबंध करता है । इस अधिनियम के अनुसार प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर एक जिला योजना समिति का गठन किया जाएगा जो जिले में पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा बनाई गई योजनाओं को समेकित करेगी और पूरे जिले के लिए एक विकास योजना तैयार करेगी, का उल्लेख किया गया है ।[21] इसके अलावा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्तों और नागरिकों के मौलिक अधिकारों को वर्णित किया गया है । उदाहरण के लिए, पंचायती राज संस्थाओं के विकास नियोजन का उद्देश्य उस राष्ट्रीय लक्ष्य को प्रोन्नत करने के लिए होना चाहिए जिसमें सभी नागरिकों के प्राथमिक क्षमताओं को बढ़ाने और उनके लिए व्यापक सामाजिक अवसर सुनिश्चित करना, किया गया है ।[22]

विकेंद्रीकृत जिला नियोजन को बढ़ावा देने वाले घटनाक्रम :

जिला, मध्यवर्ती और ग्राम स्तर पर पंचायतों की स्थापना के लिए किये गये संविधान के 73वें और 74 वें संशोधनों में स्पष्ट रूप से केंद्रीकृत दृष्टिकोण के स्थान पर जिला नियोजन की परिकल्पना की गई है । 74 वें संविधान संशोधन में पंचायतों और नगर पालिकाओं की योजनाओं को जिला योजना के प्रारूप में समेकित करने का अधिदेश दिया गया है । संशोधनों ने संविधान के भाग 9 और 9 ए के पूर्ण कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी पूरी तरह से केंद्र सरकार को सौंपी है । स्थानीय सरकारों को मजबूत बनाने में केंद्र सरकार का हित इसलिए भी है क्योंकि बुनियादी स्थानीय सेवाओं तक अधिक पहुंच बनाने के लिए संस्थागत परिवर्तनों की व्यापक जरूरत है । पंचायती राज मंत्रालय जनतंत्र को गहन बनाने और स्थानीय सेवा प्रदायगी में कार्यक्षमता को बढ़ाने की इस व्यापक प्रतिबद्धता की ही अगली कड़ी है । ग्यारहवीं योजनना में बल देकर कहा गया है कि हमारी विकास प्रक्रिया की समावेशिता के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि आवश्यक जन सेवाओं की प्रदायगी के नियोजन, कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण में स्थानीय जन प्रतिनिधियों को पूरी तरह से शामिल किया जाय ।[23] योजना में इस बात पर भी बल दिया गया है कि हर जिले को एक जिला विकास योजना तैयार करनी होगी जिसमें उसके शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की योजनाओं को समेकित किया जाएगा और साथ ही विभिन्न योजनाओं के सेक्टोरल आबंटन भी शामिल होंगे । इसमें आगे यह सुझाव भी दिया गया है कि तीन अवधियों - अर्थात (1) संदर्श या संरचना योजना (20-25 वर्ष), (2)

---

21. डी.डी. बसु - भारत का संविधान, बाधवा प्रकाशन दिल्ली, 2000 पृ.282-283
22. समेकित जिला नियोजन कार्य से जुड़े जिला योजना समिति सदस्यों के क्षमता विकास के लिये प्रशिक्षण मार्गदर्शिका, पृ.28
23. ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज के अध्याय 1 का पैरा 1.147

अल्पावधिक समाकलित अवसंरचनात्मक विकास योजनाएं जोकि राष्ट्रीय पंचवर्षीय योजनाओं की सहअवसानिक हैं और (3) विशिष्ट परियोजनाओं और स्कीमों से संबंधित योजनाएं - के लिए अंतः-संबद्ध योजनाओं की जरूरत है । राज्यों ने अपने राज्य योजना दस्तावेजों को तैयार करने में कुछ सीमा तक सुविज्ञता हासिल कर ली है । इसके अलावा राज्यों में जिला नियोजन के लिए जरूरी संस्थागत सुधारों की दिशा में भी काम आगे बढ़ा है । अनुच्छेद 243 जेड डी के अनुरूप अधिकतर राज्यों ने जिला योजना समितियों के गठन के लिए कानून पारित किये हैं । दूसरी ओर, सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के उद्देश्य से चलाई गई केंद्र प्रायोजित योजनाओं और अतिरिक्त केंद्रीय सहायता के माध्यम से केंद्र की ओर से राज्यों को पर्याप्त संसाधन प्रदान किये जा रहे हैं जिनमें जमीनी स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास और सेवा प्रदायगी भी शामिल है ।[24]

केन्द्रीय सरकार जिला नियोजन समिति को लेकर चिन्तित थी । अतः जिला नियोजन समिति के गठन के लिए वर्ष 2004 में मैसूर में सभी राज्यों के पंचायती राज मन्त्रियों की द्वितीय गोल मेज सभा हुई तथा सभा ने फैसला लिया की वर्ष (2004-05) के अन्त तक सभी राज्यों में जिला नियोजन समितियों का गठन करना अनिवार्य है ।[25] जिला नियोजन समिति की नाजुक स्थिति को देखते हुए वर्ष 2005 वी. रामचन्द्र की अध्यक्षता में जमीन स्तरीय योजना से सम्बन्धित एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया तथा वर्ष 2004 में द्वितीय गोल मेज सभा के द्वारा सभी राज्यों में जिला नियोजन समिति का गठन करने सम्बन्धित फैसले की स्थिति सन्तोषजनक नहीं पाया । अतः समूह ने जिला स्तर पर पंचवर्षीय योजना एवं वार्षिक योजना निर्माण के प्रतिमान प्रतिपादित किए तथा जिला नियोजन समिति को स्थाई संस्था बनाकर उसकी सहायता के लिए सचिवालय स्थापित करने की बात कही । विशेषज्ञ समूह का यह भी मानना था कि जिला नियोजन समिति को अपने कार्यों को निष्पादित करने के लिए तकनीकी, शैक्षणिक एवं निपूर्ण संस्थाओं की सहायता लेने की स्वतन्त्रता प्रदान कर देनी चाहिए ।[26]

वर्ष 2005 में ग्यारहवीं योजना की तैयारी के समय पंचायती राज मंत्रालय ने श्री वी. रामचंद्रन की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ दल का गठन किया जिसका उद्देश्य ''जमीनी स्तर पर नागरिकों की बुनियादी न्यूनतम जरूरतों की पूर्ति के लिए सभी पंचायत स्तरों पर

24. समेकित जिला नियोजन मैनुअल, योजना आयोग, भारत सरकार नई दिल्ली, 2008
25. उपरोक्त ड्राफ्ट स्टेटस एण्ड फंगसनिंग ऑफ डिस्ट्रीक प्लानिंग कमैटीज इन इण्डिया, पृ.5
26. हर्षा, एस., चेजिंग फेस ऑफ रूरल इण्डिया स्टेटस ऑफ डिस्ट्रीकट प्लानिंग कमैटीज इन इण्डिया : अक्सर्पिर्यस ऑफ ए डेकएड, कुरूक्षेत्र, 2008, पृ.55

जिला और उप-जिला योजनाएं तैयार करने'' के संबंध में अध्ययन कर अपनी सिफारिशें प्रदान करना था । पंचायती राज मंत्रालय और योजना आयोग ने विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट को स्वीकार किया । योजनना आयोग ने 25-8-2006 के अपने सर्कुलर के माध्यम से ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में जिला योजनाओं के बारे में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये ।

केन्द्र सरकार ने पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि पिछड़ेपन के कारणों का मानक सरकारी कार्यक्रमों की तुलना में और अधिक व्यापक ढंग से समाधान करने के लिए वित्त वर्ष (2006-07) में अनुमोदित की गई । इसका उद्देश्य जन भागेदारी के माध्यम से चुने गए कार्यक्रमों के कार्यान्वयन द्वारा निर्धारित पिछड़े जिलों का संकेन्द्रित विकास करना है । गाँव, मध्यवर्ती से लेकर सच्ची भावना के साथ योजना तैयार और कार्यान्वित करने के लिए पंचायती राज संस्थान जिम्मेदार है ।[27] अन्ततः 74वें संविधान संशोधन के अनुरूप राज्यों में वर्ष (2006-07) जिला नियोजन समितियों का गठन किया गया । परन्तु सभी राज्यों में जिला नियोजन समितियों के संगठनात्मक ढांचों में विभिन्नता थी और उन द्वारा जो जिला योजना तैयार की गई थी वे योजनाएं पूर्णतया जिला योजना के उद्देश्यों के अनुरुप नहीं थी ।[28] ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) के अन्तर्गत राज्यों में जिला नियोजन समिति को वार्षिक योजनाओं के मसौदे पर पंचायती राज स्तर पर विभिन्न स्रोतों से प्राप्त धनराशि की जानकारी शामिल करने की बात कही गई । पंचवर्षीय योजना के मसौदे में (राज्य स्रोतों के अतिरिक्त) अन्य संसाधनों का बंटवारा करने के निर्धारित मापदण्ड बनाने का भी आग्रह किया ।[29] यही नहीं केन्द्र सरकार के द्वारा जिला नियोजन को विकसित करने के लिए जो राशि पिछडे क्षेत्रों को अनुदान के रुप में दी जाती थी उसे जिला नियोजन समिति के साथ जोड़ दिया गया तथा यह प्रावधान किया गया कि उपरोक्त क्षेत्रों को अनुदान के रूप में दी जाने वाली धनराशि केवल उन राज्यों को आबंटित की जाएगी जिनमें 74 वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 243 ZD अनुसार प्रदत्त जिला नियोजन समितियों का निर्माण किया जा चुका है ।[30]

वर्तमान समय में देश के लगभग सभी राज्यों में जिला नियोजन समितियों का गठन किया गया है एवं जिन राज्यों में गठित नहीं है उनमें से - अरूणाचल प्रदेश, असम,

---

27. भारत सरकार योजना आयोग, वार्षिक रिपोर्ट, नई दिल्ली, 2011-12, पृ.87-88
28. राजस्थान सरकार, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, 2007, पृ.2
29. उपरोक्त, ड्राफ्ट स्टेटस एण्ड फंगसनिंग ऑफ डिस्ट्रीकट प्लानिंग कमैटीज इन इण्डिया, पृ.5
30. उपरोक्त, ड्राफ्ट स्टेटस एण्ड फंगसनिंग ऑफ डिस्ट्रीकट प्लानिंग कमैटीज इन इण्डिया, पृ.5

महाराष्ट्र, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़ एवं पडुचेरी राज्य है । [31] महाराष्ट्र राज्य में 73 वां संविधान संशोधन से पूर्व भी जिला नियोजन एवं ग्रामीण स्वराज्य का मूल्यांकन व पंचायती राज की स्थापना प्राचार्य पी.व्ही. पाटिल की अध्यक्षता में 1984 में की गई । इस समिति ने अपना प्रतिवेदन 1986 में महाराष्ट्र शासन को सौंप दिया । 73 वां संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज को अत्याधिक प्रशासनिक व आर्थिक अधिकार प्राप्त हुए हैं । जिसके तहत आम जनता को सेवा का अवसर भी प्राप्त हुए हैं । 1997-98 में जिला नियोजन समिति अधिनियम पारित किया गया । 2000 में पुनः जिला नियोजन समिति (सुधार व कार्य) अधिनियम पारित किया गया ।[32] परन्तु, संवैधानिक प्रावधान होने के उपरान्त भी जिला नियोजन समिति का गठन सभी राज्यों में नहीं किया गया ।

विकेन्द्रीकृत नियोजन के पहलू :

1. **जनसहभागिता :** विकेंद्रीकृत नियोजन का मूल अर्थ है जनता से अपने विकास की योजनायें बनवा कर उनका क्रियान्वयन करना । अतः जनसहभागिता का तत्व उसमें स्वयं आ जाता है । योजनाओं के तकनीकी पहलुओं को भले ही विशेषज्ञ तैयार करें, पर विकास कैसा होना चाहिए, किसके लाभ के लिए होना चाहिए और किस दिशा में होना चाहिए इसका फैसला जनता करे, यही जनसहभागिता है । इसके अलावा योजनाओं के क्रियान्वयन में भी जन-सहभागिता उतनी ही जरूरी है ।

2. **जवाबदेही :** योजनायें जब ऊपर से बना कर थोपी जाती है तो योजनाओं की विफलता, सफलता, देरी आदि की जवाबदेही तय करना कठिन हो जाता है । इसका कारण यह है कि प्रशासन तंत्र के इतने स्तर होते हैं कि कहाँ क्या गलत हुआ, किसने क्या फैसला लिया, या किसके कारण योजना प्रभावी न हो पाई - यह पता लगाना कठिन हो जाता है । विकेन्द्रीकृत नियोजन में योजना सूत्रीकरण और क्रियान्वयन के स्तर कम होते हैं । अतः जवाबदेही तय करना सरल होता है । ग्राम स्तर पर बनाई गई योजनाओं में तो स्पष्ट रूप से यह पहचान की जा सकती है कि किसकी क्या जवाबदेही है ।

3. **पारदर्शिता :** लघु स्तरीय योजनायें बड़े स्तर की योजनाओं की तुलना में अधिक पारदर्शिता होती है । ग्राम स्तर का ही उदाहरण लीजिए - ग्राम सभा अगर कोई

---

31. en.wikipedia.org.wiki/district planning committees in india
32. महाराष्ट्र राज्य शासम-जिला नियोजन समिति अधिनियम (कार्य व सुधार) 2007.

योजना बनाती है और ग्राम पंचायत के माध्यम से उसका क्रियान्वयन होता है, तो सभी को यह मालूम रहता है कि परियोजना पर कितनी लागत आई है, परियोजना कितनीपूरी हुई है अभी और क्या करना बाकी है आदि ।

4. **प्रभावकारिता :** विकेन्द्रीकृत नियोजन किसी भी परियोजना की प्रभावकारिता को बढ़ाता है । इसका कारण यह है कि योजना लघू स्तर की होती है तथा उसमें सभी की भागीदारी होती है इसके साथ ही लोगों के हित सीधे-सीधे उसके साथ जुड़े होते हैं । विकेन्द्रीकृत आयोजना में स्थानीय स्तर पर ही लोग योजनायें बनाते हैं एवं स्वयं या अन्य संस्थाओं के माध्यम से उनका क्रियान्वयन करते हैं अतः जन-प्रयास और जन-उत्साह इन योजनाओं की प्रभावकारिता में वृद्धि करता है ।[33]

संसाधनों की पहचान और उन्हें लक्ष्यों से जोड़ना :

1. प्राकृतिक संसाधन - जमीन, नदी, झरना, तालाब और पानी के अन्य स्त्रोत, और जंगल पेड़-पौधे, पहाड़ इत्यादि ।
2. मानवीय संसाधन - महिला और पुरुष, बच्चे-बचियाँ, वृद्ध, विकलांग इत्यादि ।
3. वित्तीय समाधान - दान दाता, बैंकिंग संस्थायें, सरकार की विभिन्न योजनाओं से आने वाला धन, कर, चुंगी, फीस इत्यादि से होने वाली आय ।
4. तकनीकी संसाधन - खुद के या देशी ज्ञान पर आधारित और स्थानीय स्तर पर उपलब्ध तकनीक जैसे आटा पीसने की चक्की, हाथ से चलाने वाली पंखा, कोल्हू से तेल निकालने की मशीन । [34]

जिला योजना समिति की भूमिका :

1. जिला योजना निर्माण के नेतृत्व की भूमिका अदा करना ।
2. जिले की स्थानीय अपेक्षाओं, प्राथमिकताओं का विश्लेषण कर समावेशित एवं सहभागी विजन निर्माण में मुख्य भूमिका निभाना
3. स्थानीय निकायों, संबंधित विभागों, स्वयंसेवी संस्थाओं, शैक्षणिक संस्थानों एवं अन्य हितभागियों के साथ चर्चा कर जिले के विकास की प्राथमिकताओं को तय करना ।

---

33. समेकित जिला नियोजन कार्य से जुड़े जिला योजना समिति सदस्यों के क्षमता विकास के लिये प्रशिक्षण मार्गदर्शिका पृ.28
34. आगे आयें लाभ उठायें (तृतीय संस्करण), जन सम्पर्क विभाग, मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल, 2006.

4. स्थानीय स्तर पर तैयार की गयी योजनाओं के दोहराव को रोकना ।

5. जिले स्तर पर योजनाओं के समेकन के समय स्थानीय निकायों एवं विकास से जुड़ी विभागों की योजनाओं के आधार पर यह सुनिश्चित करना कि उनसे जिले के विजन को हासिल किया जा सके ।

6. जिले के विकास की योजना को समय सीमा में तैयार करवाने में सहयोग देना ।

7. स्थानीय स्तर पर विकास की योजनाओं का निर्माण करने के संबंध में स्थानीय निकायों के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों का क्षमता विकास करवाना ।[35]

विकेंद्रित नियोजन में समस्याएं :

कागज पर सब कुछ अच्छा लगता है, पर नियोजन प्रक्रिया और विकेंद्रीकृत नियोजन के प्रति निम्नलिखित समस्याएं हैं :

1. ग्राम पंचायत की ग्राम की संसद एवं ग्राम सभा की बैठकों में नियोजन के बारे में जनता के विचार जानने का प्रावधान है, पर बैठकें समुचित ढंग से आयोजित नहीं की जाती । कई मामलों में सिर्फ प्रस्ताव की प्रति पर हस्ताक्षर करा लिए जाते हैं । पिछड़े एवं कमजोर वर्गों के लोगों को अपनी समस्याएं और जरुरतें बतलाने को विरले ही मौका मिलता है, जिनको अपनी मांगे उठाने का मौका मिलता है, वे अभिजात वर्ग के होते है । इन बैठकों में सत्ताधारी दल के लोग अत्याधिक हावी रहते हैं और विपक्ष को अनसुना कर दिया जाता है ।

2. यह भी पाया गया कि योजना के चयन में कमजोर वर्गों को प्राथमिकता देने के बजाए विभिन्न सासंदों में धनराशि का बंटवारा कर दिया जाता है ।

3. कई मामलों में देखा गया है, कि नियोजन की गुणवत्ता बहुत कमजोर होती है । सिर्फ एक या दो सेक्टरों को महत्व दिया जाता है । ग्राम पंचायते इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर (ढांचागत क्षेत्र) को सर्वाधिक महत्व देती है और इसमें भी वे सड़कों की मरम्मत पर सर्वाधिक जोर देती है । इस प्रवृत्ति से स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास या सामाजिक कल्याण जैसे सेक्टर उपेक्षित रह जाते हैं ।

4. पंचायत में महिलाओं को आरक्षण देने का उद्देश्य उनका सशक्तीकरण करना है, पर कई मामलों में उनके स्थान पर उनके पति या पुरुष परिजन काम करते हैं ।

---

35. समेकित जिला योजना मैनुअल, राज्य योजना आयोग, मध्य प्रदेश.

5. प्रधान पद के लिए कोई शैक्षिक योग्यता तय न होने से कई बार निरक्षर या बहुत कम पढ़े-लिखे लोग चुने जाते हैं । पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग उन्हें प्रशिक्षण देता है, फिर भी कई प्रधान अपनी बहुत सारी जिम्मेदारी निभा नहीं पाते ।

6. विकेंद्रित नियोजना में जनता को न सिर्फ योजना बनाने, बल्कि उस पर अमल का भी अधिकार है । पर कई मामलों में उन्हें अपने इलाके में किए जाने वाले कार्यों, उनके बजट आदि के बारे में पता नहीं होता । ये विवरण पंचायत के बोर्ड पर प्रदर्शित किए जाते हैं, पर विरले ही सार्वजनिक रूप से प्रकाशित होते हैं ।

7. इसके अलावा, नियोजन प्रक्रिया बहुत लंबी है, जिसके लिए काफी अधिक पेपर वर्क जरूरी है । इससे इस प्रक्रिया में जनता की रुचि नहीं रहती और ग्राम पंचायत के अनिच्छुक रहते हैं । इसके उदाहरण भी है कि ये अधिकारी अशिक्षित एवं अनुभवहीन प्रधानों पर अपने विचार थोपते हैं ।

सुझाव :

1. ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों को नियोजन प्रक्रिया के बारे में समुचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ।

2. डाटा कलेक्शन फोर्मेट्स को संशोधिक किया जाय, क्योंकि इसके कई सवाल अप्रासंगिक हो चुके हैं और नए डाटा जरूरी है । नियोजन फार्मेट के बारे में ग्राम पंचायत के स्टाफ को तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाए ।

3. ग्राम पंचायत फैसिलिटेटिंग टीम (जीपीएफटी) राजनीति-प्रेरित न हो और ग्राम पंचायत के सदस्यों को गहन प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि वे जीपीएफटी के कार्यों की देखभाल कर पाएं ।

4. प्राथमिकताओं के आधार पर नियोजन किया जाय । नियोजन प्रक्रिया में जन-भागीदारी के लिए जागरूकता प्रसार अभियान चलाएं जाएं । ग्राम पंचायत द्वारा जनता के लिए योजनाओं की सूची प्रकाशित की जाए ।

5. पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग पंचायत प्रतिनिधियों के लिए उन ग्राम पंचायतों में शैक्षणिक दौरे, आयोजित करे, जिन्होंने कुशल तरीके से नियोजन कार्य किया हो ।

6. डाटा कलेक्शन, योजना बनाने एवं उस पर अमल में स्वयं सहायता समूह का उपयोग किया जा सकता है । नियोजन प्रक्रिया को अधिक उपयोगी बनाने के लिए जनता से सुझाव आमंत्रित किये जाए ।

7. जिला परिषद को चाहिए की वह ग्राम पंचायत की नियोजन प्रक्रिया का पर्यावेक्षण एवं आकलन करे । सामाजिक कार्य एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रोफेशनल्स की एक टीम बनाई जाय, जो ग्राम पंचायतों को प्रशिक्षण दे और योजना पर अमल की देखरेख करे ।

8. ग्राम पंचायत की योजना की तैयारी एवं अमल के बारे में स्वयं सहायता समूह, समुदाय आधारित संगठन, अशासकीय संस्थाओं एवं स्थानीय क्लब के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए एक सामाजिक आंकेक्षण टीम बनाई जाए ।

9. पंचायती राज मंत्रालय का एक साफ्टवेयर 'प्लान प्लस' है । ग्राम पंचायत द्वारा उसमें प्रत्येक छः माह पर योजना अमल संबंधी प्रविष्ट अनिवार्य की जाए, ताकि पंचायते तब तक उनमें बदलाव न करें ।[36]

उपरोक्त विवेचन से ज्ञात होता है कि समस्याओं के बावजूद ग्राम पंचायत की नियोजन प्रक्रिया जन-केन्द्रित है, जो सरकार के नेक इरादे जाहिर करती है । ग्रामीण नागरिक अपने अधिकारों को लेकर पहले तुलना में अधिक जागरूक बने, इसलिए विकेन्द्रित नियोजना का लक्ष्य पाया जा सकता है, परन्तु हमें पिछली कमियों से सबक लें और विकेन्द्रित नियोजन प्रक्रिया से वाच्छित सुधार तेजी से करने होंगे ।

निष्कर्ष :

उपर्युक्त समीक्षा से यह स्पष्ट होता है कि सभी लेखकों ने अपनी पुस्तकों व लेखों में केन्द्रीय नियोजन, राज्य स्तरीय नियोजन और जिला नियोजन से सम्बन्धित समस्याओं को उजागर किया है । उन समस्याओं में नियोजन के प्रति राज्य का रवैया, जनता की भागीदारी, नीति निर्माताओं की सोच, नियोजन पर राजनैतिक व प्रशासनिक प्रभाव तथा नियोजन करने की गति शामिल है । सभी लेखकों ने इन समस्याओं के समाधान के लिए अपने-अपने सुझाव प्रस्तुत किए परन्तु किसी भी लेखक ने विकेन्द्रीकृत नियोजन, जिला नियोजन एवं ग्रामीण विकास के महत्व को समझते हुए उसकी प्रक्रिया एवं कार्य प्रणाली

36. अनीरबन शेठ (मार्च 2015) : पश्चिम बंगाल में विकेंद्रित नियोजन : नारेबाजी बनाम हकीकत, पंचायती राज अपडेट, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसज, नई दिल्ली, पृ. 1 व 8.

के बारे में किसी भी प्रकार की समस्या का अध्ययन नहीं किया तथा एकीकृत जिला नियोजन से संदर्भित सूक्ष्म अध्ययनों का स्पष्ट अभाव है ।

स्वतंत्रता के 67 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं इसके बावजूद भी हम वह सब कुछ भी नहीं दे सके जिनकी उन्हें (राष्ट्र राज्य व जिलों को) आवश्यकता थी । प्रस्तुत आलेख विकास एवं जिला नियोजन के लिए अत्याधिक महत्वपूर्ण होगा क्योंकि इससे भविष्य में समेकित जिला नियोजन एवं उसके कार्यप्रणाली में आने वाली समस्याओं का समाधान किया जा सकता है । राज्य की जिला नियोजन समितियों के अध्ययन के उपरान्त यह अध्ययन नीति-निर्माताओं, सरकारी व गैर सरकारी संगठनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा । यह विद्यार्थियों के लिए ज्ञानवर्धक होगा, जोकि उनके लिए अनुसंधान में नए-नए आयाम निर्धारित करने में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करेगा । इसके अतिरिक्त जिला नियोजन समिति के सदस्यों को जिला योजना तैयार करने में उनकी सहायता करेगा तथा समन्वित जिला नियोजन व उसके बढ़िया प्रयोग या अभ्यास के लिए अत्याधिक महत्वपूर्ण होगा क्योंकि इससे भविष्य में जिला नियोजन समिति की कार्यप्रणाली में आने वाली समस्याओं का समाधान किया जा सकता है ।

10. साक्षर भारत कार्यक्रम (एक दृश्यावलोकन)

*** आशीष कुमार तिवारी**

साक्षर भारत मिशन की शुरुवात अगस्त 2009 से की गई है इससे पूर्व यह कार्यक्रम उत्तर साक्षरता के नाम से जाना जाता था इस कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीण अंचल में बसे असाक्षरों को साक्षर बनाने का प्रयास किया जाता था ताकि वे असाक्षर, जो समाज की मुख्य धारा से आप को कटा समझते हैं उनमें नवीन उर्जा का संचार हो सके ।

साक्षर भारत एक केन्द्र द्वारा आयोजित योजना है जो मुख्यतः ग्रामीणों के हितार्थ शुरु की गई है । यह योजना मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा संचालित होती है । इसके संचालन हेतु शीर्ष संस्था के रूप में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण का गठन किया गया है जिसका मुख्यालय दिल्ली में है । इसी प्रकार विभिन्न राज्यों में भी इसी संस्था की अनुवर्ती शाखा के रूप में राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण की स्थापना की गई है जो प्रत्येक राज्यों की राजधानी में स्थापित है ।

इस योजना को संचालित करने हेतु जिला स्तर पर एक समिति का गठन किया गया है जिसे जिला लोक शिक्षा समिति का नाम दिया गया है जिसके कार्यकारिणी का अध्यक्ष जिले के कलेक्टर होते हैं इस समिति के सदस्य सचिव जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी होते है । इस समिति को संचालित करने हेतु एक जिला परियोजना अधिकारी की नियुक्ति की जाती है जो इस योजनाओं से संबंधित सभी गतिविधियों पर नजर बनाए रखता है ।

इसी क्रम में जिले के अंतर्गत प्रत्येक विकास खण्ड में विकास खण्ड लोक शिक्षा समिति होती है जो इस कार्यक्रम को प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत लोक शिक्षा केन्द्रों के माध्यम से क्रियान्वित करवाता है ।

यह कार्यक्रम मुख्यतः ग्राम वासियों के हितार्थ है अतः प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत लोक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना की गई है जिसमें 02 प्रेरकों की नियुक्ति की गई है तथा इसमें यह भी ध्यान दिया जाता है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम 01 महिला प्रेरक अनिवार्य रूप से हो । प्रेरकों के चयन में महिलाओं को प्राथमिकता प्रदान की जाती है क्योंकि इससे जहाँ एक ओर महिलाओं का सशक्तिकरण होता है वही दूसरी

* संगम चौक, दरबारी टोली, जसपुर नगर (छ.ग.) मो.नं. 09479237484

ओर पाया गया है कि महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा साक्षरता दर कम है यदि महिलाएँ प्रेरक के रूप में कार्य करेगी तो वे ज्यादा अशिक्षित महिलाओं को साक्षर बनायेंगी ।

यह कार्यक्रम मुख्यतः प्रेरकों द्वारा ही क्रियान्वित किया जाता है प्रेरकों द्वारा किए जानेवाले कार्य अग्रलिखित है -

01. असाक्षरों का चिह्नांकन करना उन्हें पंजीकृत करना और वर्ष में दो बार आयोजित होनेवाले नवसाक्षर मूल्यांकन परीक्षा में उन्हें सम्मिलित होने हेतु प्रेरित करना । यह मूल्यांकन NIOS नई दिल्ली द्वारा कराया जाता है ।

02. ग्रामवासियों को लोक शिक्षा केन्द्रों के माध्यम से एक ऐसी व्यवस्था प्रदान करना जहाँ उनका सार्वभौमिक विकास संभव हो क्योंकि वहाँ साक्षर भारत मिशन द्वारा अनेक सामग्री प्रदान की जाती है जिसका उद्देश्य होता है कि उन संसाधनों के माध्यम से ग्राम वासी लाभान्वित हों और उनका गुणात्मक विकास हो । (उदाहरणार्थ - दर्री, कुर्सी, पुस्तकालय हेतु पुस्तके, समाचार पत्र, घडी, ट्यूबलाईट, पंखा इत्यादि । जबकि कुछ विशेष लोक शिक्षा केन्द्रों में कंप्यूटर, प्रोजेक्टर इत्यादि की भी व्यवस्था की गई है ग्रामवासी इन सभी सामग्रियों का उपयोग कर सकते हैं और लाभान्वित हो सकते हैं ।

03. विभिन्न प्रकार के शासकीय योजनाओं के प्रति लोगों को जागरूक करना एवं मदद करना जैसे - जनगणना कार्य में, पशु जनगणना में, मतदाता जागरूकता में, प्रधानमंत्री जन-धन योजना में टीकाकरण में इत्यादि ।

04. लोक शिक्षा केन्द्रों को इस तरह से विकसित करना जिससे वहाँ के ग्रामवासी शासन की विभिन्न योजनाओं के बारे में जान सकें इस हेतु आवश्यक रूप से प्रेरकों को शासन की योजनाओं के बारे में अवगत कराया जाता है ।

05. ऐसे स्वयं सेवी की पहचान करना जो स्व इच्छा से अशिक्षितों को शिक्षित बनाने का कार्य करें । ऐसे स्वयंसेवी कक्षा 10 वीं एवं 12 वीं के छात्र छात्राएं भी होते हैं, जिन्हें 10 असाक्षरों को साक्षर करने पर बोर्ड परीक्षा में 10 अंक बोनस प्रदान किया जाता है ।

06. इन स्वयंसेवी से कक्षाओं का संचालन करवाना और ऐसे प्रौढ़ व्यक्ति जो उचित रूप से आखरझापी की पढाई 200 घंटे कर चुके हैं उन्हें नवसाक्षर मूल्यांकन परीक्षा में सम्मिलित करवाना और उनके उत्तीर्ण हो जाने पर उन्हें राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान द्वारा जारी प्रमाणपत्र देना ।

07. प्रेरक के नाम से ही स्पष्ट है कि उन्हें प्रेरणा देने का कार्य करना है यह प्रेरणा किसी भी सामाजिक दायित्व का हो सकता है जैसे मतदान से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, स्वच्छता से संबंधित, वित्त से संबंधित, विधि से संबंधित, प्राकृतिक आपदा से संबंधित इत्यादि इत्यादि ।

साक्षर भारत मिशन के कारण केवल छत्तीसगढ़ में अभी तक कुल 26,99,572 पुरुष तथा 8,23,330 महिलाएं साक्षर हो चुकी हैं । साक्षर भारत मिशन के अंतर्गत जो नवसाक्षर परीक्षा महाअभियान कराया जाता है उसकी उपलब्धि अविश्वसनीय है इसके अंतर्गत अभी तक कुल 09 बार परीक्षा का आयोजन कराया जा चुका है जिसकी सूची अग्रलिखित है -

शामिल वर्ष	**कुल शामिल**			**कुल उत्तीर्ण**		
	महिला	**पुरुष**	**कुल**	**महिला**	**पुरुष**	**कुल**
अगस्त 2010	5206	4523	9729	4276	3714	7990
मार्च 2011	177869	57564	235433	1335583	3712	1339295
अगस्त 2011	308681	256881	565562	190993	165877	356870
मार्च 2012	576662	330545	907207	440428	259011	699439
अगस्त 2012	168234	83996	252230	145184	69271	214455
मार्च 2013	312785	170252	483037	263757	146640	410397
अगस्त 2013	133604	72140	205744	107737	58055	165792
मार्च 2014	143515	78456	221971	111890	61184	173074
अगस्त 2014	118724	66418	185142	99724	55866	155590
कुल योग :	**1945280**	**1120775**	**3066055**	**2699572**	**823330**	**3522902**

इस परीक्षा से सफलता प्राप्त कर कई महिला पुरुष अपनी आजीविका पाने में सफल हो चुके हैं पर इस मिशन में कुछ खामियाँ भी दिखाई देती हैं जहाँ एक ओर इस अभियान के अंतर्गत प्रेरकों से इतने प्रकार के काम करवाये जाते हैं वहीं दूसरी ओर इन्हें अत्यंत कम मानदेय दिया जाता है उन्हे मात्र 2000 रु. का मानदेय दिया जाता है इसी प्रकार इन प्रेरकों की मॉनिटरिंग और मार्गदर्शन हेतु जिन कार्यक्रम समन्वयकों की नियुक्ति

की गई है उनका मानदेय भी अत्यंत कम है जिसका सीधा असर इस कार्यक्रम पर पडता है और जो लोग योग्य हैं वे अतिशीघ्र कार्यक्रम को छोड़ देते हैं क्योंकि आज के परिवेश में पैसा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है जिसका असर कार्यक्रम के संचालन पर पडता है और कार्यक्रम की गति अचानक धीमी हो जाती है । यह योजना भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है और इसका संबंध सीधे ग्रामीणों के विकास से है अगर जनता जागरूक बनेगी तो वह आसानी से अपना विकास कर लेगी और अपनी आजीविका की तलाश कर लेगी इस योजना की जडे अब समाज के अंदर जा चुकी है और अब ग्रामीण, सरकारी योजनाओं को समझने के लिये लोक शिक्षा केन्द्रों में प्रेरकों के पास पहुंचने लगे हैं जिससे पता चलता है कि यह योजना किस हद तक सफल हो रही है ।

ऐसा कहा जाता है कि इस योजना को अपना मील का पत्थर मिल चुका है और वह इस पथ पर आगे बढ रही है ।

भारतीय संस्कृति और सभ्यता को उजागर कर राष्ट्रीय एकात्मता को मजबूत करने वाली हिन्दी, हमारे राष्ट्र की गौरवशाली परम्परा का प्रतीक है। कहीं अच्छा हो यदि ग्रामीण विकास में निरन्तर सेवारत विद्वान अपना चिन्तन, मनन और लेखन मूलत: हिन्दी में कर अपने कार्य और ज्ञान से करोड़ों भारतीय जनसाधारण को लाभान्वित करें।

ग्रामीण विकास समीक्षा

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद के तत्वावधान में ग्रामीण विकास समीक्षा नामक अर्धवार्षिक पत्रिका प्रकाशित की जाती है। यह एक राष्ट्रीय स्तर की शोध पत्रिका है जिसमें कृषि, पशुपालन, बागवनी, महिला एवं बाल कल्याण, ग्रामीण स्वास्थ्य, समाजविज्ञान, मनोविज्ञान, ग्रामीण रोजगार, कुटीर उद्योग, गरीबी निवारण, पंचायती राज तथा ग्रामीण विकास के विभिन्न पहलुओं पर मूलत: हिन्दी में लिखे शोध लेख प्रकाशित किए जाते है

सदस्यता शुल्क

इस पत्रिका की चंदे की दरें निम्न प्रकार है :

एक वर्ष	:	75/- रु.
दो वर्ष	:	150/- रु.
तीन वर्ष	:	225/- रु.
आजीवन	:	1000/- रु.

ग्राहक कैसे बने

पत्रिका की सदस्यता शुल्क के रूप में नेशनल इंस्टीटयूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, हैदराबाद के नाम माँग ड्राफ्ट (डी.डी.) निम्न पते पर भेजे :

संपादक

ग्रामीण विकास समीक्षा,

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान

राजेन्द्रनगर, हैदराबाद - 500 030. (आ.प्र.)

Printed at Vaishnavi Laser Graphics, Barkathpura, Hyderabad. Ph : 27552178